


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 01]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSA 11, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 01 (अ). – केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 में, –

(i) नियम 2 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

“(कक) “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम शीर्षक” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 [1986 का 5] की पहली अनुसूची में अतिरिक्त टिप्पणों में यथानिर्दिष्ट शीर्षक अभिप्रेत है।

(ii) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: –

“3. लागत अभिलेखों का लागू होना.—अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) में परिभाषित कंपनियों के वर्ग जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों भी हैं नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट, मालों के उत्पादन में संलग्न या सेवा प्रदान करने में लगी हैं, जिनका ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान उनके सभी उत्पादों और सेवाओं का कुल टर्नओवर पैंतीस करोड़ रुपए या उससे अधिक रहा हो, को अपनी लेखाबहियों में लागत अभिलेखों को सम्मिलित करेंगी, अर्थात्: –

सारणी

(क) विनियमित क्षेत्र :

क्र.सं.	उद्योग/क्षेत्र/उत्पाद/सेवा	सीईटीए शीर्षक (जहां लागू हो)
1.	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं को पारेषण या ग्रहण माध्यमों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही और विनियमित किए संकेत, सिग्नल, लेख, चित्र और ध्वनि या किसी प्रकार की आसूचना (प्रसारण सेवाओं से भिन्न) दूरसंचार सेवाएं;	लागू नहीं होता।
2.	विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अधीन संबंधित विनियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा विनियमित विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण और पूर्ति जिसमें कैप्टिव उत्पादन (विद्युत नियम, 2005 में संदर्भित) शामिल नहीं है;	-----
3.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित पेट्रोलियम उत्पाद;	2709 से 2715
4.	औषधी और भेषजीय;	2901 से 2942; 3001 से 3006
5.	उर्वरक;	3102 से 3105
6.	शर्करा और औद्योगिक अल्कोहल;	1701; 1703; 2207

(ख) गैर-विनियमित क्षेत्र :

क्र.सं.	उद्योग/क्षेत्र/उत्पाद/सेवा	सीईटीए शीर्षक (जहां लागू हो)
1.	अनुपंगी मद या मदों को छोड़कर रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोग होने वाली मशीनरी और यांत्रिक उपस्कर; स्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कोई कंपनी जो इस खंड के अधीन उपयोग के लिए अनन्य रूप से पूर्ति की जा रही किसी मद या मदों से संबंधित है, को इन नियमों के समाविष्ट कंपनी माना जाएगा।	8401 से 8402; 8801 से 8805; 8901 से 8908
2.	टर्बो जेट और टर्बो प्रोपेलर;	8411
3.	शस्त्र और गोला-बारूद;	3601 से 3603; 9301 से 9306
4.	प्रोपलेंट पाउडर; तैयार विस्फोटक (प्रोपलेंट पाउडर से भिन्न); सुरक्षा फ्यूज; विस्फोटक फ्यूज; आघात या विस्फोटक टोपियां; पलीता; विद्युत आघात;	3601 से 3603
5.	राडार यंत्र, रेडियो संचालन सहायक यंत्र तथा रेडियो दूरस्थ नियंत्रण यंत्र;	8526
6.	टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू यान, मोटरीकृत, चाहे शस्त्रों से सुसज्जित हों या नहीं तथा ऐसे यानों के हिस्से-पुर्जे, जिनका नब्बे प्रतिशत या अधिक निधियों (कंपनी में किए गए निवेश) सरकारी या सरकारी अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;	8710

7.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी जहाज या वस्तुओं के संबंध में बंदरगाह द्वारा प्रदान की जा रही स्टीवेडोरिंग, पायलटेज, हालिंग, मूरिंग, रिमूरिंग, हुकिंग, मेजरिंग, लोडिंग और अनलोडिंग सेवाएं;	लागू नहीं होता।
8.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) के अधीन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विमानपत्तनों द्वारा दी जा रही हवाई यातायात प्रबंध, वायुयान प्रचालन, भू-सुरक्षा सेवाएं, भू-रख-रखाव, कार्गो सुविधाएं तथा ईंधन की आपूर्ति जैसी वैमानिकी सेवाएं;	लागू नहीं होता।
9.	इस्पात;	7201 से 7229; 7301 से 7326
10.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VI में यथाविनिर्दिष्ट पैरा संख्या (1)(क) के तत्स्थानी सड़कें और अन्य अवसंरचना परियोजनाएं;	लागू नहीं होता।
11.	रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड द्वारा विनियमित किए जा रहे रबड़ और संबद्ध उत्पाद;	4001 से 4017
12.	काँफी और चाय;	0901 से 0902
13.	रेल या ट्राम ईजन, चल स्टॉक, रेल या ट्राम फिक्सचर और फिटिंग, यांत्रिक (वैद्युत यांत्रिक सहित) सभी प्रकार के यातायात संकेत उपस्कर;	8601 से 8608
14.	सीमेंट;	2523; 6811 से 6812
15.	अयस्क और खनिज उत्पाद;	2502 से 2522; 2524 से 2526; 2528 से 2530; 2601 से 2617
16.	खनिज ईंधन (पेट्रोलियम को छोड़कर), खनिज तेल आदि;	2701 से 2708
17.	आधार धातु;	7401 से 7403; 7405 से 7413; 7419; 7501 से 7508; 7601 से 7614; 7801 से 7802; 7804; 7806; 7901 से 7905; 7907; 8001; 8003; 8007; 8101 से 8113
18.	अकार्बनिक रसायन, मूल्यवान धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, रेडियोधर्मी तत्वों या आइसोटोप की दुर्लभ धातुएं और कार्बनिक रसायन;	2801 से 2853; 2901 से 2942; 3801 से 3807; 3402 से 3403; 3809 से 3824
19.	जूट और जूट उत्पाद;	5303, 5310
20.	खाद्य तेल;	1507 से 1518

21.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VI में यथाविनिर्दिष्ट पैरा संख्या (5)(क) के अनुसार संनिर्माण उद्योग;	लागू नहीं होता।
22.	स्वास्थ्य सेवाएं अर्थात् अस्पताल, डायग्नोस्टिक केन्द्र, नैदानिक केन्द्र या जांच प्रयोगशाला के रूप में साधारणतया कार्यरत या चल रहीं कंपनियां;	लागू नहीं होता।
23.	शिक्षा सेवाओं में लगी हुई कंपनियां जिसके अंतर्गत लोको प्रकार में आने वाली ऐसी सेवाओं या सामाजिक कल्याण के लिए खर्च की गई राशि शामिल नहीं है जो किसी कारबार का हिस्सा न हो;	लागू नहीं होता।
24.	दुग्ध पाउडर;	0402
25.	कीटनाशक;	3808
26.	प्लास्टिक और पॉलीमर;	3901 से 3914; 3916 से 3921; 3925
27.	टायर और ट्यूब;	4011 से 4013
28.	कागज;	4801 से 4802
29.	वस्त्र ;	5004 से 5007; 5106 से 5113; 5205 से 5212; से 5303; 5310; 5401 से 5408; 5501 से 5516
30.	शीशा;	7003 से 7008; 7011; 7016
31.	अन्य मशीनरी;	8403 से 8487
32.	विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी;	8501 से 8507; 8511 से 8512; 8514 से 8515; 8517; 8525 से 8536; 8538 से 8547
33.	निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, आयात और निर्यात या व्यवसाय, अर्थात् :- (i) कार्डिएक स्टेट्स; (ii) ड्रग इलुटिंग स्टेट्स; (iii) केथेटर्स; (iv) इंद्रा ओकुलर लेंस; (v) बोन सिमेंट्स; (vi) हार्ट वाल्व्स; (vii) ऑर्थोपिडिक इंप्लांट्स; (viii) इंटरनल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स;	9018 से 9022

<ul style="list-style-type: none"> (ix) स्कल्प वेन सेट; (x) डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर; (xi) वेंट्रीकुलर पेरिफेरल शूड; (xii) स्पायनल इंप्लांट्स; (xiii) ऑटोमैटिक इंपलपेबल कार्डिएक डेफ्लोबिलेटर; (xiv) पेसमेकर (अस्थायी और स्थायी); (xv) पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रीकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइस; (xvi) कार्डिएक रि-सिंक्रोनाइज चिकित्सा; (xvii) यूरेथ्रा स्पिनिकटर डिवाइस; (xviii) स्लिंग पुरुष या महिला; (xix) प्रोस्टेट ऑक्लुजन डिवाइस; और (xx) यूरेथ्रल स्टेंट्स। 	
--	--

परंतु यह कि क्रम संख्यांक 33 में अंतर्विष्ट कोई बात इस मद के लिए मात्र संपर्क कार्यालय रखने वाली विदेशी कंपनियों को लागू नहीं होगी।

परंतु यह भी कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन व्यापारावर्त मानक के अनुसार सूक्ष्म उद्यम या लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत किसी कंपनी, पर लागू नहीं होगी।

(iii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4. लागत लेखापरीक्षा का लागू होना. - (1) नियम 3 के मद (क) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी इन नियमों के अनुसार अपने लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करवाएगी यदि उसके सभी उत्पादों और सेवाओं का ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का वार्षिक व्यापारावर्त पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक हो और एकल उत्पाद या उत्पादों या सेवा या सेवाओं, जिनके लिए नियम 3 के अधीन लागत अभिलेख का रख-रखाव अपेक्षित है, का सकल व्यापारावर्त पच्चीस करोड़ रुपए या उससे अधिक हो।

(2) नियम 3 के मद (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी इन नियमों के अनुसार अपने लागत अभिलेखों को लेखापरीक्षा करवाएगी यदि उसके सभी उत्पादों और सेवाओं का ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का वार्षिक व्यापारावर्त एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक हो और एकल उत्पाद या उत्पादों या सेवा या सेवाओं, जिनके लिए नियम 3 के अधीन लागत अभिलेख का रख-रखाव अपेक्षित है, का सकल व्यापारावर्त पैंतीस करोड़ रुपए या उससे अधिक हो।”

(3) इन नियमों के अधीन लागत लेखापरीक्षा की आवश्यकता नियम 3 में समाविष्ट कंपनी, और निम्नलिखित कंपनियों पर लागू नहीं होगी -

- (i) जिसकी विदेशी मुद्रा में, निर्यात से राजस्व, उसके कुल राजस्व के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक हो; या
- (ii) जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से प्रचालित हो।”

(iv) नियम 5 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि नियम 3 के मद (ख) के क्रम संख्या 12 और क्रम संख्याओं 24 से 32 में समाविष्ट कंपनी के मामलों में इस नियम के अधीन की गई अपेक्षा अप्रैल, 2015 की पहली तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले उसके प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में लागू होगी।”

(v) नियम 6 में,-

उपनियम (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम (3-क) रख जाएगा, अर्थात् :-

“(3क) लागत लेखा परीक्षक के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति, पदत्याग, मृत्यु या हटाए जाने के कारण, ऐसी रिक्ति के होने से तीस दिनों के भीतर निदेशक बोर्ड द्वारा भरी जाएगी और कंपनी लागत लेखा परीक्षक की ऐसी नियुक्ति के तीस दिनों के भीतर प्ररूप सीआरए-2 में केंद्रीय सरकार को इसकी सूचना देगा।”

(vi) नियम 7 को लोप किया जाएगा।

(vii) उपाबंध में प्ररूप सीआरए-1 और प्ररूप सीआरए-3 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:—

प्ररूप सीआरए-1

[कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा नियम, 2014 के नियम 5(1) के अनुसरण में]

लेखाबहियों में शामिल किए जाने वाले लागत मदों से संबंधित विवरण

1. **सामग्री लागत:-** (क) निर्दिष्ट किए गए माल के उत्पादन या सेवाओं की अदायगी के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के प्रत्येक मद की मात्रा और लागत वार सभी प्राप्तियां, निर्गम और शेष का अलग-अलग उचित अभिलेख रखा जाएगा।

(ख) सामग्री पावती का मूल्यनिर्धारण उसके खरीद मूल्य जिसमें अंतरित शुल्क तथा कर, आवक भाग, बीमा और अन्य खर्चों जो उपायन में प्रत्यक्ष रूप से हुए हैं (कर प्राधिकारियों द्वारा व्यवसाय छूट, रिबेट, प्रतिदाय किए जाने वाले कर और शुल्क या जमा के रूप में प्राप्त) पर किया जाएगा जिसकी मात्रा का अधिग्रहण के समय युक्तियुक्त परिशुद्धि के साथ नियत की जाएगी।

(ग) सामग्री के अधिग्रहण के संबंध में आयी वित्तीय लागत माल की लागत का हिस्सा नहीं होगी।

(घ) स्व-निर्मित सामग्री या सीमित उपभोग का मूल्य निर्धारण प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्ययों कारखाना के ऊपरी खर्चों, उत्पादन से संबंधित ऊपरी प्रशासनिक खर्चों के हिस्से को सम्मिलित करते हुए अन्य ऊपरी प्रशासनिक खर्चों के हिस्से, वित्तीय लागत और ऊपरी मार्किटिंग खर्चों को छोड़कर किया जाएगा।

(ङ) ऐसे अतिरिक्त पूर्ण जो एक उपष्कर के लिए विनिर्दिष्ट इकाई हैं, को सूची में नहीं लिया जाएगा किंतु विनिर्दिष्ट उपष्कर की लागत में पूंजीकृत किया जाएगा। मुख्य पूर्णों या बीमा पूर्णों की लागत, चाहे उपकरणों के साथ या बाद में खरीदा गया, को एक अवधि में, लेकिन उपष्कर के उपयोग काल से अधिक ना ही, किशतों में ऋण चुकाया जाएगा।

(च) फैक्ट्री या उस स्थान पर जहां सेवा दी जानी है, तक पहुंचने से पहले सामग्री का सामान्य नुकसान या खराबी को आपूर्तिकर्ताओं, बीमाकर्ताओं, वाहकों और निपटान से वसूली द्वारा वसूले जाने योग्य शुद्ध रकमों को अधिशेष सामग्रियों की लागत में आमेहित किया जाएगा।

(छ) सामग्री प्राप्त करने से पहले संरचना या वाष्पीकरण के कारण कमी और बढ़ने या नमी सोखने आदि से वृद्धि को मात्रा के अनुरूप करने करते हुए सामग्री लागत में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे वे सामान्य रहे।

(ज) आयातित माल की विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार की तारीख की दर पर बदली जाएगी। भुगतान या अन्यथा होने तक विनिमय दर में किसी प्रकार का पश्चात्वर्ती परिवर्तन सामग्री की लागत का हिस्सा नहीं होगा।

- (झ) परिवहन या अन्य प्राधिकरण द्वारा लागू गये आपत्ति या डेमेरेज प्रभार या प्रतिधारण सामग्री की लागत का हिस्सा नहीं होगा।
- (ञ) किसी सामग्री के संबंधी में दी गई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन और प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान लागत वस्तु जिससे ऐसी राशि संबंधित है, की लागत का पता लगाने के लिए लागत से कम कर दी जाएगी।
- (ट) वस्तुओं का मूल्य निर्धारण लागत प्रवाह पर उचित अनुमान लगाते हुए किया जाएगा उदाहरण के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लस्ट इन फर्स्ट आउट, औसत दर पर भारित का प्रयोग करके मूल्य निर्धारण की पद्धति का समान आधार का पालन किया जाएगा।
- (ठ) जहां सामग्री की गणना मानक लागत पर होगी, वहां सामग्रियों से संबंधित मूल्य भिन्नताओं को सामग्री की लागत के अंग के रूप में मानी जाएगी।
- (ड) कोई भी असामान्य लागत सामग्री लागत से निकाल दी जाएगी।
- (ढ) जहां सामग्री लागत में परिवहन लागत जोड़ी जाएगी वहां परिवहन लागत का निर्धारण परिवहन लागत के निर्धारण के पैरा संख्या 9 द्वारा शासित होगा।
- (ण) स्व-निर्मित अवयव तथा उप पूजों या सीमित उपभोग का मूल्य निर्धारण प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, फैक्ट्री के ऊपरी खर्चों उत्पादन से संबंधित प्रशासनिक खर्चों के हिस्से सम्मिलित करते हुए किंतु अन्य ऊपरी प्रशासनिक खर्चों के हिस्से, वित्तीय लागत और मार्केटिंग खर्चों को छोड़कर किया जाएगा।
- (त) सामान्य रद्दी या खराब माल जो खारिज कर दिया गया हो, की सामग्री लागत को निर्मित वस्तुओं की सामग्री लागत में शामिल की जाएगी। असामान्य रद्दी या खराब माल की सामान्य सामग्री लागत से अनाधिक को सामग्री लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। असामान्य रद्दी या खराब माल की सामग्री लागत को सामग्री लागत में नहीं जोड़ा जाएगा। अपितु ऐसी रद्दी या खराब माल के प्राप्य मूल्य को खाते में जमा करने के बाद नुकसान माना जाएगा।
- (थ) सामग्री लागत को जहां तक आर्थिक रूप से साध्य के उद्देश्य के लिए जोड़ा जाएगा या सामग्री की उपयुक्त मात्रा या समरूप पहचान योग्य मापकों के आधार पर लागत के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा और उपर्युक्त सिद्धांतों पर उसके मूल्य का निर्धारण किया जाएगा।
- (द) जहां सामग्री लागत को लागत वस्तु से सीधी नहीं जोड़ी जाती है, वहां तकनीकी आकलनों जैसे किसी उचित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
- (ध) जहाँ सामग्री क्रेता द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा तैयार या निर्मित की जाती है। वहां अन्य पक्ष को भुगतान योग्य तैयार करने या निर्मित करने के प्रभारों को सामग्री लागत के रूप में माना जाएगा।
- (न) जहां निर्माण क्रिया या गतिविधियों का कोई भाग उप-अनुबंधित होता है, सामग्रियों से संबंधित उप-अनुबंध का प्रभाव प्रत्यक्ष व्ययों की तरह माना जाएगा तथा सीधे लागत उद्देश्यों से जोड़ा जाएगा।
- (प) जहां अप्रत्यक्ष सामग्री लागत एक उचित आधार जैसे कि वास्तविक उपयोग या तकनीकी संनियम या एक समरूप अभिज्ञेय उपाय पर आधारित विभिन्न लागत वस्तुओं से निर्धारित किया जाएगा।
- (फ) उत्प्रेरकों, डाई, औजारों, ढांचों, नमूनों आदि जो एक अवधि में उत्पादन से संबंधित है, की लागत ऐसी लागत से लाभांशित उत्पादन इकाइयों पर क्रमिक उपाकरण की जाएगी।
- (ब) एक वर्ष से अधिक जीवनकाल वाली अप्रत्यक्ष सामग्री की लागत सामग्री के उपयोग काल की लागत में शामिल की जाएगी।

2. कर्मचारी लागत:- (क) कर्मचारी लागत के संबंध में उचित अभिलेख इस तरह तैयार किए जाएंगे कि कंपनी इन व्यय को वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में लागत केन्द्रवार या विभागवार दर्ज कर सके। जहां कर्मचारी इस ढंग से कार्य करते हैं कि उन्हें किसी विशिष्ट लागत केन्द्र या सेवा केन्द्र या विभाग द्वारा पहचानना संभव नहीं हो, वहां कर्मचारी लागत को उचित और तर्कसंगत आधार पर लागत केन्द्र या सेवा केन्द्रों या विभागों को प्रभाजित किया जाएगा तथा संगत रूप से लागू किया जाएगा।

(ख) कर्मचारी लागत सभी फायदों सहित नियोक्ता द्वारा देय सभी भत्तों सहित सकल वेतन को ध्यान में रखते हुए अभिनिश्चित की जाएगी।

(ग) बोनस, चाहे एक सांविधिक न्यूनतम भुगतान योग्य हो या अधिशेष के एक हिस्से के रूप में हो, को कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। बोनस के बदले में या अतिरिक्त अनुग्राहिक देय भी कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा।

(घ) बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों और एक कानून के अधीन एक कारपोरेट संस्था के अन्य अधिकारियों सहित प्रबंधकीय कार्मियों को संदत्त पारिश्रमिक निर्दिष्ट वर्ष के कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माना जाएगा, चाहे पारिश्रमिक के संपूर्ण या एक भाग की गणना लाभों की प्रतिशतता के रूप में हो। गैर कार्यकारी निदेशकों के संदत्त पारिश्रमिक कर्मचारी लागत का हिस्सा नहीं होंगे परंतु वे ऊपरी प्रशासनिक खर्चों के भाग होंगे।

(ङ.) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटनी, समाप्ति और संबंधित मामले से संबंधित पृथक्करण लागत को ऐसी लागतों से फायदों की अवधि में क्रमिक उपाकरण किया जाएगा।

(च) कर्मचारी लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।

(छ) निरर्थक निष्क्रय समय की लागत का निर्धारण निष्क्रय कर्मचारियों या कर्मचारियों के एक समूह पर लागू प्रति घंटा दर से गुणित निष्क्रय घंटों से किया जाएगा।

(ज) जहां कर्मचारी लागत की गणना मानक लागत पर की जाती है, वहीं कर्मचारी लागत से संबंधित सामान्य कारणों से हुए अंतर कर्मचारी लागत के भाग के रूप में माने जाएंगे। असामान्य कारणों से हुए अंतर को असामान्य लागत के रूप में माना जाएगा।

(झ) किसी कर्मचारी लागत के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य कोई सहायिकी, अनुदान प्रोत्साहन या ऐसा अन्य कोई भुगतान लागत वस्तु, जिससे ऐसे राशि संबंधित है, की लागत निर्धारित करने के लिए घटा दिया जाएगा।

(ञ) कोई असामान्य लागत, सामग्री या मात्रात्मक, कर्मचारी लागत में शामिल नहीं होंगे।

(ट) सांविधिक प्राधिकरणों या अन्य तृतीय पक्ष को भुगतान किया गया जुर्माना, क्षतिपूर्ति कर्मचारी लागत शामिल नहीं होंगे।

(ठ) कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले मुफ्त आवास, मुफ्त परिवहन और इसी तरह के अन्य लाभों की लागत ऐसे फायदों प्रदान करने में उपयुक्त सभी स्रोतों की कुल लागत पर निर्धारित की जाएगी।

(ड) प्रदान किए गए किसी लाभ सामान्यतया उदाहरण के लिए आवास, के प्रति कर्मचारी से कोई वसूली कर्मचारी लागत से घटा दी जाएगी।

(ढ) कर्मचारी लागत के निर्धारण के लिए लागू किए गए लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब कानून द्वारा अपेक्षित हो या एक परिवर्तन से एक उपक्रम की लागत विवरण की तैयारी या प्रस्तुति और अधिक उचित हो सके।

(ण) जहां कर्मचारी सेवाएं एक लागत उद्देश्य से जोड़ा जा सके, वहीं ऐसी कर्मचारी लागत प्रयुक्त समय या कार्यरत कर्मचारियों की संख्या या समरूप अभिज्ञेय उपाय जैसे आधार पर लागत उद्देश्य निश्चित की जाएगी।

(त) एक विशेष कर्मचारी लागत एक भिन्न लागत वस्तु पर प्रभारित है या नहीं, का निर्धारण करते समय तात्विकता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा।

(थ) जहां कर्मचारी लागत को लागत वस्तु से सीधी प्राप्त नहीं की जा सकती वहां ये समय अध्ययन पर आधारित समय का अनुमान जैसे उपयुक्त आधार पर निर्दिष्ट की जाएगी।

(द) इस अवधि के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटाई और सेवा समाप्ति आदि से संबंधित परिशोधित पृथक्करण लागत अप्रत्यक्ष लागत मानी जाएगी और एक उचित ढंग में लागत वस्तुओं को निर्दिष्ट करेगी। परंतु कि बंद अभियान से संबंधित अपरिशोधित राशि कर्मचारी लागत के रूप में नहीं मानी जाएं।

(ध) भर्ती लागत प्रशिक्षण लागत और ऐसी अन्य लागत खर्चों के रूप में मानी जाएगी और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(न) अतिकाल प्रीमियम प्रत्यक्ष रूप से लागत वस्तु को निर्दिष्ट करेगा या आर्थिक साध्यता तथा ऐसे अतिकाल की अपेक्षा रखने वाली विशेष परिस्थिति पर निर्भर करने वाले शीर्षों के रूप में माना जाएगा।

(प) निष्क्रिय समय लागत आर्थिक साध्यता और ऐसे निष्क्रिय समय के कारक विशिष्ट परिदृश्यों के आधार पर लागत मद पर प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा या उसे सिरोपरि व्यय माना जाएगा।

3. उपयोगिताएं – (क) विभिन्न लागत केंद्रों पर उत्पादित और उपभुक्त प्रत्येक प्रमुख उपयोगी सेवा जैसे बिजली, पानी, वाष्प, वहिःस्राव उपचार और अन्य संबंधित मामले की मात्रा और लागत को इस रीति से दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक उपयोगी सेवा का पृथक विवरण हो।

(ख) उपयोगी सेवा के प्रत्येक प्रकार को अलग लागत मद माना जाएगा।

(ग) क्रय की गई उपयोगी सेवाओं की लागत का आकलन शुल्कों और करों, परिवहन लागत, बीमा और उपापन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष उत्तरदायी अन्य व्यय (व्यापार छूट, रीबेट, प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों का निवल राशि) सहित खरीद की लागत से की जाएगी जो अर्जन के समय तर्कसंगत शुद्धता के साथ परिमेय हो सकता है।

(घ) अपने उपभोग के लिए स्वउत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय और फैक्ट्री सिरोपरि व्यय शामिल होंगे।

(ङ) अंतर यूनिट स्थानांतरण के उत्पादित उपयोगी सेवाओं के मामलों में, ऊपर यथा निर्धारित उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसे स्थानांतरण पर हुए वितरण लागत को शामिल किया जाएगा।

(च) अंतर कंपनी स्थानांतरणों के लिए उत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, फैक्ट्री सिरोपरि व्यय, वितरण लागत और प्रशासनिक सिरोपरि का शेयर शामिल होगा।

(छ) बाहरी पक्षकारों को विक्रय के लिए उत्पादित उपयोगी सेवाओं की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष व्यय, कारखाना सिरोपरि व्यय, वितरण लागत, प्रशासनिक सिरोपरि का शेयर और विपणन सिरोपरि लागत शामिल होंगे। ऐसी उपयोगी सेवाओं के विक्रय मूल्य में अंतर भी शामिल होगा।

(ज) उपयोगी सेवाओं के संबंध में उपगत वित्तीय लागत उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग नहीं होगा।

(झ) उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसे उपयोगी सेवाओं के वितरण की लागत शामिल होगी। वितरण लागत में उपभोग बिंदू तक उपयोगी सेवाओं के परिदान की लागत शामिल होगी।

(ञ) उपयोगी सेवाओं की लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होंगे।

(ट) जहां उपयोगी सेवाओं की लागत की गणना मानक लागत पर की गई हो वहां उपयोगी सेवाओं से संबंधित मूल्य भिन्नताओं को उपयोग सेवाओं की लागत का भाग माना जाएगा और सामान्य कारणों के कारण उपयोग भिन्नताओं का भाग

उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से उपयोग भिन्नताओं को असामान्य लागत का भाग माना जाएगा।

(ठ) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या उपयोगी सेवाओं के किसी लागत के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान ऐसी लागत के अर्थनिश्चय में घटाया जाएगा जिससे ऐसी रकम संबंधित है।

(ड) उपयोगी सेवाओं के उत्पादन और वितरण की लागत का निर्धारण सामान्य क्षमता या वास्तविक क्षमता, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाएगी और गैर-आमेलित लागत, यदि कोई हो, को असामान्य लागत माना जाएगा। उच्चतम उपयोगी सेवाओं की लागत में ऐसी उपयोगी सेवा के रख-रखाव की प्रतिबद्ध लागत शामिल होगी।

(ढ) कोई भौतिक और परिणामयोग्य असामान्य लागत उपयोगी सेवाओं की लागत का भाग नहीं होगा।

(ण) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तीसरे पक्षों को संदत्त शास्तियां, नुकसानी उपयोगी सेवाओं के लागत का भाग नहीं होंगे।

(त) उपयोगी सेवाओं से संबंधित साख या वसूलियां, बाहरी पक्षों को उपलब्ध कराई गई उपयोगी सेवाओं की लागत सहित, भौतिक और परिमेय, को उपयोग सेवाओं के निवल लागत की गणना के लिए उपयोगी सेवाओं के कुल लागत में से घटाया जाएगा।

(थ) उपयोगी सेवाओं की लागत मापने के लिए लागू लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत विवरण की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।

(द) उपयोगी सेवाओं की लागत नियत करते समय आर्थिक रूप से साध्य रीति से किसी लागत मद की अनुमार्गणीयता निर्देशक सिद्धांत होगा।

(ध) जहां उपयोगी सेवाओं की लागत की प्रत्यक्ष अनुमार्गणीयता लागत मद के साथ नहीं हो वहां इसे सर्वाधिक उपयुक्त आधार पर नियत किया जाएगा।

(न) सेवाओं का उपभोग करने वाले विभागों को किसी उपयोगी सेवा के लागत के वितरण का सर्वाधिक उपयुक्त आधार उपयोग मानकों से प्राप्त किया जाए।

4. प्रत्यक्ष व्यय – (क) प्रत्यक्ष व्यय के संबंध में समुचित अभिलेखों का रख-रखाव ऐसी रीति से किया जाएगा कि कंपनी संदर्भाधीन माल या सेवाओं के संबंध में इन व्ययों का लागत केंद्र-वार या लागत मद या विभाग-वार रखरखाव कर सके और आवश्यक विवरण दे सके।

(ख) खरीदे गए साधनों के उपयोग पर उपगत प्रत्यक्ष व्यय का निर्धारण बीजक या सहमत मूल्य, जिसके अंतर्गत शुल्क और कर और अन्य व्यय भी हैं, जो व्यापार छूट, रिबेट, प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों पर आरोप्य है, पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) अन्य प्रत्यक्ष व्यय का निर्धारण उसके संबंध में उपगत की गई राशि के आधार पर किया जाएगा।

(घ) एक मुश्त संदत्त या व्यय किया गया प्रत्यक्ष उपगत या ऐसा प्रत्यक्ष व्यय जो 'एक-कालिक' भुगतान प्रकृति की हो, प्राक्कलित उत्पादन या ऐसे प्रत्यक्ष व्यय से होने वाले लाभ के आधार पर परिशोधित की जाएगी।

(ङ) यदि प्रत्यक्ष व्यय का कोई मद भौतिकता परीक्षण पूरा नहीं करता हो तो इसे सिरोपरि का भाग माना जा सकता है।

(च) स्व-उत्पादित या प्राप्त साधनों से संबंधित उपगत वित्तीय लागत प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होगा। प्रत्यक्ष व्यय में अभ्यारोपित व्यय शामिल नहीं होगा।

- (छ) जहां प्रत्यक्ष व्यय की गणना मानक लागत पर की गई हो वहां सामान्य कारणों के कारण भिन्नताओं को प्रत्यक्ष व्यय का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों के कारण भिन्नताओं को प्रत्यक्ष व्यय का भाग माना जाएगा।
- (ज) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या प्रत्यक्ष व्यय के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान ऐसे लागत मद के लागत के आकलन में घटाया जाएगा जिससे ऐसी राशि संबंधित है।
- (झ) प्रत्यक्ष व्यय का कोई असामान्य भाग कोई भौतिक और परिणामयोग्य प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होगा।
- (ञ) कानूनी प्राधिकारियों या अन्य तीसरे पक्षकार को संदत्त शास्तियां, नुकसानी प्रत्यक्ष व्यय का भाग नहीं होंगे।
- (ट) निवल राशि प्रत्यक्ष व्यय प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित साख या वसूलियां, भौतिक और परिमेय, घटायी जाएंगी।
- (ठ) प्रत्यक्ष व्यय मापने के लिए लागू लागत लेखा सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत विवरण की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।
- (ड) ऐसे प्रत्यक्ष व्यय जो लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से अनुमार्गणीय हो उस लागत मद पर नियत किया जाएगा।

5. मरम्मत और रख-रखाव – (क) विभिन्न लागत केन्द्रों या विभागों में कार्यशाला, औजार कक्ष तथा मरम्मत और रखरखाव में हुए व्यय को दर्शाने वाला अभिलेख विभिन्न खर्चों के अधीन तैयार किए जाएंगे।

(ख) मरम्मत और रख-रखाव लागत मरम्मत और रख-रखाव कार्यकलाप से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का योग होगा। प्रत्यक्ष लागत में सामग्री की लागत, उपभोग योग्य भंडार, कल-पूजों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्यकलाप में उपभोग किए गए अन्य पहचान योग्य संसाधनों की लागत शामिल होगी। अप्रत्यक्ष लागत में विभिन्न मरम्मत और रख-रखाव गतिविधियों जैसे मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग और ऐसे कार्यकलापों में विभाज्य लागतें सामान्य संसाधनों की लागत शामिल होगी।

(ग) आंतरिक मरम्मत और रख-रखाव की लागत में सामग्री की लागत, उपभोग योग्य भंडार, कल-पूजों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्यकलाप में उपभोग किए गए अन्य पहचान योग्य संसाधनों की लागत शामिल होगी।

(घ) बाहरी संविदाकारों द्वारा निकाय के अंदर किए गए मरम्मत और रख-रखाव कार्यकलाप की लागत में सामग्री की लागत, उपभोग योग्य भंडार, कल-पूजों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्य के लिए निकाय द्वारा ऐसे कार्यों के लिए वहन की गई अन्य लागत शामिल होगी।

(ङ) बाहरी संविदाकार द्वारा उसके परिसर में किए गए मरम्मत और रख-रखाव कार्य की लागत का निर्धारण बीजक या सहमत मूल्य, शुल्कों और करों और उसके फलस्वरूप हुए अन्य व्यय सहित, जो व्यापार छूट (नकद छूट को छोड़कर), प्रतिदेय या जमा किए गए करों और शुल्कों के निवल राशि के बराबर हो, के आधार पर किया जाएगा। इस लागत में संविदाकारों को अन्य संसाधन के लिए प्रदत्त लागत भी सम्मिलित है।

(च) बाहरी संविदाकारों द्वारा किए गए मरम्मत और रख-रखाव कार्य की लागत में संविदाकार द्वारा लगाया गया प्रभार और उसकी सामग्री की लागत, उपभोग योग्य भंडार, कल-पूजों, मानवशक्ति, उपस्कर उपयोग, उपयोगी सेवाओं और ऐसे कार्य के लिए वहन की गई अन्य लागत शामिल होगी।

(छ) प्रत्येक प्रकार के मरम्मत और रख-रखाव को अलग सुभिन्न कार्यकलाप माना जाएगा, यदि वह भौतिक और पहचान योग्य हो।

(ज) मरम्मत और रख-रखाव कार्यकलाप की लागत का मापन प्रत्येक प्रमुख आस्ति श्रेणी के लिए अलग से किया जाएगा।

- (झ) बदले गए ऐसे कल-पूर्जों की लागत, जिससे वर्तमान आस्ति की निष्पादन के उसके पिछले आकलित मानक की तुलना में भावी आर्थिक लाभों में कोई वृद्धि नहीं हुई हो, को मरम्मत और रख-रखाव लागत में शामिल किया जाएगा।
- (ञ) उच्च मूल्य के कल-पूर्जों, जब उसे नए कल-पूर्जों द्वारा बदला गया हो और पुनः ठीक किया गया हो, जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ हो, को स्टॉक में लिया जाएगा। ऐसे कल-पूर्जों का मूल्य निर्धारण ऐसी राशि पर किया जाएगा जो नए कल-पूर्जों की तुलना में इसकी सेवा क्षमता का मापन करता है और जो राशि कल-पूर्जों को पुनः ठीक करने की लागत से अधिक नहीं होगी। नए कल-पूर्जों की लागत और पुनः ठीक करने की लागत के योग और पुनः ठीक किए गए कल-पूर्जों के मूल्य के बीच के अंतर को मरम्मत और रख-रखाव लागत माना जाएगा।
- (ट) प्रमुख ओवरहाल की लागत तर्कसंगत आधार पर क्रमिक रूप से परिशोधित की जाएगी।
- (ठ) मरम्मत और रख-रखाव कार्यक्रमों पर वहन की गई वित्तीय लागत मरम्मत और रख-रखाव लागत का हिस्सा नहीं होगी।
- (ड) मरम्मत और रख-रखाव लागत में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (ढ) जहां मरम्मत और रख-रखाव की लागत से संबंधित मूल्य भिन्नताएं, जहां मानक लागत उपयोग में हो, को जहां मरम्मत और रख-रखाव लागत का भाग माना जाएगा। सामान्य कारणों के कारण उपयोग भिन्नताओं का भाग जहां मरम्मत और रख-रखाव लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से उपयोग भिन्नताओं को मरम्मत और रख-रखाव लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (ण) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या जहां मरम्मत और रख-रखाव कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य ऐसा कोई भुगतान, यदि कोई हो, को ऐसे लागत मद की लागत के आकलन में घटाया जाएगा जिससे ऐसी राशि संबंधित है।
- (त) किसी असामान्य परिस्थिति, अर्थात्, भयंकर आगजनी, विस्फोट, बाढ़ और अन्य घटनाओं, भौतिक और परिमेय, के परिणामस्वरूप कोई मरम्मत और रख-रखाव लागत, मरम्मत और रख-रखाव लागत का भाग नहीं होगा।
- (थ) कानूनी प्राधिकारियों और अन्य तीसरे पक्षों को संदत्त जुर्माने, शास्तियां, क्षतिपूर्ति और अन्य समान उद्ग्रहण मरम्मत और रख-रखाव लागत का भाग नहीं होंगे।
- (द) मरम्मत और रख-रखाव कार्यक्रमों से संबंधित साख या वसूलियां, भौतिक और परिमेय, निवल मरम्मत और रख-रखाव लागत प्राप्त करने हेतु घटाए जाएंगे।
- (ध) मरम्मत और रख-रखाव लागत के मापन के लिए लघु लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा जब वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या ऐसा परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी संगठन के लागत विवरण की उचित तैयारी या प्रस्तुति संभव हो।
- (न) मरम्मत और रख-रखाव लागत आर्थिक रूप से साध्य सीमा तक लागत मद पर अनुरेखित की जाएगी।
- (प) जहां मरम्मत और रख-रखाव लागत, लागत मद पर प्रत्यक्ष रूप से अनुरेखित नहीं हो वहां इसे निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत पर निर्दिष्ट किया जाएगा (1) कारण और प्रभाव – कारण प्रक्रिया या प्रचालन या कार्यक्रमों का है और प्रभाव लागत का वहन है तथा (2) प्राप्त लाभ – सिरोपरि व्यय को उनके द्वारा प्राप्त लाभ के अनुपात में विभिन्न लागत मदों में प्रभाजित किया जाएगा।
- (फ) यदि मरम्मत और रख-रखाव लागत (जिसके अंतर्गत सेवाओं के व्यतिकारी विनिमय की लागत का हिस्सा भी है) कई लागत मदों द्वारा साझा की जाती है, तो संबंधित लागत का मापन सकल रूप में किया जाएगा और लागत मदों के मध्य संवितरित किया जाएगा।

6. नियत आस्तियां और अवक्षयण - (क) निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता जिनके संबंध में अवक्षयण का उपबंध किया जाना है, के लिए प्रयुक्त आस्तियों हेतु समुचित और पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। इन अभिलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु या सेवा के अधीन आस्तियों का समूहीकरण, स्थापना प्रभार, अधिग्रहण की तारीख और अवक्षयण की दर सहित प्रत्येक आस्ति के अधिग्रहण की लागत दर्शायी जाएगी।

(ख) अवक्षयण और क्रमिक अपाक्रम का मापन अवक्षयणीय राशि और उपयोगिता जीवन के आधार पर किया जाएगा। अमूर्त आस्ति का अधिशेष मूल्य तब तक शून्य माना जाएगा जब तक कि:

(i) किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसकी उपयोगिता जीवन के अंत में आस्ति की खरीद की कोई प्रतिबद्धता न हो; या

(ii) आस्ति के लिए कोई सक्रिय बाजार न हो और:

क. अधिशेष मूल्य का अवधारण उस बाजार के संदर्भ में किया जा सकता है; और

ख. यह संभव है कि ऐसा बाजार आस्ति की उपयोगिता जीवन के अंत में विद्यमान रहे।

ग. नियत आस्ति का अधिशेष मूल्य शून्य माना जाएगा यदि निकाय तर्कसंगत शुद्धता के साथ उसका आकलन करने में असमर्थ रहता है।

(ग) उपलब्ध कराए जा रहे अवक्षयण की न्यूनतम राशि निकाय पर लागू और इसके द्वारा अपनाई गई किसी विधि या विनियम द्वारा यथाविहित सिद्धांतों और रीति के अनुसार सगणित राशि से कम नहीं होगी।

(घ) विनियमित उद्योग की स्थिति में अवमूल्य की राशि संबंधित विनियामक द्वारा यथाविहित राशि के समान होगी।

(ङ) अवक्षयणीय आस्ति की उपयोगिता जीवन का आकलन करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

(i) प्रत्याशित, भौतिक क्षय;

(ii) अप्रचलन; और

(iii) आस्ति के उपयोग पर विधिक या अन्य सीमाएं।

(च) किसी अमूर्त आस्ति का संविदात्मक और अन्य विधिक अधिकारों से उत्पन्न उपयोगी जीवन संविदात्मक या अन्य विधिक अधिकारों की अवधि से अधिक नहीं होगा, परंतु निकाय द्वारा आस्ति के प्रत्याशित उपयोग की अवधि से कम हो सकेगा।

(छ) यदि संविदात्मक और अन्य विधिक अधिकार किसी सीमित अवधि के लिए सूचित किए जाते हैं, जिसे प्रलंबित किया जा सके, तो अमूर्त आस्ति के उपयोगिता जीवन में प्रलंबन अवधि शामिल होगा यदि निकाय द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण लागत के प्रलंबन के समर्थन में साक्ष्य हों। किसी कारबार संयोजन में किसी अमूर्त आस्ति के रूप में मान्य किसी पुनः अर्जित अधिकार का उपयोगिता जीवन संविदा की शेष संविदात्मक अवधि है जिसमें अधिकार प्रदान किया गया था और इसमें प्रलंबन अवधियां शामिल नहीं होंगी।

(ज) किसी भी स्थिति में, किसी अमूर्त आस्ति का उपयोगिता जीवन इसके उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(झ) किसी अवक्षयणीय आस्ति के प्रथम उपयोग के समय से अवक्षयण पर विचार किया जाएगा। कोई ऐसे आस्ति जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर ही हो किंतु हमेशा ही उपयोग के लिए तैयार रखा जाए, यथा, अग्निशामक, आपातकालीन जनरेटर,

सुरक्षा उपष्कर को उपयोग की जा रही आस्ति माना जाएगा। अवक्षयणीय आस्तियों को मालों और सेवाओं का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से उपयोग किया जा रहा माना जाएगा।

(ज) मालों और सेवाओं के उत्पादन से अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त किए गए किसी आस्ति के अवक्षयण पर आस्ति के उपयोग में नहीं रहने की अवधि के लिए असामान्य लागत के रूप में विचार किया जाएगा।

(ट) किसी विद्यमान अवक्षयणीय आस्ति में किसी संयोजन या विस्तार, जो उस आस्ति का अभिन्न अंग बन जाए, का अवक्षयण उस आस्ति की शेष उपयोगिता जीवन होगा।

(ठ) किसी विद्यमान अवक्षयणीय आस्ति में किसी संयोजन या विस्तार, जो अपना अलग पहचान रखता है और उस आस्ति के उपयोगिता जीवन के समाप्त होने के पश्चात् उपयोग में आने की क्षमता रखता है, का अवक्षयण उस संयोजन या विस्तार के अनुमानित उपयोगिता जीवन पर आधारित होगा।

(ड) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण उच्चतर अवक्षयण का समाघात लागत मद पर निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

(ढ) आस्तियों पर ह्रास हानि को उत्पादन लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ण) प्रयुक्त अवक्षयण की रीति निकाय द्वारा आस्ति के भावी आर्थिक लाभ का प्रत्याशित उपभोग का पैटर्न प्रतिबिंबित करेगा।

(त) कोई निकाय किसी आस्ति के उपयोगिता जीवन पर सुव्यवस्थित आधार पर अवमूल्यन राशि निर्दिष्ट करने के लिए कोई भी रीति अपना सकता है, जैसे, सीधी-रेखा रीति; डीमिनिशिंग बैलेंस रीति; और उत्पादन इकाई रीति, इत्यादि।

(थ) अमूर्त आस्ति के परिशोधन की पद्धति संस्था को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों के तरीके को दर्शाएगी।

(द) लागू अवक्षयण की पद्धतियां और दरों की कम से कम प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी और यदि उपभोग के अपेक्षित तरीके में परिवर्तन हुआ है या भविष्य के आर्थिक लाभों का नुकसान हुआ हो तो लागू पद्धति परिवर्तित तरीके को दर्शाने के लिए परिवर्तित की जाएगी।

(ध) किसी विशिष्ट आस्ति, या आस्तियों की श्रेणी के लिए विशेष रूप से खरीदे गए पूर्ण और जो अनावश्यक होंगे, वह आस्ति या आस्तियों की श्रेणी हटा दी गई या उस आस्ति का प्रयोग रूक गया हो, तो वह उस आस्ति का भाग होंगे। ऐसे पूर्ण की अवक्षयण योग्य राशि, उस आस्ति के प्रयोग काल तक आवंटित की जाएगी।

(न) लघु आस्तियों की लागत, संस्था की लेखांकन नीति के अनुसार उस अवधि में अपलिखित कर दी जाएगी जिसमें वे खरीदी गई थीं।

(प) किसी आस्ति का अवक्षयण संचयी अवक्षयण के आस्ति की वास्तविक लागत से अधिक होने पर अवशिष्ट मूल्य के योग पर विचार नहीं किया जाएगा।

(फ) किसी आस्ति की एक वृद्धि के लिए अवक्षयण वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए आस्ति को प्रयोग में लेने के दिनों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, वहां मद को लागत को निर्दिष्ट करने के लिए आस्ति का अवक्षयण आस्ति के वास्तविक प्रयोग की अवधि के संबंध में मापा जाएगा।

(ब) अवक्षयण का पता, लागत मद को आर्थिक रूप से सहज बनाने के लिए लगाया जाएगा।

(भ) जहां अवक्षयण लागत मद का प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो वह निम्नलिखित किन्हीं दो सिद्धांतों पर आधारित निर्दिष्ट किया जाएगा ; (1) कारण और प्रभाव-कारण प्रक्रिया या कार्यप्रणाली या गतिविधि है और प्रभाव, लागत का भारग्रहण है और (2) प्राप्त लाभ-खर्चों का विभाजन उनके द्वारा प्राप्त लाभों के अनुपात में विभिन्न लागत मदों में किया जाना है।

7. **ऊपरी व्यय :** (क) निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित ऊपरी व्ययों सहित अप्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन व्ययों का कार्यों जैसे विश्लेषण, वर्गीकृत और समूहीकरण किया जाएगा।
- (ख) स्रोतों की प्राप्ति को दर्शाने वाले ऊपरी व्ययों का निर्धारण शुल्कों और करों तथा उस पर छूटों के योग, अन्य व्यय के प्रत्यक्ष आरोप्य, वापस लौटाने या जमा किए जाने वाले करों व शुल्कों सहित बिल या सहमत मूल्य पर किया जाएगा।
- (ग) उपर्युक्त के अलावा ऊपरी व्ययों का निर्धारण उसके संबंध में आयी लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- (घ) कोई असामान्य लागत जहां यह भौतिक और परिमेय हो, ऊपरी व्ययों का भाग नहीं होगी।
- (ङ.) प्राप्त या स्वयं उत्पन्न स्रोतों के संबंध में आयी वित्तीय लागत ऊपरी व्ययों का भाग नहीं होगी।
- (च) ऊपरी व्यय में आरोपित लागत शामिल नहीं होगी।
- (छ) सामान्य कारणों को आरोप्य ऊपरी व्यय विभिन्नताएं ऊपरी व्ययों का भाग नहीं माना जाएगा। असामान्य कारणों को आरोप्य ऊपरी व्यय विभिन्नताएं, ऊपरी व्ययों से परे होगी।
- (ज) ऊपरी व्ययों के संबंध में प्राप्त या प्राप्य कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी तरह की राशि लागत मद जिसे ऐसी राशि संबंधित है, जिसे लागत का पता लगाने के लिए घटा दी जाएगी।
- (झ) सांविधिक प्राधिकरणों या अन्य तृतीय पक्षों को चुकाया गया जुर्माना, दंड, नुकसान और ऐसे कर ऊपरी व्यय का भाग नहीं होंगे।
- (ञ) ऊपरी व्यय से संबंधित जमा या पुनः प्राप्तियां, भौतिक रूप में और परिमेय कुल ऊपरी व्ययों को जानने के लिए कुल ऊपरी व्यय से घटा दिए जाएंगे। जहां पुनः प्राप्ति कुल ऊपरी व्ययों से अधिक होती है, वहीं शेष पुनः प्राप्ति अन्य आय के रूप में मानी जाएगी।
- (ट) ऊपरी व्ययों को नापने के लिए लागू लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाएगा, यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या एक संस्था को लागत विवरणों को तैयार या प्रस्तुत करने में और अधिक समुचित हो।
- (ठ) ऊपरी व्यय को निर्धारित करते समय एक आर्थिक रूप से सुगम ढंग में लागत मद को जानने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। ऐसी लागत, जो लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सके, को प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (ड) ऊपरी व्यय को काम जैसे कि कार्यों, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण, मुख्य कार्यालय, कारपोरेट आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ढ) लागत मदों के ऊपरी व्ययों का आबंटन निम्नलिखित दो में से एक पर आधारित होगा; (1) कारण और प्रभाव-कारण, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली या गतिविधि है और प्रभाव लागत का भारग्रहण है और (2) प्राप्त लाभ- ऊपरी व्ययों का विभाजन उनके द्वारा प्राप्त लाभों के अनुपात में विभिन्न लागत मदों में किया जाना है।
- (ण) परिवर्तनीय उत्पादन ऊपरी व्यय वास्तविक क्षमता उपयोग पर आधारित उत्पादों या सेवाओं में पूर्ण रूप से नियुक्त किया जाएगा।
- (त) नियत उत्पादन ऊपरी व्यय सामान्य क्षमता के आधार पर किए जाएंगे।
- (थ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय का निर्धारण पैरा संख्या 8 के अनुसार किया जाएगा।
- (द) मार्केटिंग ऊपरी व्यय जिनका एक उत्पाद या सेवा से पता जा सकता है, उस उत्पाद या सेवा से निर्धारित किए जाएंगे।

(ध) मार्केटिंग ऊपरी व्यय, जो एक उत्पाद या सेवा से पता नहीं लगाए जा सकते, का सबसे उचित आधार पर उत्पादों या सेवाओं से निर्धारण किया जाएगा।

8. प्रशासनिक ऊपरी व्यय - (क) प्रशासनिक ऊपरी व्यय किसी संगठन के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त स्रोतों की कुल लागत होंगे।

(ख) पट्टे पर ली गई आस्तियों की दशा में, यदि पट्टा एक परिचालन पट्टा है तो संपूर्ण किराया प्रशासनिक ऊपरी व्यय में शामिल किया जाएगा। यदि पट्टा एक वित्तीय पट्टा है तो, वित्तीय लागत हिस्सा, अलग रखा जाएगा और वित्तीय लागतों का भाग माना जाएगा।

(ग) सॉफ्टवेयर की लागत (कारखाने में विकसित किया गया, खरीदा हुआ, या लाइसेंसधारी या विशिष्ट रूप से निर्मित) उन्नयन लागत सहित, इसके अनुमानित उपयोग काल में चुकायी जाएगी।

(घ) बाहर से प्राप्त प्रशासनिक सेवाओं की लागत का निर्धारण, शुल्कों और करों तथा छूटों के योग उनके अन्य व्यय के प्रत्यक्ष आरोप्य, वापस लौटाने या जमा किए जाने वाले करों व शुल्कों सहित बिल या सहमति मूल्य पर किया जाएगा।

(ङ) किसी प्रशासनिक ऊपरी व्यय के संबंध में प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी प्रकार की कोई राशि लागत मद, जिससे वह राशि संबंधित है, सुनिश्चित करने के लिए घटाई जाएगी।

(च) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में कोई असामान्य प्रशासनिक लागत शामिल नहीं होगी।

(छ) सांविधिक प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्षकार को दिए जाने वाला जुर्माना, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की वसूली, प्रशासनिक ऊपरी व्यय का भाग नहीं होगी।

(ज) प्रशासनिक ऊपरी व्यय निर्धारित करने के लिए भौतिक और गणना योग्य, किसी पर ध्यान दिए बिना कुल प्रशासनिक ऊपरी व्यय प्राप्त करने के लिए ऋण या वसूलियां घटाई जाएंगी।

(झ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय की गणना के लिए लागू लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाना चाहिए यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या उस परिवर्तन से किसी संगठन के लागत विवरणों को अधिक समुचित ढंग से तैयार या प्रस्तुत करने में परिणित हो।

(ञ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय निर्धारित करते समय आर्थिक रूप से व्यवहार्य ढंग से लागत मद का पता लगाना मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।

(ट) लागत मदों के लिए प्रशासनिक ऊपरी व्यय निम्नलिखित दो सिद्धांतों में से किसी एक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा अर्थात्, (i) कारण और प्रभाव – प्रक्रिया या परिचालन या कार्यकलाप का कारण और लागत प्रभाव है। (ii) प्राप्त लाभ – विभिन्न लागत मदों के लिए उनसे प्राप्त लाभ के अनुपात में व्यय विभाजित किया जाए।

9. परिवहन लागत - (क) परिवहन की वास्तविक लागत अभिलेख करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें भाड़ा, ढुलाई, परिवहन बीमा और अन्य व्यय का प्रत्येक घटक, परिवहन लागत की वसूली हेतु समायोजन के बाद दर्शाया जाएगा। परिवहन से संबंधित असामान्य लागत, यदि कोई हो तो पहचान की जाए और औसत परिवहन लागत की गणना से निकालते हुए अभिलेखित की जाएं।

(ख) यदि निर्माता के पास अपने वाहन हो तो वाहनों की वास्तविक परिचालन लागत निर्धारित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें लागत की विभिन्न मदों जैसे ड्राइवर, क्लीनर और अन्य के वेतन और मजदूरी, ईंधन, लुब्रिकेंट ग्रीस की

लागत, टायर और बैटरी की परिशोधित लागत, मरम्मत एवं रखरखाव, वाहनों का अवमूल्यन, तय की गई दूरी और आना-जाना, डिपो में लाए गए और ले जाए गए सामान का ब्यौरा दिया जाए।

(ग) किराया परिवहन के मामले में सामान भेजने पर हुए व्यय के पूरे ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे, जैसे भेजने की तारीख, प्रयोग किए गए वाहन का प्रकार, वस्तुओं का विवरण, खरीददार का पता, परेषिती का नाम, चालान संख्या, वस्तुओं का भार या मात्रा, अन्तविलित दूरी, भुगतान की गई राशि और अन्य संबंधित मामले।

(घ) भेजे गए सामान के विस्तृत ब्यौरे, प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता का नाम, भाड़े की रकम आदि के विवरण देते हुए सामान आने और जाने की अलग-अलग परिवहन लागत के अभिलेख रखे जाएंगे।

(ङ) घरेलू उपभोग और निर्यात दोनों के लिए हटाए गए/बिक्री माल के बाहर गए की लागत (प्राप्ति) लाने और वस्तुएं बाहर ले जाने की परिवहन लागत की पहचान के लिए अलग-अलग अभिलेख रखे जाएंगे।

(च) फैक्टरी से डिपो और उसके बाद की परिवहन लागत के लिए अभिलेख अलग से रखे जाएंगे।

(छ) किसी सामग्री या उत्पाद को ठेका कार्यस्थान पर ले जाने और वापस लाने की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे ताकि इसे उत्पाद के संब्यवहार मूल्य में शामिल किया जा सके।

(ज) केवल व्यापार कार्यकलापों के लिए उत्पादित माल की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे और इन्हें घरेलू उपभोग के लिए उत्पाद शुल्क योग्य सामान का मूल्य निकालने के लिए किसी कटौती के दावे में शामिल नहीं किया जाएगा।

(झ) उत्पादों की किसी विशिष्ट श्रेणी को प्रत्यक्ष रूप से नियत की जाने वाली परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे ताकि नियतन किया जा सके।

(ञ) अपने वाहन या किराए के वाहन दोनों के लिए एक समान परिवहन लागत के लिए विभाजन के आधार पर समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(ट) छूट प्राप्त वस्तुओं, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जिन्हें निर्यात के लिए रखा गया है, की परिवहन लागत के अभिलेख अलग से रखे जाएंगे।

(ठ) सड़क से भिन्न अन्य वाहनों जैसे जहाज, हवाई जहाज और अन्य संबंधित मामले के लिए लागत के अलग अभिलेख रखे जाएंगे जिन्हें परिवहन की कुल लागत में सम्मिलित किया जाएगा।

(ड) अंतर्वाही परिवहन लागत सामग्री प्राप्ति लागत का भाग होगी जिसकी पहचान सामग्री या उत्पादों के समुचित नियतन या विभाजन के लिए किया जाएगा।

(ढ) बहिर्गामी परिवहन लागत विक्रय लागत का भाग होगी और उपयुक्त आधार पर सामग्रियों और वस्तुओं के लिए नियत या विभाजित की जाएगी।

(ण) उत्पादों के प्रकृति, मापन की इकाई और प्रयोग किए गए परिवहन के प्रकार के आधार पर बहिर्गामी परिवहन लागत के विभाजन के लिए पूर्वीकता के क्रम में निम्नलिखित आधार का प्रयोग किया जाएगा;

- (i) भार
- (ii) वस्तुओं की मात्रा
- (iii) टन-किलोमीटर

- (iv) इकाई या समकक्ष इकाई
- (v) वस्तुओं का मूल्य
- (vi) स्थान के उपयोग की प्रतिशतता
- (त) विभाजन का आधार ग्रहण के पश्चात् उसका निरंतरता से अनुपालन किया जाएगा।
- (थ) प्रति इकाई परिवहन लागत अवधारण करने के लिए भारित औसत लागत की गणना में दूरी का गुणक निकाला जाए।
- (द) असामान्य और गैर आवर्ती लागत परिवहन लागत का भाग नहीं होगी।

10. रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी – (क) सहयोगियों या प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए समझौतों के सदर्थ में रॉयल्टी या तकनीकी जानकारी शुल्क जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के लिए अन्य आवर्ती या इसी प्रकार के गैर आवर्ती भुगतान शुल्क सम्मिलित हैं, दर्शाने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(ख) एकमुश्त या 'एक बार' भुगतान के रूप में दिए गए या किए गए रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क को संबंधित परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले लाभ या अनुमानित परिणामों के आधार पर परिशोधन किया जाएगा। वर्तमान या भविष्य में होने वाले लाभ के लिए दी गई रॉयल्टी या तकनीकी जानकारी शुल्क की राशि का परिशोधन उस अवधि, जिसके लिए संस्था को परिसंपत्ति का लाभ मिलने की आशा है, के लिए अनुमानित उत्पादन या सेवा के आधार पर निर्धारित किया जाए।

(ग) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क की राशि में वित्त लागत आरोपित लागत शामिल नहीं होगी।

(घ) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क की राशि के संबंध में प्राप्त या प्राप्ति योग्य कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या अन्य कोई भुगतान रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क की राशि से घटाई जाएगी।

(ङ) सांविधिक प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्ष को दिए जाने वाला जुर्माना, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की वसूली रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क का भाग नहीं होगी।

(च) निवल रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क निर्धारित करने के लिए भौतिक और गणना योग्य, किसी पर ध्यान दिए बिना रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क से संबंधित ऋण या वसूलियां घटाई जाएंगी।

(छ) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क की गणना के लिए लागू लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन तभी किया जाए जबकि यह कानून द्वारा अपेक्षित हो या उस परिवर्तन से संगठन के लागत विवरण अधिक बेहतर ढंग से तैयार या प्रस्तुत करने में मदद मिले।

(ज) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क जो लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित है लागत मद को सौंपा जाएगा। यदि उक्त शुल्क लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित न हो तो यह निम्नलिखित से एक आधार पर सौंपा जा सकता है;

- (i) उत्पादित इकाई
- (ii) बेची गई इकाईयां
- (iii) विक्रय मूल्य
- (झ) खनन अधिकारों के लिए दिए जाने वाले रॉयल्टी शुल्क की राशि सामग्री की लागत में शामिल होगी।

(ज) रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क इस शुल्क की प्रकृति या प्रयोजन पर आधारित होगी। उत्पाद या प्रक्रिया की रॉयल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क की राशि उत्पादन की लागत मानी जाएगी; यदि यह ट्रेडमार्क या ब्रांड से संबंधित है तो इसे विक्रय की लागत माना जाएगा।

11. अनुसंधान एवं विकास व्यय – (क) अनुसंधान एवं विकास लागत में वह सभी लागत शामिल होगी जो अनुसंधान या विकास कार्यकलापों से प्रत्यक्ष संबंधित है (क) कारण एवं प्रभाव (ख) प्राप्त लाभों के आधार पर केवल अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को सौंपी जा सकती है। इस लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, अर्थात्,—

- (i) अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में प्रयुक्त सामग्री और सेवाओं की लागत
- (ii) बिल या सम्मत मूल्य पर खरीदी गई सामग्रियों और किराए पर ली गई सेवाओं की लागत जिसमें व्यापार छूट, कटौती, वापस करने योग्य या जमा कराए जाने वाले कर और शुल्क शामिल है।
- (iii) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी और अन्य संबंधित व्यय;
- (iv) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त उपस्कर और सुविधाओं तथा अन्य मूर्त परिसंपत्तियों का अवमूल्यन और अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन।
- (v) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों से संबंधित उपरी व्यय जिसमें सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं है।
- (vi) अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए परंतु संस्थान पर प्रभारित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर किया गया खर्च।
- (vii) कापीराइट या अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में किया गया व्यय।
- (viii) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए किया गया व्यय।
- (ix) उपस्कर, जिग्स, मोल्ड और डॉई तैयार करने के लिए किया गया व्यय।
- (x) अन्य लागत जिसे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों से प्रत्यक्ष संबंधित किया जा सके और जिसकी विशेष परियोजनाओं के साथ पहचान हो सके।

(ख) किसी अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी प्रकार की कोई राशि लागत मद, जिससे वह राशि संबंधित है, सुनिश्चित करने के लिए घटाई जाएगी।

(ग) अनुसंधान एवं विकास व्यय में कोई असामान्य लागत शामिल नहीं होगी।

(घ) सांविधिक प्राधिकारियों या किसी अन्य तृतीय पक्ष को दिए जाने वाला जुर्माना, शास्तियां, क्षति और इसी प्रकार की वसूली अनुसंधान और विकास व्यय का भाग नहीं होगी।

(ङ) अनुसंधान और विकास व्यय में आरोपित व्यय शामिल नहीं होगा।

(च) निवल अनुसंधान और विकास व्यय निर्धारित करने के लिए भौतिक और गणना योग्य, किसी पर ध्यान दिए बिना अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित ऋण या वसूलियां घटाई जाएंगी।

(छ) किसी विशेष लागत मद के लिए किया गया अनुसंधान और विकास व्यय उस लागत मद से प्रत्यक्ष संबंधित होगा। अनुसंधान एवं विकास व्यय जो विशेष उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित न हो, उत्पाद व्यय का भाग नहीं होगा।

(ज) किसी अमूर्त परिसंपत्ति के सृजन में किए गए विकास व्यय का परिशोधन उसके उपयोगी जीवन में किया जाएगा। विकास व्यय “प्राप्त लाभों” के सिद्धांत पर आधारित होगा।

(झ) वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद के विकास और सुधार के लिए किए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय को उत्पादन की लागत में शामिल किया जाएगा। यदि अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद में सुधार से संबंधित है जो एक लेखांकन अवधि से अधिक समय के लिए जारी रहता है तो उसकी लागत संशोधित प्रक्रिया के प्रयोग की अनुमानित अवधि या संशोधित उत्पाद के प्रयोग की अनुमानित अवधि, जिसके लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् संस्था द्वारा उत्पादन किया जाएगा, के दौरान और यदि संशोधित प्रक्रिया या उत्पाद वर्तमान प्रक्रिया या उत्पाद से अन्यथा है और उस उत्पाद को एक नए उत्पाद के रूप में लाया जा रहा है तो जैसा भी मामला हो, संचित और परिशोधित की जाएगी। एक अवधि के लिए नियत राशि उस अवधि के लिए उत्पादन की लागत में शामिल होगी। यदि यह व्यय वर्तमान उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए या नगण्य संशोधन करने के लिए किया जा रहा है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।

(ञ) विक्रय योग्य सेवा अर्थात्, बाहरी पक्षों को तकनीकी जानकारी देने पर किया जाने वाला विकास व्यय अलग से रखा जाएगा और इसे सेवा उपलब्ध कराने की लागत माना जाएगा।

12. गुणवत्ता नियंत्रण व्यय – (क) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग या संदर्भाधीन माल या सेवाओं के लिए लागत केंद्र या सेवा केंद्र के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। यदि इन सेवाओं का कंपनी के अन्य माल या सेवाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है तो संदर्भाधीन माल या सेवाओं तथा अन्य माल या सेवाओं के विभाजन का आधार साम्य और युक्तियुक्त होगा तथा निरंतर लागू होगा।

(ख) अंतः संस्थान गुणवत्ता नियंत्रण लागत में संस्थान के गुणवत्ता नियंत्रण कार्यकलापों में उपभुक्त संसाधनों की लागत शामिल होगी। बाहरी स्रोतों से प्राप्त संसाधनों की लागत शुल्कों और करों, तथा प्रत्यक्षतः उसके कारण अन्य व्यय, शुद्ध छूट (नकद छूट से अन्यथा), कर प्राधिकारियों द्वारा प्रतिदेय या जमा किए जाने वाले करों और शुल्कों सहित बीजक या सम्मत मूल्य पर अवधारित की जाएगी। ऐसी लागत में गुणवत्ता अनुरूपता लागत अर्थात्, (क) निवारक लागत; और (ख) मूल्यांकन लागत शामिल होगी।

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण लागत की पहचान आर्थिक रूप से साध्य रीति से की जाएगी।

(घ) उपर्युक्त के अलावा अन्य गुणवत्ता नियंत्रण लागत उससे संबंधित व्यय की गई राशि के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(ङ) स्वसृजित या उपाप्त संसाधनों के संबंध में उपागत वित्त व्यय गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होगा।

(च) गुणवत्ता नियंत्रण व्यय में अभ्यारोपित लागत शामिल नहीं होगी।

(छ) गुणवत्ता नियंत्रण लागत के संबंध में प्राप्त या प्राप्ति योग्य कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या ऐसा कोई संदाय उस लागत मद की लागत सुनिश्चित करने के लिए घटाया जाएगा जिससे वह राशि संबंधित है।

(ज) गुणवत्ता नियंत्रण लागत का कोई असामान्य अंश, जो तात्त्विक तथा परिमाणयोग्य है, गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होगा।

(झ) सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षों को संदत्त शस्तियां, नुकसानी गुणवत्ता नियंत्रण लागत में शामिल नहीं होंगी।

(ज) गुणवत्ता नियंत्रण लागत के मापन के लिए लागू लागत लेखाविधि सिद्धांतों में कोई परिवर्तन केवल तभी किया जाएगा जब यह विधि द्वारा अपेक्षित हो या परिवर्तन के परिणामस्वरूप संगठन की लागत विवरणियों को अधिक उपयुक्त रूप से तैयार या प्रस्तुत किया जाता हो।

(ट) लागत मद से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण लागत उस लागत मद को सौंपी जाएंगी। लागत मदों का गुणवत्ता नियंत्रण व्यय इन सिद्धांतों पर उन्हें प्राप्त लाभों पर आधारित होगा (1) कारण और परिणाम – कारण प्रक्रिया या परिचालन या कार्याकलाप है और परिणाम व्यय उपगत करना है तथा (2) प्राप्त प्रसुविधाएं – विभिन्न लागत मदों को विभाजित खर्च उनसे प्राप्त होने वाले प्रसुविधाओं के अनुपात में होंगे।

13. प्रदूषण नियंत्रण व्यय – (क) प्रदूषण नियंत्रण के संबन्ध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। संदर्भाधीन माल या सेवाओं तथा अन्य वस्तुओं या सेवाओं के विभाजन का आधार साम्य और युक्तियुक्त होगा तथा निरंतर लागू होगा।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग प्रदूषण नियंत्रण लागतें होंगीं। प्रत्यक्ष लागत में सामग्री, उभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति उपष्कर प्रयोग, उपयोगिताएं, परीक्षण और प्रमाणन के लिए संसाधन तथा ऐसे कर्ककलापों जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण, निपटान, उपचारी एवं अन्य में उपयुक्त पहचानयोग्य संसाधन शामिल होंगे। अप्रत्यक्ष लागत में उन स्त्रातों की लागतें शामिल होंगीं जो विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण रजिस्ट्रीकरण और ऐसे खर्च हैं, जो सामान्य हैं।

(ग) प्रदूषण नियंत्रण की लागतें, जो निकाय में आंतरिक हैं, का लेखा रखा जाना चाहिए, जब उस पर खर्च किया जाए। उनका मापन संसाधनों के उपभोग की ऐतिहासिक लागत के द्वारा किया जाना चाहिए।

(घ) भविष्य उपचारी या निपटान लागतें, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय द्रभर संविदा या आन्वयिक बाध्यता के भाग के रूप में युक्तियुक्त निश्चितता सहित उपगत की जानी चाहिए प्रत्याशित हैं, का प्राकलन और गणना प्रत्येक अवधि में किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा पर आधारित होगा और उपचारी और भविष्य में निपटान की सहयुक्त लागत पर आधारित होगा।

(ङ) आकस्मिक भविष्य उपचारी या निपटान लागतें, यथा वे लागतें जो भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण में विधायी बदलाव के कारण उत्पन्न होंगीं, को लागत नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी लागतें युक्तियुक्त रूप से निश्चित न हो जाएं और जिन्हें मापा जा सके।

(च) प्रदूषण की बाह्य लागतें जो सामान्यतः बाह्य पक्षकारों पर जिसमें सामाजिक लागतें शामिल हैं, लगाई जाती हैं, उनका आकलन युक्तियुक्त शुद्धता के साथ करना मुश्किल है, को सामान्य प्रयोजन से लागत विवरणों से बाहर रखा जाता है।

(छ) प्रदूषण की सामाजिक लागतों को लागत माप के आर्थिक मॉडलों द्वारा मापा जाता है। लागत जो कि प्रदूषण फैलाने वाले निकाय द्वारा प्रतिपूरक के रूप में चाहे वह भविष्य में विधायन के अंतर्गत या सामाजिक दबाव के अंतर्गत हो, को लागत माप के परंपरागत मॉडलों के द्वारा मात्रा की गणना नहीं की जा सकती। वे सामान्य उद्देश्य लागत विवरणों से बाहर रखे जाते हैं।

(ज) आंतरिक प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि की लागत में सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य स्रोत जो ऐसी गतिविधियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, शामिल हैं।

- (झ) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि की लागत जो बाहरी ठेकेदारों द्वारा निकाय में चलाई जाती हैं, में खर्चे जो कि ठेकेदार को संदाय किए जाते हैं और सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य स्रोत जो ऐसी गतिविधियों में प्रयुक्त किए जाते हैं, शामिल हैं।
- (ञ) प्रदूषण नियंत्रण कार्य जो कि ठेकेदार द्वारा उनके परिसरों पर किए जाते हैं की लागत का निर्धारण बीजक या सहमति मूल्य जिसमें प्रभार एवं कर शामिल हैं एवं अन्य खर्चे जो कि सीधे उन पर बट्टे (लागत बट्टे से भिन्न), कर और प्रभार जो प्रतिदेय या जिनको जमा किया जाएगा, के द्वारा किया जाएगा। लागत में अन्य स्रोतों की लागतें भी शामिल होंगी जो ठेकेदारों को उपलब्ध कराई जाती हैं।
- (ट) बाहरी ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की लागत में ठेकेदार द्वारा अदा किए गए प्रभार और स्वयं की सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति संयंत्र प्रयोग, उपयोगिताएं एवं अन्य लागतें जो ऐसे कार्यों में प्रयुक्त हुई, शामिल हैं।
- (ठ) प्रत्येक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण अर्थात्, जल, वायु, मृदा प्रदूषण को एक विशिष्ट गतिविधि के रूप में माना जाएगा, यदि उसकी पहचान एवं गणना की जा सके।
- (ड) प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के संबंध में उपगत वित्तीय लागतों को प्रदूषण नियंत्रण लागतों का भाग नहीं माना जाएगा।
- (ढ) प्रदूषण नियंत्रण लागतों में अध्यारोजित लागतें शामिल नहीं होंगी।
- (ण) प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित लागत विचलन, जहां मानक लागतें प्रयोग में हैं, को प्रदूषण नियंत्रण के लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो कि सामान्य कारणों से है के भाग को प्रदूषण नियंत्रण के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो असामान्य कारणों के कारण हैं को प्रदूषण नियंत्रण लागत से बाहर रखा जाएगा।
- (त) सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी प्रकृति की प्राप्त राशि या प्रदूषण नियंत्रण उपाय के संबंध में प्राप्त की जाने वाली, यदि कोई हो, को लागत मद को निर्धारित करने की राशि में से कम किया जाएगा, जो ऐसी राशियों से संबंधित हैं।
- (थ) कोई प्रदूषण नियंत्रण लागत जो असामान्य परिस्थितियों के परिणामस्वरूप है तात्त्विक या परिमाण योग्य है, तो वह प्रदूषण नियंत्रण लागत का भाग नहीं होगी।
- (द) जुर्माना, शास्ति, नुकसानी और समान लेवी, जो सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को अदा की गई हैं वह प्रदूषण नियंत्रण लागत का भाग नहीं होंगी।
- (ध) क्रेडिट्स/वसूलियां जो प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित हैं, तात्त्विक या परिमाण योग्य हैं, को निबल प्रदूषण नियंत्रण लागत की गणना करते समय घटाया जाएगा।
- (न) अनुसंधान और विकास लागतें जिससे नई प्रक्रियाएं विकसित की जा सकें, नए उत्पादों या नई सामग्री के प्रयोग जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके या अनदेखी की जा सके, को अनुसंधान और विकास लागतों के रूप में माना जाएगा और उसकी गणना प्रदूषण नियंत्रण लागतों में नहीं की जाएगी। ऐसे उत्पाद, प्रक्रिया या सामग्री के वाणिज्यिक विकास हेतु उपगत विकास व्यय प्रदूषण नियंत्रण व्यय में शामिल नहीं होंगी।
- (प) प्रदूषण नियंत्रण लागत के माप में प्रयुक्त लागत गणना सिद्धांतों में कोई बदलाव तभी किया जाएगा यदि वह विधि के द्वारा अपेक्षित हो या परिवर्तन के परिणामस्वरूप और अधिक उचित रूप से किसी संगठन लागत विवरणों को तैयार करने या प्रस्तुतीकरण में सहायक हो।
- (फ) प्रदूषण नियंत्रण लागतों को आर्थिक रूप से साध्य लागत के रूप में बनाया जाए।

(ब) प्रदूषण नियंत्रण की प्रत्यक्ष लागतें जैसे अपशिष्ट का शोधन एवं निपटान को उत्पाद के रूप में माना जाएगा जो कि आर्थिक रूप से अनुरेखीय है।

(भ) जहां पर ऐसी लागतें सीधे तौर पर उत्पाद से अनुरेखीय नहीं हैं परंतु उस प्रक्रिया से अनुरेखीय हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, लागतों को उन उत्पादों के साथ नियत किया जाएगा जो कि उत्पाद के द्वारा पैदा किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा के आधार पर प्रक्रियाधीन हैं।

(म) जहां प्रदूषण नियंत्रण लागतें सीधे रूप से लागत वस्तु में अनुरेखीय नहीं है, उसे ओवरहेड माना जाएगा और निम्नलिखित दो सिद्धांतों में से किसी पर नियत किया जाएगा, अर्थात्, (1) कारण एवं प्रभाव- कारण एक प्रक्रिया या प्रचालन या गतिविधि है और प्रभाव लागत का उपगत होना है और (2) प्राप्त लाभ- ओवरहेड को विभिन्न लागत वस्तुओं में उनके द्वारा प्राप्त लाभों के अनुपात में बांटा जाएगा।

14. सेवा विभाग व्यय – (क) सेवा विभागों के संबंध में उचित अभिलेख रखे जाएंगे अर्थात्, लागत केंद्र जो मूल रूप से उपक्रम के चारों ओर अनुषंगी सेवाएं प्रदान करते हैं, खर्च जो कि प्रत्येक ऐसे सेवा लागत सेंटर जैसे इंजीनियरिंग, कार्यशाला, डिजाइन, लैब, सुरक्षा, परिवहन, कंप्यूटर इकाई, कल्याण और अन्य संबंधित मामले प्रत्येक सेवा लागत केंद्र के व्यय को दर्शाने वाले अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक पहचान योग्य सेवा लागत केंद्र को एक विशिष्ट लागत वस्तु के रूप में सेवाओं की लागत के मापन के रूप में माना जाएगा बशर्ते वह तात्विकता के सिद्धांत पर हो।

(ग) सेवा लागत केंद्र की लागत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जो कि सेवाओं से संबंधित है जो ऐसी लागत केंद्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का योग है।

(घ) आंतरिक सेवाओं लागत में सामग्री, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिता एवं अन्य स्रोत जो ऐसी सेवाओं में प्रयुक्त हुए हैं की लागत शामिल है।

(ङ) अन्य संसाधन की लागतों में संबंधित ओवरहेड्स शामिल हैं।

(च) ठेकेदारों द्वारा निकाय के परिसर के भीतर दी जाने वाली सेवाओं की लागत में ठेकेदार को अदा किए जाने वाले प्रभार और सामग्री की लागत, उपभोज्य भंडार, पुर्जे, श्रमशक्ति, संयंत्र प्रयोग, उपयोगिता एवं अन्य स्रोत जो ठेकेदारों को ऐसी सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, शामिल हैं।

(छ) ठेकेदारों द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं की लागत बीजक या सहमति मूल्य जिसमें प्रभार एवं कर शामिल हैं एवं अन्य खर्च जो कि सीधे उन पर बट्टे (लागत बट्टे से भिन्न), कर और प्रभार जो प्रतिदाय या जिनको जोड़ा जाएगा, के द्वारा किया जाएगा। लागत में अन्य स्रोतों की लागतें भी शामिल होंगी जो ठेकेदारों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ज) अंतर इकाई हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु सेवाओं की लागत में वितरण लागतें भी शामिल होंगी जो ऐसे हस्तांतरणों में खर्च की गई।

(झ) अंतर कंपनी हस्तांतरण के उद्देश्य से सेवाओं की लागत में वितरण लागत भी शामिल होगी जो ऐसे हस्तांतरणों एवं प्रशासनिक ओवरहेडों हेतु अदा की गई।

(ञ) बाहरी पक्षकारों को प्रदान की गई सेवाओं की लागत में वितरण लागत जो ऐसे हस्तांतरण, प्रशासनिक ओवरहेड एवं मार्केटिंग ओवरहेड्स पर अदा की गई शामिल होगी।

(ट) सेवा लागत केंद्र के संबंध में उठाई गई वित्तीय लागतों को सेवा लागत केंद्र की लागत का भाग नहीं माना जाएगा।

- (ठ) सेवा लागत केंद्र की लागत में अभ्यारोपित लागतों को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ड) जहां सेवा लागत केंद्र की लागत का लेखा मानक लागत पर रखा जाता है, मूल्य एवं प्रयोग विचलन जो कि सेवा लागत केंद्र से संबंधित है, को सेवाओं की लागत के भाग के रूप में माना जाएगा। प्रयोग विचलन जो कि असामान्य कारणों के कारण है को असामान्य लागत के रूप में माना जाएगा।
- (ढ) सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी प्रकृति की प्राप्त राशि या प्रदूषण नियंत्रण गतिविधि के संबंध में प्राप्त की जाने वाली यदि कोई हो, को लागत मद को निर्धारित करने की राशि में से कम किया जाएगा जो ऐसी राशियों से संबंधित हैं।
- (ण) सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की लागत का निर्धारण सामान्य क्षमता या वास्तविक उपयोगिता जो भी उच्चतर होगा, द्वारा निर्धारित होगा और अप्रयुक्त लागत यदि कोई हो, को असामान्य लागत माना जाएगा। स्टैंडबाई सेवाओं की लागत में सेवा के लिए ऐसी सुविधा के अनुरक्षण में समर्पित लागतें शामिल होंगी।
- (त) कोई असामान्य लागत जहां यह तात्विक और परिणाम योग्य है वह सेवा लागत केंद्र की लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (थ) पेनल्टी, नुकसानी जो सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को अदा की गई हैं वह सेवा लागत केंद्रों की लागत का भाग नहीं मानी जाएंगी।
- (द) क्रेडिट्स या वसूलियां जो सेवा लागत केंद्रों से संबंधित हैं जिसमें बाहरी पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रभार शामिल हैं, जो तात्विक और परिणाम हैं, को उस सेवा लागत केंद्र की कुल लागत में से घटाया जाएगा।
- (ध) सेवा लागत के माप में प्रयुक्त लागत गणना सिद्धांतों में कोई बदलाव को तभी किया जाए यदि वह विधि द्वारा अपेक्षित हो या बदलाव के परिणामस्वरूप और अधिक उचित रूप से किसी संगठन लागत विवरणों को तैयार करने या प्रस्तुतीकरण में सहायक हो।
- (न) सेवाओं की लागत की गणना करते समय लागत उद्देश्य को आर्थिक रूप से साध्य तरीके से जानना मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे।
- (प) जहां सेवा लागत केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत सीधे रूप से लागत उद्देश्य में नहीं पहचानी जाए, इसको सबसे उपयुक्त आधार पर नियत की जाएगी।
- (फ) लागत केंद्रों के उपभोक्ता सेवाओं को लागत सेवा सेवा केंद्र की लागत के वितरण का सबसे उचित आधार को युक्तियुक्त मापदंडों से निकाला जाएगा जोकि प्रदान की गई सेवाओं के प्रयोग से संबंधित हो। मापदंड सम्यक, युक्तियुक्त एवं निरंतर होंगे।

15. पैकिंग व्यय – (क) घरेलू और निर्यात पैकिंग के उपयुक्त अभिलेख अलग-अलग रखे जाएंगे जिसमें मूल्यांकन का आधार दर्शाते हुए आरंभिक या द्वितीय पैकिंग के लिए विभिन्न पैकिंग सामग्री की मात्रा और लागत तथा अन्य व्यय का उल्लेख किया जाएगा।

(ख) पैकिंग सामग्री की रसीदों का मूल्यांकन खरीद मूल्य पर होगा जिसमें प्रभार और कर, आंतरिक भाड़ा, बीमा और अन्य व्यय जो सीधे रूप से खरीद से संबंधित हैं (निबल व्यापार बट्टा, छूटें, कर और प्रभार जो प्रतिदेय या जो जमा की जाएंगी) जिसकी अर्जन के समय गणना की जा सके।

(ग) पैकिंग सामग्री के अर्जन के संबंध में अदा की गई सीधी वित्तीय लागत को पैकिंग सामग्री लागत का भाग नहीं माना जाएगा।

- (घ) स्वनिर्मित पैकिंग सामग्री का मूल्यांकन जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत, प्रत्यक्ष खर्चे, कार्य प्रभार फैक्टरी ओवरहेड्स जिसमें प्रशासनिक ओवरहेड का अंश शामिल है जिसमें फैक्टरी प्रबंधन एवं प्रशासन शामिल है और अनुसंधान एवं विकास लागत का अंश जो विकास एवं विद्यमान प्रक्रिया या उत्पाद के सुधार पर खर्च किया गया शामिल है।
- (ङ) पैकिंग सामग्री का सामान्य नुकसान या क्षरण जो फैक्टरी में प्राप्त होने से पूर्व हुआ है को शेष सामग्री की निबल लागत जो प्रदाता, बीमाकर्ता, कैरियर्स या निपटान से वसूलियों की निबल राशि में समायोजित किया जाएगा।
- (च) आयातित पैकिंग सामग्री लागत के विदेशी हिस्से को संव्यवहार की तारीख की दर पर परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तन दर में कोई पश्चात्पूर्ति परिवर्तन जब तक भुगतान या अन्यथा न हो जाए को पैकिंग सामग्री लागत का भाग नहीं माना जाएगा।
- (छ) परिवहन एजेंसी या किसी प्राधिकारी द्वारा लगाया गया कोई डैमरेज, अवरोध प्रभार या शास्ति पैकिंग सामग्री की लागत का भाग नहीं होगा।
- (ज) कोई सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या ऐसा कोई प्राप्त भुगतान या प्राप्त किए जाने वाला जो पैकिंग सामग्री के संबंध में हो को उस लागत में से घटाया जाएगा जो ऐसी राशियों से संबंधित है।
- (झ) पैकिंग सामग्री को जारी करने का मूल्यांकन उपयुक्त लागत अवधारणाओं के प्रयोग पर किया जाएगा अर्थात्, पहले आओ पहले पाओ, बाद में आओ पहले जाओ, भारित औसत दर। मूल्यांकन का तरीका निरंतर आधार पर होगा।
- (ञ) जहां पर पैकिंग सामग्री की लागत में परिवहन लागतें शामिल हैं, परिवहन की लागतों का निर्धारण पैरा संख्या 9, जो परिवहन लागतों के निर्धारण पर है, के अनुरूप होगा।
- (ट) पैकिंग सामग्री लागत में अभ्यारोपित लागतें शामिल नहीं होंगी।
- (ठ) जहां पैकिंग सामग्री का लेखाविधि मानक दर पर होता है, ऐसी सामग्री से संबंधित मूल्य विचलन को पैकिंग सामग्री लागत का भाग माना जाएगा और सामान्य कारणों के कारण प्रयोग विचलन को पैकिंग सामग्री लागत का भाग माना जाएगा। असामान्य कारणों से प्रयोग विचलन को असामान्य लागत का भाग माना जाएगा।
- (ड) पैकिंग सामग्री के उपभोग से उत्पन्न सामान्य ह्रास को पैकिंग सामग्री लागत में शामिल किया जाएगा।
- (ढ) कोई असामान्य लागत तात्त्विक और परिणाम है को पैकिंग सामग्री लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ण) पैकिंग सामग्री से उत्पन्न सामान्य स्क्रेप के रूप में कोई क्रेडिट या वसूली यदि कोई हो, को पैकिंग सामग्री की कुल लागत में से घटाया जाएगा जिससे पैकिंग सामग्री की निबल लागत तय की जा सके।
- (त) पैकिंग सामग्री लागत को सीधे रूप से लागत उद्देश्य से आर्थिक रूप से साध्य तक निकाला जाएगा।
- (थ) जहां पैकिंग सामग्री लागतें लागत उद्देश्य से सीधे रूप से नहीं निकाली जा सकती उन्हें उपभोग की गई मात्रा के आधार पर या समान उपाय जैसे तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर नियत किया जाएगा।
- (द) पुनः प्रयोग में लाई जाने वाली पैकिंग की पैकिंग सामग्री उन्हें प्रयुक्त होने की संख्या या समयावधि को ध्यान में रखते हुए लागत को लागत उद्देश्य नियत किया जाएगा।
- (ध) प्राथमिक पैकिंग सामग्री लागत को उत्पादन लागत का भाग माना जाएगा।
- (न) द्वितीयक पैकिंग सामग्री की लागत को वितरण ओवरहेड का भाग माना जाएगा।

16. ब्याज एवं वित्तीय प्रभार – (क) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार लागतें हैं जो किसी उपक्रम द्वारा उधारी या निधियों को मांगने या अन्य लागतें जो वास्तव में गैर-सम्यक फंड के प्रयोग के संदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

- (ख) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार जो अदा किए गए हैं को निम्नलिखित किए पहचान की गई है-
- (i) अधिग्रहण या निर्माण या क्वालीफाइंग आस्तियों का उत्पादन जिसमें स्थिर आस्तियां शामिल हैं, और
- (ii) अन्य वस्तुओं के उत्पादन की वित्तीय लागत या आपरेशन या सेवाएं जो प्रदान की गईं जिन्हें क्वालीफाइंग आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
- (ग) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार जो अधिग्रहण या निर्माण या क्वालीफाइंग आस्तियों के उत्पादन से सीधे संबंधित है, को आस्ति की लागत में शामिल किया जाएगा।
- (घ) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार में अभ्यारोपित लागतें शामिल नहीं होंगी।
- (ङ) सहायिकी या अनुदान या प्रोत्साहन या इसी प्रकृति की प्राप्त राशि या ब्याज एवं वित्तीय प्रभार गतिविधि के संबंध में प्राप्त की जाने वाली यदि कोई हो, को निबल ब्याज एवं वित्तीय प्रभार को निर्धारित करने की राशि में से कम किया जाएगा जो ऐसी राशियों से संबंधित हैं।
- (च) देरी से अदायगी हेतु दाण्डिक ब्याज, जुर्माना, क्षतिपूर्ति एवं समान लेवी जो सांविधिक प्राधिकारियों या अन्य तृतीय पक्षकारों को अदा की गई वह ब्याज एवं वित्तीय शुल्कों का भाग नहीं माना जाएगा यदि कंपनी सांविधिक देय को निर्धारित तारीख से परे लंबित करती है, विलंबित संदाय के लिए अदा किया गया ब्याज को दाण्डिक ब्याज नहीं माना जाएगा।
- (छ) निवेश के लिए अदा किया गया ब्याज या प्राप्त किया गया, को वस्तुओं के उत्पादन या आपरेशन या प्रदाय सेवाओं के अन्य वित्तीय शुल्कों के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।
- (ज) ब्याज एवं वित्तीय शुल्कों को लागत उद्देश्यों हेतु नियत करने के लिए निम्नलिखित दो सिद्धांतों में से किसी पर आधारित होगा अर्थात्, (1) कारण एवं प्रभाव- कारण प्रक्रिया या आपरेशन या गतिविधि है और प्रभाव लागत के कारण होता है। (2) प्राप्त लाभ- विभिन्न लागत उद्देश्यों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के अनुपात में बांटे जाएंगे।

17. लागत की कोई अन्य मद - लागत की किसी अन्य मद, जिसे लागत अभिलेखों में शामिल करने के लिए अपरिहार्य और आवश्यक समझा जाए, के उपयुक्त अभिलेख निर्दिष्ट माल या सेवाओं के कुल और प्रति इकाई लाभ, बिक्री की लागत, माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत की गणना के लिए रखे जाएंगे।

18. क्षमता निर्धारण:- (क) क्षमता निर्धारण उत्पादन की इकाइयों या समतुल्य मशीन या श्रम घंटों के संबंध में किया जाएगा।

- (ख) स्थापित क्षमता (i) निर्माताओं की तकनीकी विशिष्टताओं, (ii) व्यक्तिगत या अंतरसंबंधित उत्पादन केन्द्रों की क्षमताओं; (iii) परिचालन की कर्मियों या आलोचनात्मक मशीनों की क्षमता; (iv) पारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- (ग) यदि निर्माताओं की तकनीकी विशिष्टताएं उपलब्ध नहीं है तो, अनुकूल शर्तों के अधीन क्षमता पर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुमान स्थापित क्षमता निर्धारण के लिए माना जाएगा। यदि कोई उत्पादन सुविधा स्थापित क्षमता में शामिल या हटाई जाती है तो उसका पुनर्मूल्यांकन इस तरह शामिल करने या हटाने की तारीख से किया जाएगा। यदि इसका सरकार के निदेशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उक्त निदेशों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। यदि उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ है तो, स्थापित क्षमता का पुनर्मूल्यांकन ऐसे सुधार की तारीख से किया जाएगा।

(घ) सामान्य क्षमता का निर्धारण (i) छुट्टियों, सामान्य कामबंदी दिवसों और सामान्य निष्क्रिय समय (ii) बैच परिवर्तन में व्यतीत सामान्य समय; (iii) निरोधक अनुरक्षण और उपकरणों की सामान्य विफलता के कारण लगा समय; (iv) पुराने उपकरणों के कारण क्षमता की कमी; (v) पारियों की संख्या के लिए समायोजन करने के बाद स्थापित क्षमता के साथ किया जाएगा

(ङ) क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता की एक प्रतिशतता के रूप में मापित वास्तविक उत्पादन है।

19. चालू कार्य तथा तैयार स्टॉक:- चालू कार्य और तैयार माल के स्टॉक तथा परिदान के लिए तैयार या प्रक्रियाधीन सेवाओं की लागत के निर्धारण की उपयुक्त प्रणाली होगी और उसका उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा ताकि वह लागत अंश स्पष्ट हो जिसके आधार पर उक्त गणना की गई है। निर्माणाधीन और तैयार स्टॉक की लागत की गणना करते समय माल सूची को वर्तमान स्थल पर लाने तथा दशा पर हुए सभी परिवर्तन व्ययों को ध्यान में रखा जाएगा। चालू और तैयार स्टॉक की लागत के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली सतत रूप से अपनाई जाएंगी।

20. कैप्टिव उपभोग:- यदि निर्दिष्ट माल या सेवाओं का प्रयोग सीमित उपभोग के लिए किया जाता है तो स्वतः खपत के लिए कंपनी के अन्य विभागों या लागत केन्द्रों या ईकाइयों में स्थानांतरित या बाहरी पक्षों को बेची गई प्रत्येक ऐसे माल या सेवा की मात्रा और लागत के उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

21. गौण उत्पाद और संयुक्त उत्पाद:- (क) निर्मित उप उत्पाद की प्रत्येक मद, यदि कोई हो, के उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से आवृत्ति, निर्गम और बकाया दर्शाया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया हेतु ऋण देने के लिए गौण उत्पाद के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार समरूप और सतत होना चाहिए तथा उसका उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाना चाहिए। प्रक्रिया, यदि कोई है तो, उस पर हुए व्यय और गौण उत्पाद की वास्तविक बिक्री वसूली के अभिलेख रखे जाए। ऋण या गौण उत्पादों की बिक्री से हुई वसूली के संबंध में उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

(ख) उचित अभिलेख उत्पादों या सेवाओं के विक्षेपण बिंदु तक लागत रखी जाएगी और तर्कसंगत और न्यायोचित आधार पर संयुक्त उत्पादों या सेवाओं का विभाजन किया जाएगा और लगातार लागू किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया से तैयार विभिन्न उत्पादों या सेवाओं की संयुक्त लागत के प्रभाजन के आधार का उल्लेख का लागत अभिलेखों में किया जाए। संयुक्त उत्पाद या सेवाओं के निपटान के लिए ऋण या वसूलियों के संबंध में उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

22. लागत में अंतर का समायोजन:- जहां कंपनी वास्तविक से भिन्न मानक लागत के स्थान पर किसी और आधार पर लागत अभिलेख रखती है तो अभिलेखों में उक्त प्रणाली के अधीन माल या सेवाओं की लागत की गणना के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा। अलग-अलग खर्चों के सामने लागत अंतर दर्शाया जाएगा और सामग्री, श्रम, उपरी शीर्ष के अधीन वि लेषित किया जाएगा और उसे मात्रा, कीमत और कार्यक्षमता में आगे बांटा जाए। माल या सेवाओं की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए लागत अंतर के समायोजन के लिए अपनाई गई प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। अंतर के कारणों का उचित स्पष्टीकरण लागत अभिलेखों और विवरणों में दिया जाएगा।

23. लागत और वित्तीय लेखों का समायोजन:- लागत विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों से समायोजित किए जाएंगे और उनमें स्पष्ट रूप से ऐसे व्यय या आय का उल्लेख होगा जिन पर लागत अभिलेखों या विवरणों में विचार नहीं किया गया है ताकि उनका सटीक होना सुनिश्चित किया जा सके और निर्दिष्ट माल या सेवाओं के लाभ का समायोजन कंपनी के समग्र लाभ से हो सके। अंतर यदि कोई हो तो, उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा और स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

24. संबंधित पक्षकार संव्यवहार : (क) संबंधित पक्षकार से कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 76 के अधीन परिभाषित संबंधित पक्ष अभिप्रेत है।

(ख) “ सामान्य” मूल्य से व्यापार और वाणिज्य जहां बिक्री के एकमात्र विचार में मूल्य प्रभारित किया जाता है और ऐसी बिक्री संबंधित पक्ष को नहीं की जाती है की सामान्य कार्यप्रणाली में तुलना योग्य या समान उत्पादों के लिए मूल्य प्रभारित हो, अभिप्रेत है। सामान्य मूल्य एक मूल्य का पदच्छेद कर सकता है, जिस पर दो असंबंधित पक्ष और गैर जोखिम पक्षों एक विनिमय के लिए सहमत होती है और जहां ऐसा विनिमय लेन-देन करने के लिए पक्षों की निकटता के कारण अस्पष्टता नहीं हो तथा पक्षकारों के साझा हित के प्रभाव से मुक्त हों।

(ग) सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अंगीकृत आधार निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:—

- (i) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य पद्धति
- (ii) पुनर्विक्रय मूल्य पद्धति
- (iii) लागत अतिरिक्त पद्धति
- (iv) लाभ विभक्त पद्धति
- (v) लेन-देन शुद्ध लाभ पद्धति
- (vi) अन्य कोई विधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(घ) कंपनी द्वारा किसी ऐसी कंपनी को जिसे “संबंधित पक्षकार संबंध” कहा गया है और विलोमतः स्थिति में, संबंधित पक्ष लेन-देन या की गई आपूर्ति या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निम्नलिखित के संबंध में किए गए करार, अनुबंधों या समझौतों को दर्शाया जाएगा:-

- (i) कच्चे माल की खरीद और बिक्री, तैयार माल, सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रक्रियाधीन सामग्री और कतरन समेत रद्द किया गया माल और अन्य संबंधित सामान;
- (ii) संयंत्र – सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी का उपयोग;
- (iii) जनसुविधाओं और अन्य सेवाओं की आपूर्ति;
- (iv) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय या कोई अन्य परामर्शदात्री सेवाएं;
- (v) संयंत्र और मशीनरी समेत पूंजीगत माल की खरीद और बिक्री; और
- (vi) निर्दिष्ट माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य भुगतान

(ङ) इन अभिलेखों में उस आधार पर भी उल्लेख किया जाएगा जिसके आधार पर इन माल या सेवाओं के लिए दरें तय की गई या भुगतान किया गया ताकि इन दरों, जहां तक वे निर्दिष्ट माल और सेवाओं से संबंधित हैं, के बारे में इन दरों के औचित्य का निर्धारण किया जा सके।

25. निर्यात पर व्यय या प्रोत्साहन: (क) निर्दिष्ट माल या सेवाओं के निर्यात बिक्री पर हुए व्यय, यदि कोई है, के अलग-अलग उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे ताकि निर्यात बिक्री की सही लागत का निर्धारण किया जा सके। निर्यात किए गए माल या सेवाओं के अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएंगे जिनमें निर्यात पर हुए व्यय या अर्जित प्रोत्साहनों के ब्यौरे दिए जाएंगे।

(ख) उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें अनुज्ञप्ति वार वचनबद्ध निर्यात और ‘इन वचनबद्धताओं’ को पूरा करने, अनुपालन न करने पर उनके कारण, यदि कोई हो, के ब्यौरे दिए जाएंगे। उत्पाद फीस मुक्त आयात की दशा में लागत विवरणों में इस तथ्य को दर्शाया जाएगा। यदि वास्तविक उत्पादन के पश्चात् उत्पाद फीस मुक्त आयात किया गया है तो यह तथ्य भी विवरण में दर्शाया जाएगा।

26. उत्पादन अभिलेख: सभी तैयार माल (पैकड या बिना पैकड) या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निर्दिष्ट माल या सेवाओं की विभिन्न किस्म के उत्पादन, बिक्री के लिए निर्गम और बकाया दर्शाया जाएगा। स्वयं

उत्पादित, तृतीय पक्ष द्वारा जॉब वर्क, ऋण अनुज्ञप्ति आधार आदि के लिए माल के उत्पादन या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे।

27. बिक्री अभिलेख: नियंत्रित कीमतों पर घरेलू बिक्री, बाजार कीमत पर घरेलू बिक्री, अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात बिक्री, अन्य बाध्यताओं के अधीन निर्यात बिक्री, बाजार कीमत पर निर्यात बिक्री, संबंधित पक्ष या अंतः एकक अंतरण को बिक्री के संबंध में बिक्री के अलग-अलग ब्यौरे रखे जाएंगे। नियंत्रित कीमतों पर घरेलू परिदान या बिक्री, बाजार कीमत पर घरेलू परिदान या बिक्री, अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात परिदान या बिक्री, अन्य बाध्यताओं के अधीन निर्यात परिदान या बिक्री, बाजार कीमत पर निर्यात परिदान या बिक्री, संबंधित पक्ष या अंतर यूनिट स्थानांतरण को परिदान या बिक्री की दशा में, उक्त ब्यौरे प्रत्येक संयंत्र या इकाई वार या सेवा केन्द्र वार कुल के साथ-साथ प्रति एकक वसूली के लिए अलग-अलग रखे जाएंगे।

28. लागत विवरण:- (क) निर्दिष्ट प्रत्येक माल या सेवा के संबंध में मात्रात्मक सूचना दर्शाते हुए लागत विवरण (मासिक, तिमाही और वार्षिक) तैयार किए जाएंगे जिनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध क्षमता के ब्यौरे, वास्तविक उत्पादन, उत्पाद फीस अभिलेखों के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग (इन-हाउस), व्यापार के लिए खरीदा गया स्टॉक, स्टॉक और अन्य समायोजन, बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा, अपव्यय और वार्षिक बिक्री, अन्य संबंधित मामले आदि दर्शाए जाएंगे।

(ख) इन विवरणों में लागत की सभी प्रमुख मदों जिनमें माल या सेवाओं के उत्पादन की लागत, माल या सेवाओं की बिक्री की लागत और कुल के साथ-साथ माल या सेवाओं की प्रति यूनिट अतिरिक्त मार्जिन शामिल है, से संबंधित ब्यौरे भी शामिल किए जाएंगे। किसी प्रक्रिया से तैयार होने वाली माल या सेवा जो कि पश्चातवर्ती प्रक्रिया में कच्चे माल या आदान सामग्री या सेवा का रूप लेती है, का मूल्य पिछले चरण तक उत्पादन या सेवा की लागत के आधार पर लगाया जाएगा।

(ग) अप्रत्यक्ष करों के समायोजन के संबंध में लागत विवरणों (तिमाही और वार्षिक) में माल या सेवाओं की कुल निकासी, मूल्यांकन योग्य मूल्य, भुगतान किया गया फीस या कर सैनवेट या वेट या उपयोग किया गया सेवा कर प्रत्यय, वसूल किए गए फीस या कर तथा भुगतान किया गया ब्याज या शास्ति के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे।

(घ) यदि कंपनी एक से अधिक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र चला रही है तो प्रत्येक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र के संबंध में उपर निर्दिष्ट अनुसार अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएंगे।

(ङ) कंपनी द्वारा उत्पादित माल या सेवाओं की लागत और लाभ की उपयुक्त प्रस्तुति के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य विवरण या जानकारी सूचना भी तैयार किया जाएगा।

29. सांख्यिकीय अभिलेख: (क) निर्दिष्ट माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न उत्पादन विभागों में उपलब्ध मशीन घंटे या प्रत्यक्ष मजदूरी घंटे तथा उनके वास्तविक उपयोग तथा उनमें कमी के उपयुक्त विश्लेषण के बारे में अभिलेख रखे जाएंगे। मशीन और या श्रम के निष्क्रिय रहने के घंटों की गणना का उपयुक्त अभिलेख रखा जाएगा और विश्लेषण किया जाएगा।

(ख) उपयुक्त अभिलेख इस दृष्टि से रखे जाएंगे कि कंपनी निर्दिष्ट माल और सेवाओं तथा अन्य माल और सेवाओं के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगाई गई पूंजी, निवल अचल आस्तियों और चालू पूंजी को अलग-अलग चिह्नित कर सके। चिह्नित न की जा सकने वाली मदों का आबंटन अलग-अलग माल या सेवाओं के लिए उपयुक्त और औचित्यपूर्ण ढंग से किया जाए। निर्दिष्ट माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अचल संपत्तियों पर किए गए ऐसे नये निवेश जिनका संगत अवधि या वर्ष के दौरान माल के उत्पादन या सेवाएं उपलब्ध कराने में योगदान नहीं है, का उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। इसके अलावा, अभिलेखों में, प्रतिस्थापन के रूप में और विद्यमान क्षमता बढ़ाने के लिए लाई गई आस्तियों को दर्शाया जाएगा।

30. भौतिक सत्यापन के अभिलेख: स्टॉक में रखी सभी मदों जैसे कि कच्चे माल, प्रक्रियाधीन सामग्री, पैकिंग सामग्री, उपभोग्य भंडारण, मशीनरी के अतिरिक्त कल-पुर्जे, रसायन, ईंधन, तैयार माल और अचल आस्तियों आदि के संबंध में भौतिक सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंगे। इन सत्यापनों के फलस्वरूप कमी या अतिरिक्त मदों के कारणों तथा माल या सेवाओं की लागत में उनके समायोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली का उल्लेख अभिलेखों में किया जाएगा।

प्ररूप सीआरए-3**[कंपनी संशोधन (लागत अभिलेख एवं लेखा) नियम, 2014 के [नियम 6(4) के अनुसरण में]]****लागत लेखा रिपोर्ट का प्ररूप**

मैं/हम.....कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 (3) के अधीन. (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय(कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का उल्लेख करें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) के लागत लेखापरीक्षक नियुक्त होने के बाद अवधि/वर्ष..... (वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 148 के अधीन आने वाले लेखा बहियों तथा (उत्पादों/सेवाओं के नाम का उल्लेख करें) के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए अन्य संगत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा की है पैरा 2 में उल्लिखित मेरी/ हमारी आक्षेप तथा सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं।

- (i) मुझे/हमें मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य जानकारी और विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं जो कि इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- (ii) मेरे/हमारे राय के अनुसार कंपनी संशोधन नियम, 2014 (लागत अभिलेख और लेखा) के नियम 5 के अनुसार निर्दिष्ट उत्पादों/ सेवाओं के विषय में कंपनी द्वारा उचित लागत अभिलेख तैयार नहीं किया गया।
- (iii) मेरे/हमारे राय के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं की गई शाखाओं से लागत लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लिए वास्तविक उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।
- (iv) मेरे/हमारे राय के अनुसार और मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार उक्त पुस्तक और अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से देती/नहीं देती हैं।
- (v) मेरे/हमारे राय के अनुसार कंपनी में लागत रिकॉर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा की उचित प्रणाली है नहीं है, जो मेरे/हमारे मत के अनुसार अपने व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप है।
- (vi) मेरे/हमारे राय के अनुसार इस लागत रिपोर्ट के उपाबंध में दी गई सूचना व विवरण उत्पाद (उत्पादों) के उत्पादन/सेवा (सेवाओं) के सर्म्पण बिक्री की लागत, मार्जिन और निर्दिष्ट वस्तु (वस्तुओं)/ सेवा (सेवाओं) से संबंधित अन्य सूचना सत्य और सही सूचना देते /नहीं देते हैं।
- (vii) मेरे/हमारे द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षण एवं प्रमाणित कंपनी के अधीन उत्पाद/सेवा के संबंध में विस्तृत इकाई-वार तथा उत्पाद/सेवा वार लागत कथन तथा अनुसूचियों को कंपनी में रखा/नहीं रखा जाता है।

2. लागत लेखापरीक्षा से संबंधित लागत लेखापरीक्षक की जांच और सुझाव, यदि कोई हो तो।

तारीख दिन...../मास...../वर्ष

स्थान (इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का स्थान).....

लागत लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों)
का हस्ताक्षर और मुहर
सदस्यता संख्या

टिप्पणियाः- (1) ऐसे शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं है।

(2) लेखा बहियों की जांच के परिणास्वरूप यदि लेखा परीक्षक किसी तथ्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना या सशर्त रिपोर्ट देना चाहता है तो पायी गई विसंगति का विवरण देते हुए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित प्ररूप में संबंधित पैरा (i) से (vii) के सामने लिखें।

(3) लागत लेखापरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट, सुझाव, जांच और निष्कर्ष सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होगी। जिसका संदर्भ जहां संभव हो यहां दिया जाएगा और कंपनी को उन पर टिप्पणी करने का अवसर मिलने के बाद शामिल किया जाएगा।

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उपाबंध

भाग-क

1. साधारण सूचना:

- 1 कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या:
- 2 कंपनी का नाम:
- 3 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या भारत में कंपनी के व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता:
- 4 कंपनी के कारपोरेट कार्यालय का पता:
- 5 कंपनी का ई-मेल पता:
- 6 रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के शुरुआत की तारीख: दिन/मास/वर्ष
- 7 रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख: दिन/मास/वर्ष
- 8 पूर्व वित्तीय वर्ष के शुरुआत की तारीख: दिन/मास/वर्ष
- 9 पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख: दिन/मास/वर्ष
- 10 लागत बयान में उपयोग किया गया पूर्णता का स्तर: पूर्ण/हजार/लाख/करोड़
- 11 संस्था की मुद्रा रिपोर्टिंग: आईएनआर
- 12 रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागत लेखाकारों की संख्या:
- 13 निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें लागत लेखा रिपोर्ट के उपाबंध का अनुमोदन किया गया:
- 14 क्या लागत लेखाकारों के रिपोर्ट अहर्ता प्राप्त है या इसमें कोई संदेह है या इससे प्रतिकूल टिप्पणी शामिल है:
- 15 सभी लागत लेखाकारों की समेकित अहर्ताएं, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणियां
- 16 सभी लागत लेखाकारों की समेकित टिप्पणी या सुझाव
- 17 क्या कंपनी ने सौदे या वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए संबंधित पक्ष विनिमय किए हैं।

2. लागत लेखाकार का साधारण विवरण:

1.	क्या लागत लेखाकार ही प्रमुख लेखाकार है	
2.	लागत लेखाकार का वर्ग	
3.	फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
4.	लागत लेखाकार/ लागत लेखाकार के फर्म का नाम	
5.	लागत लेखाकार/ लागत लेखाकार की पैन संख्या	
6.	लागत लेखाकार या लागत लेखाकार का पता	
7.	लागत लेखाकार या लागत लेखाकार का ई-मेल पता	
8.	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य की सदस्यता संख्या	

9.	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का नाम	
10.	सीईटीए शीर्षक के साथ वस्तु (वस्तुओं) या सेवा (सेवाओं) के नाम	
11.	प्रपत्र 23 ग/सीआरए-2 की एसआरएन संख्या	
12.	वर्ष के दौरान लागत लेखाकारों द्वारा उपस्थित लेखा समिति बैठकों की संख्या	
13.	लागत लेखाकार द्वारा लागत लेखा रिपोर्ट एवं उपाबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख	
14.	लागत लेखाकार द्वारा लागत लेखा रिपोर्ट एवं उपाबंध पर हस्ताक्षर करने का स्थान	

3. लागत लेखाविधि नीति:

(1) कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखाविधि नीति का संक्षिप्त विवरण दें और निर्दिष्ट प्रत्येक उत्पाद (उत्पादों)/सेवा (सेवाओं) के लिए अलग-अलग उत्पादन/प्रचालन लागत, बिक्री लागत, बिक्री प्राप्तियां और मार्जिन को सही-सही निर्धारित करने के लिए इसकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता बताएं:

- (क) लागत केन्द्र/लागत लक्ष्य और लागत प्रेरक की पहचान
- (ख) पैकिंग सामग्री, भंडार और अतिरिक्त आदि सहित लागत सामग्री, कर्मचारी लागत, उपयोगी वस्तुएं और अन्य सुसंगत लागत अवयव के लिए लेखाविधि
- (ग) सिरोपरि लेखाविधि, आवंटन और समामेलन
- (घ) अवक्षयण/ऋण परिशोधन के लिए लेखाविधि
- (ङ) सह-उत्पाद/सह युक्त-उत्पाद या सेवाओं, स्क्रेप, रद्दी आदि के लिए लेखाविधि
- (च) वस्तु सूची मूल्यांकन का आधार
- (छ) अंतर-इकाई/अंतर कंपनी और संबंधित पक्ष लेन-देन के मूल्यांकन की पद्धति
- (ज) अन्य गैर-लागत मदों के वर्गीकरण सहित असामान्य और गैर आवर्ती लागतों का समाधान
- (झ) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य संगत लागत लेखाविधि नीति

(2) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में लेखापरीक्षा के अधीन वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) के लिए लागत लेखा-नीति में किए गए परिवर्तनों यदि कोई हो तो का संक्षिप्त ब्यौरा दें, ।

(3) कंपनी द्वारा अनुपालित बजट नियंत्रण प्रणाली में कमी या अन्यथा लेने संबंधी लागत लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, यदि कोई हैं, तो

4. उत्पाद/सेवा का ब्यौरा (समग्र कंपनी के लिए)

उत्पाद (उत्पादों)/सेवा (सेवाओं) का नाम	माप की इकाई	सीईटीए शीर्ष (जहां लागू हो)	क्या लागत लेखा के अधीन सुरक्षित है हां/नहीं	वास्तविक परिचालन राजस्व (करों, शुल्कों आदि का वास्तविक राजस्व)	
				चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.					
2.					
3.					
4.					
.....					
परिचालन से प्राप्त कुल सकल राजस्व					
कंपनी की अन्य आय					
वित्तीय लेखाओं के अनुसार कुल राजस्व					
असाधारण आय, यदि कोई हो					
असाधारण आय सहित कुल राजस्व, यदि कोई हो					
उत्पाद/सेवा कर के रिकार्ड के आधार पर व्यापारावर्त					
टिप्पण वार्षिक लेखा के अनुसार व्यापारावर्त और उत्पाद/सेवा कर अभिलेख के अनुसार व्यापारावर्त का बीच का अंतर, यदि कोई हो, की व्याख्या करें।					

भाग-ख
विनिर्माण क्षेत्र के लिए

मात्रात्मक सूचना (प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक सीईटीए शीर्षक सहित)			
उत्पाद का नाम			
सीईटीए शीर्षक			
ब्योरा	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. उपलब्ध क्षमता			
(क) स्थापित क्षमता			
(ख) वर्ष के दौरान संवर्धित क्षमता, यदि कोई हो			
(ग) पट्टा व्यवस्था यदि कोई हो के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(घ) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(ङ) कुल उपलब्ध क्षमता			
2. वास्तविक उत्पादन			
(क) स्वतः विनिर्मित/प्रदत्त			
(ख) पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित/आउटसोर्स की गई			
(ग) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों द्वारा जॉब कार्य/आउटसोर्सिंग एजेंसी			
(घ) कुल उत्पादन/प्रदत्त सेवाएं			
3. उत्पाद फीस अभिलेखों के अनुसार उत्पादन			
4. क्षमता उपयोग (इन हाउस)			
5. तैयार माल खरीद			
(क) तैयार माल की घरेलू खरीद			
(ख) तैयार माल का आयात			
(ग) खरीदे हुए तैयार माल का कुल			
6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन			
(क) तैयार वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन/ निर्गामी सेवाओं का मूल्य			
(ख) स्वतः/आवद्ध खपत/आंतरिक सेवाएं (नमूना आधि सहित)			
(ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन यदि कोई हो (क्षति आदि)			
(घ) कुल समायोजन			
7. बिक्री के लिए कुल उपलब्ध मात्रा प्रदत्त सेवाएं [2 (घ)+5(ग)-6 (घ)]			
8. वास्तविक विक्रय			
(क) उत्पादों का घरेलू विक्रय			
(ख) ट्रेड उत्पादों का घरेलू विक्रय			
(ग) उत्पादों का निर्यात विक्रय			
(घ) ट्रेड उत्पादों का निर्यात विक्रय			
(ङ) विक्रय की गई कुल मात्रा प्रदत्त सेवाएं			

2. संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक सीईटीए शीर्षक सहित)							
उत्पाद का नाम							
सीईटीए शीर्षक							
मात्रा की इकाई							
		उत्पादन	तैयार माल की खरीद	समाप्त स्टॉक समायोजन	सीमित उपभोग	अन्य समायोजन	विक्रय मात्रा
	चालू वर्ष						
	पूर्ववर्ती वर्ष						
क्र. सं.	ब्यौरा	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		रकम (रुपए में)	प्रति इकाई दर (रु)	रकम (रु).	प्रति इकाई दर (रु)		
1.	उपभोग की हुई सामग्री (पैरा 2 क के अनुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।)						
2.	प्रक्रिया सामग्री/ रसायन						
3.	उपयोगिता (2 ख के अनुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें।)						
4.	प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत						
5.	प्रत्यक्ष व्यय						
6.	उपभोज्य स्टोर एवं पुर्जे						
7.	मरम्मत एवं रख रखाव						
8.	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय						
9.	शोध एवं विकास व्यय						
10.	तकनीकी जानकारी फीस/स्वामिस्व						

11.	अवक्षयण /क्रमिक अपाकरण				
12.	अन्य उत्पादन उपरी व्यय				
13.	उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय [पैरा 2(ग) के अनुसार ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें]				
14.	कुल (1 से 13)				
15.	कार्य की प्रगति में वृद्धि/कमी				
16.	घटाए: वसूली के लिए खाते में जमा करना; यदि कोई हो,				
17.	प्राथमिक बैंकिंग लागत				
18.	उत्पादन/परिचालन का लागत (14+15 से 17)				
19.	तैयार माल की खरीद की लागत				
20.	उत्पादन एवं खरीद की कुल लागत (18+19)				
21.	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी				
22.	घटाए: स्वतः/सीमित उपभोग (नमूना आदि सहित)				
23.	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)				
24.	उत्पादन की लागत/विका हुआ उत्पाद का परिचालन (20+21 से 23)				
25.	प्रशासनिक उपरी व्यय				
26.	द्वितीय बैंकिंग लागत				
27.	विक्री और वितरण व्यय				
28.	ब्याज से पूर्व विक्री का लागत (24 से 27)				
29.	ब्याज एवं वित्तीय व्यय				

30.	बिक्री की लागत (28+29)				
31.	वास्तविक बिक्री प्राप्ति (करों एवं शुल्कों का वास्तविक रूप)				
32.	मार्जिन (लागत लेखाओं के अनुसार लाभ/नुकसान) (31-30)				
टिप्पण:					
1.	उत्पाद को दर्शाने वाले प्रत्येक सीईटीए शीर्षक के लिए पृथक लागत विवरण तैयार किए जाएंगे				
2.	यदि समान उत्पाद के भिन्न इकाई मान हो, तो भिन्न इकाई मान के लिए पृथक लागत विवरण पैरा किए जाएंगे				
3.	प्ररूप में दर्शाया हुए मदों का लागत सांकेतिक है तथा इसका परिलक्षण उत्पाद में मद के लागत के महत्व को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। उद्योग/उत्पाद की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्ररूप को यथोचित उपांतरित किया जा सकता है।				
4.	यदि कंपनी पूर्व-निर्धारित या मानक लागत निकाय का पालन करती है तो, उपर्युक्त लागत विवरण में अंतर के समायोजन के बाद वास्तविक आंकड़े परिलक्षित होने चाहिए, यदि कोई हो				

2 क. उपभुक्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा

उत्पाद का नाम								
सीईटीए शीर्षक								
सामग्री का वर्णन	वर्ग	माप की इकाई	मात्रा	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष		
				प्रति इकाई दर (₹)	रकम	मात्रा	प्रति इकाई दर (₹)	रकम
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
वर्ग: स्वदेशी/आयातित/स्व विनिर्मित								

2ख. उपभुक्त सामग्री का विस्तृत विवरण

उत्पाद का नाम							
सीईटीए शीर्षक							
सामग्री का वर्णन	माप की इकाई	मात्रा	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष		
			प्रति इकाई दर (रु)	राशि	मात्रा	प्रति इकाई दर (रु)	रकम
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

2ग. उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का विस्तृत ब्यौरा			
उत्पाद का नाम			
सीईटीए शीर्षक			
उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का वर्णन		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
		रकम	रकम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

भाग-ग
सेवा क्षेत्र के लिए

2. मात्रात्मक सूचना (पृथक रूप से प्रत्येक सेवा के लिए)			
सेवा का नाम			
सेवा कोड (यदि लागू हो)			
विशिष्टियां	माप की इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. उपलब्ध क्षमता			
(क) संस्थापित क्षमता			
(ख) वर्ष के दौरान क्षमता वृद्धि, यदि कोई हो			

(ग) कुल उपलब्ध क्षमता			
2. वास्तविक प्रदत्त सेवाएं			
(क) स्व सेवाएं			
(ख) सविंदात्मक उपयोजन के अधीन सेवाएं			
(क) आउटसोर्स सेवाएं			
(ख) कुल सेवाएं			
3. सेवा कर अभिलेख के अनुसार कुल प्रदत्त सेवाएं			
4. क्षमता उपयोगिता (इन हाउस)			
5. वास्तविक बिक्री			
(क) प्रदत्त सेवाएं- घरेलू			
(ख) प्रदत्त सेवाएं- निर्यात			
(ग) कुल प्रदत्त सेवाएं			

2. संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक सेवा के लिए पृथक रूप से)					
सेवा का नाम					
सेवा कोड (यदि लागू हो)					
माप की इकाई					
		प्रदत्त सेवाएं	सीमित उपभोग	अन्य समायोजन	प्रदत्त सेवाएं
	चालू वर्ष				

	पूर्ववर्ती वर्ष				
क्र. सं.	ब्यौरा	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष
		रकम (रुपए)	प्रति इकाई दर (रुपए)	रकम (रुपए)	प्रति इकाई दर (रुपए)
1.	उपभोग की हुई सामग्री (पैरा 2 क के अनुसार ब्यौरा दें)				
2.	उपयोगिता (पैरा 2ख के अनुसार विस्तृत ब्यौरा दें)				

3.	प्रत्यक्ष कर्मचारी लागत				
4.	प्रत्यक्ष व्यय				
5.	उपभोज्य स्टोर एवं पुर्जे				
6.	मरम्मत एवं रख रखाव				
7.	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय				
8.	शोध एवं विकास व्यय				
9.	तकनीकी जानकारी फीस/स्वामिस्व				
10.	अवक्षयण/क्रमिक अपाकरण				
11.	अन्य उत्पादन उपरी व्यय				
12.	उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय (पैरा 2(ग) के अनुसार विस्तृत ब्यौरे दें)				
13.	कुल (1 से 12)				
14.	घटाए: वसूली के लिए खाते में जमा करना; यदि कोई हो,				
15.	प्रदत्त सेवाओं की लागत (13-14)				
16.	आउटसोर्स/संविदागत सेवाओं की लागत				
17.	कुल उपलब्ध सेवाएं				
18.	घटाए: स्वतः/सीमित उपभोग (नमूना आई सहित)				
19.	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)				
20.	विक्रय सेवाओं की लागत (17-18+19)				
21.	प्रशासनिक उपरी व्यय				
22.	विक्री और वितरण व्यय				
23.	ब्याज से पूर्व बिक्री का लागत (20+21+22)				
24.	ब्याज एवं वित्तीय व्यय				

25.	बिक्री की लागत (23-24)				
26.	वास्तविक बिक्री प्राप्ति (करों एवं शुल्कों का वास्तविक रूप)				
27.	मार्जिन (लागत लेखाओं के अनुसार लाभ/ (नुकसान)				
	टिप्पणः				
1.	वस्तु को दर्शाने वाले प्रत्येक सीईटीए शीर्षक के लिए पृथक लागत विवरण तैयार किए जाएं				
2.	यदि समान उत्पाद के भिन्न इकाई मान हो, तो भिन्न इकाई मान के लिए पृथक लागत विवरण पैरा किए जाएं				
3.	उद्योग/सेवाओं की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए प्ररूप में उपयुक्त उपांतरण किए जाएं				
4.	यदि कंपनी पूर्व-अवधारित या मानक लागत निकाय का पालन करती है तो, उपर्युक्त लागत विवरण में अंतर के समायोजन के बाद वास्तविक आंकड़े परिलक्षित होने चाहिए, यदि कोई हो।				

2क. उपभुक्त सामग्रियों का विस्तृत ब्यौरा

सेवाओं का नाम								
सेवा कोड (यदि लागू हो)								
सामग्री का वर्णन	वर्ग	माप की इकाई	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
			मात्रा	प्रति इकाई दर (रु)	रकम	मात्रा	प्रति इकाई दर (रु)	रकम
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
वर्ग: स्वदेशी/आयातित/स्व विनिर्मित								

2ख. उपभुक्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा								
सेवा का नाम								
सेवा कोड (यदि लागू हो)								
सामग्री का वर्णन	वर्ग	माप की इकाई	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
			मात्रा	प्रति इकाई दर (रु)	रकम	मात्रा	प्रति इकाई दर (रु)	रकम
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2ग. उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का विस्तृत ब्यौरा		
सेवाओं का नाम		
सेवा कोड (यदि लागू हो)		
उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय का वर्णन	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
	रकम	रकम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

8.		
9.		
10.		

भाग-घ

1. उत्पाद एवं सेवा लाभप्रदता विवरण (लेखांकित उत्पादों/सेवाओं के लिए)

क्र.सं.	व्यौरा	विक्री	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष		
			विक्री. की लागत	मार्जिन	विक्री	विक्री. की लागत	मार्जिन
	उत्पाद 1						
	उत्पाद 2						
	उत्पाद 3						
आदि						
	सेवा 1						
	सेवा 2						
	सेवा 3						
	...आदि						
	कुल						

2. लाभ समाधान (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष रुपए	पूर्ववर्ती वर्ष रुपए
1.	लागत लेखा अभिलेख के अनुसार लाभ या नुकसान		
	(क) लेखा परीक्षित उत्पादों/सेवाओं के लिए		
	(ख) गैर परीक्षित उत्पादों/सेवाओं के लिए		
2.	जोड़े: लागत लेखा खातों में न मानी गई आय (व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		
	(क)		
	(ख)		
	(ग)		
	(घ)		
	(ङ)		
	(च)		
	(छ)		

	(ज)		
	(झ)		
	(ञ)		
3.	घटाए: लागत लेखा खातों में न माना गया व्यय (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		
	(क)		
	(ख)		
	(ग)		
	(घ)		
	(ङ)		
	(च)		
	(छ)		
	(ज)		
	(झ)		
	(ञ)		
4.	वित्तीय लेखा खातों एवं लागत लेखा खातों के बीच स्टॉक मूल्यांकन में अंतर		
5.	अन्य समायोजन, यदि कोई हो		
6.	वित्तीय लेखा खातों के अनुसार लाभ या नुकसान		
	टिप्पण: असामान्य अपव्यय, हड़ताल/लौक-आउट पर व्यय एवं अन्य किसी मदों के व्यय या असामान्य प्रकृति के आय आदि दर्शाए, जिनके पृथक लागत पर विचार नहीं किया गया है।		

3. उपार्जन का मूल्य संवर्धन एवं वितरण (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां	चालू वर्ष रुपए	पूर्ववर्ती वर्ष रुपए
	मूल्य संवर्धन		
1.	कुल बिक्री (बिक्री विवरणी रहित)		
2.	घटाए: उत्पाद शुल्क आदि		
3.	शुद्ध बिक्री		
4.	जोड़े: निर्यात प्रोत्साहन		
5.	जोड़े/घटाए: तैयार स्टॉक में समायोजन		
6.	घटाए: खरीदे हुए निवेश की लागत		
	(क) उपयुक्त सामग्री की लागत		
	(ख) प्रक्रिया सामग्री/रसायन		
	(ग) स्टोर और पुर्जों की खपत		
	(घ) उपयोगिता (उदाहरणार्थ-विजली एवं ईंधन)		
	(ङ) अन्य, यदि कोई हो		
	खरीदे हुए निवेश की कुल लागत		
7.	मूल्य वर्धन		

8.	जोड़े:अन्य स्रोत से आय		
9.	जोड़े: असाधारण आय		
10.	वितरण के लिए उपलब्ध उपार्जन		
	उपार्जन के वितरण:		
1.	वेतन एवं मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के रूप में कर्मचारियों को		
2.	लाभांश के रूप में शेयरधारकों को		
3.	प्रतिधारित निधि के रूप में कंपनी को		
4.	करों (विनिर्दिष्ट करें) के रूप में सरकार को		
5.	असाधारण व्यय		
6.	अन्य, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट करें)		
7.	उपार्जन का कुल वितरण		

4. वित्तीय स्थिति एवं अनुपात विलेख (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विशिष्टियां	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क.	वित्तीय स्थिति			
1.	शेयर पूंजी			
2.	रिवर्स एवं अधिशेष			
3.	दीर्घावधि उधार रकमया			
4.	(क) कुल आस्तियां			
	(ख) शुद्ध आस्तियां			
5.	(क) वर्तमान आस्तियां			
	(ख) घटाए: वर्तमान उत्तर दायित्व			
	(ग) शुद्ध वर्तमान आस्तियां			
6.	नियोजित पूंजी			
7.	शुद्ध मूल्य			
ख	वित्तीय प्रदर्शन			
1.	मूल्य वर्धन			
2.	कंपनी के परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व			
3.	करों से पूर्व लाभ (पीबीवी)			
ग.	लाभ प्रदत्ता अनुपात			
1.	नियोजित पूंजी (ख3/क6) का करों से पूर्व लाभ			
2.	शुद्ध मूल्य (ख3/क7) का करों से पूर्व लाभ			
3.	मूल्य वर्धन (ख3/ख4)			
4.	परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व (ख3/ख2) का करों से पूर्व लाभ			
घ.	अन्य वित्तीय अनुपात			
1.	ऋण साम्या अनुपात			
2.	वर्तमान आस्तियों से वर्तमान दायित्व			

3.	परिचालन से प्राप्त शुद्ध राजस्व से मूल्य वर्धन			
ड.	सक्रिय पूंजी अनुपात			
1.	कच्चा माल स्टॉक से उपभोग	मास		
2.	स्टोर एवं पुर्जों से उपभोग	मास		
3.	तैयार माल स्टॉक से बिक्री की लागत	मास		
टिप्पण: 1. नियोजित पूंजी अर्थात् शुद्ध अचल आस्तियों का औसत (अचल आस्तियों के पुनः मूल्यांकन के प्रभाव रहित) के साथ वर्तमान निवेश एवं वित्तीय वर्ष के आरंभ एवं अंत में विद्यमान शुद्ध वर्तमान आस्तियां				
टिप्पण: 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (57) के अधीन शुद्ध संपत्ति की परिभाषा दी हुई है।				

5. संबंधित पक्षकार संव्यवहार (समग्र कंपनी के लिए)

क्र.सं.	संबंधित पक्षकार का नाम व पता	उत्पाद / सेवा का नाम	लेन-देन की प्रकृति (बिक्री खरीद)	मात्रा	स्थानांतरण मूल्य	रकम	सामान्य मूल्य	सामान्य मूल्य स्थिर करने के लिए आधार
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

टिप्पण 1. प्रत्येक संबंधित पक्षकार एवं उत्पाद/सेवा के लिए पृथक ब्यौरे पेश किए जाएंगे।

टिप्पण 2. सामान्य मूल्य के संकेत रहित संबंधित पक्षकार लेन-देन के ब्यौरे एवं उसके आधार को अपूर्ण सूचना माना जाएगा

3. अप्रत्यक्ष करों का मिलान (समग्र कंपनी के लिए)

	ब्यौरे	निर्धारणीय मूल्य रु.	उत्पाद शुल्क रुपए	सेवाकर रुपए	अधिभार एवं अन्य रुपए	वैट रुपए
	देय शुल्क/कर					
	उत्पाद शुल्क					
1.	घरेलू					
2.	निर्यात					

3.	स्टाक स्थानांतरण (शुद्ध)				
4.	शुल्क मुक्त निकासी, अन्य आदि				
5.	कुल उत्पाद शुल्क (1से 4)				
6.	सेवा कर				
7.	वैट, सीएसटी आदि				
8.	अन्य राज्य कर, यदि कोई हो				
9.	कुल देय शुल्क/कर (5 से 8)				
	भुगतान किया हुआ शुल्क/कर				
10.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-इनपुट				
11.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-पूँजीगत माल				
12.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-इनपुट सेवाएं				
13.	सेनवैट/वैट क्रेडिट उपयोगिता-अन्य				
14.	कुल (10 से 13)				
15.	पीएलए/कैश के माध्यम से भुगतान				
16.	भुगतान किया हुआ कुल शुल्क/कर (14+15)				
17.	वसूल किए हुए शुल्क/कर				
18.	भुगतान एवं वसूल किया हुआ शुल्क/कर के बीच अंतर				
19.	भुगतान किए हुए ब्याज/शास्ति/जुर्माना				
टिप्पण: ऊपर दिए हुए मद 4 संबंधी टिप्पण में पृथक रकम प्रदान करें।					

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

नाम

लागत लेखाकार

कंपनी सचिव/निदेशक

निदेशक

सदस्यता संख्या

सदस्यता/डिन संख्या

डिन संख्या

मुहर

मुहर

मुहर

तारीख

तारीख

तारीख

टिप्पण: 1. जहां लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध के प्रत्येक पैरा अधीन दर्शाए गए किसी मद के लिए वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में पिछले वर्ष के आंकड़ों से अंतर है, वहां लागत लेखापरीक्षक द्वारा उसका कारण दिया जाएगा।

टिप्पण: 2. जहां, वर्तमान वर्ष या पिछले वर्ष की अवधि 12 (बारह) मास नहीं है, वहां रिपोर्ट में उसे स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

[फा.सं.1/40/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 425(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2014

G.S.R. 01(E). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 469 and Section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Cost Records and Audit) Rules 2014, -

(i) in rule 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(aa) “Central Excise Tariff Act Heading” means the heading as referred to in the Additional Notes in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 [5 of 1986]

(ii) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. **Application of Cost Records.**- For the purposes of sub-section (1) of Section 148 of the Act, the class of companies, including foreign companies defined in clause (42) of Section 2 of the Act, engaged in the production of the goods or providing services, specified in the Table below, having an overall turnover from all its products and services of rupees thirty five crore or more during the immediately preceding financial year, shall include cost records for such products or services in their books of account, namely:-

TABLE

(A) Regulated Sectors

Sl. No.	Industry/ Sector/ Product/ Service	CETA Heading (wherever applicable)
1.	Telecommunication services made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature (other than broadcasting services) and regulated by the Telecom Regulatory Authority of India under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);	Not applicable.
2.	Generation, transmission, distribution and supply of electricity regulated by the relevant regulatory body or authority under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), other than for captive generation (referred to in the Electricity Rules, 2005);	-----
3.	Petroleum products regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);	2709 to 2715;
4.	Drugs and pharmaceuticals;	2901 to 2942; 3001 to 3006.
5.	Fertilisers;	3102 to 3105.
6.	Sugar and industrial alcohol;	1701; 1703; 2207.

(B) Non-regulated Sectors

S.N.	Industry/ Sector/ Product/ Service	CETA Heading (wherever applicable)
1.	Machinery and mechanical appliances used in defence, space and atomic energy sectors excluding any ancillary item or items; <i>Explanation.</i> – For the purposes of this sub-clause, any company which is engaged in any item or items supplied exclusively for use under this clause, shall be deemed to be covered under these rules.	8401 to 8402; 8801 to 8805; 8901 to 8908.
2.	Turbo jets and turbo propellers;	8411
3.	Arms and ammunitions;	3601 to 3603; 9301 to 9306.
4.	Propellant powders; prepared explosives (other than propellant powders); safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators;	3601 to 3603
5.	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus;	8526
6.	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons and parts of such vehicles, that are funded (investment made in the company) to the extent of ninety per cent or more by the Government or Government agencies;	8710
7.	Port services of stevedoring, pilotage, hauling, mooring, re-mooring, hooking, measuring, loading and unloading services rendered by a Port in relation to a vessel or goods regulated by the Tariff Authority for Major Ports under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963);	Not applicable.
8.	Aeronautical services of air traffic management, aircraft operations, ground safety services, ground handling, cargo facilities and supplying fuel rendered by airports and regulated by the Airports Economic Regulatory Authority under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);	Not applicable.
9.	Steel;	7201 to 7229; 7301 to 7326
10.	Roads and other infrastructure projects corresponding to para No. (1) (a) as specified in Schedule VI of the Companies Act, 2013;	Not applicable.
11.	Rubber and allied products being regulated by the Rubber Board constituted under the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947).	4001 to 4017

12.	Coffee and tea;	0901 to 0902
13.	Railway or tramway locomotives, rolling stock, railway or tramway fixtures and fittings, mechanical (including electro mechanical) traffic signalling equipment's of all kind;	8601 to 8608.
14.	Cement;	2523; 6811 to 6812
15.	Ores and Mineral products;	2502 to 2522; 2524 to 2526; 2528 to 2530; 2601 to 2617
16.	Mineral fuels (other than Petroleum), mineral oils etc.;	2701 to 2708
17.	Base metals;	7401 to 7403; 7405 to 7413; 7419; 7501 to 7508; 7601 to 7614; 7801 to 7802; 7804; 7806; 7901 to 7905; 7907; 8001; 8003; 8007; 8101 to 8113.
18.	Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, rare-earth metals of radioactive elements or isotopes, and Organic Chemicals;	2801 to 2853; 2901 to 2942; 3801 to 3807; 3402 to 3403; 3809 to 3824.
19.	Jute and Jute Products;	5303, 5310
20.	Edible Oil;	1507 to 1518
21.	Construction Industry as per para No. (5) (a) as specified in Schedule VI of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)	Not applicable.
22.	Health services, namely functioning as or running hospitals, diagnostic centres, clinical centres or test laboratories;	Not applicable.
23.	Education services, other than such similar services falling under philanthropy or as part of social spend which do not form part of any business.	Not applicable.
24.	Milk powder;	0402
25.	Insecticides;	3808
26.	Plastics and polymers;	3901 to 3914; 3916 to 3921; 3925
27.	Tyres and tubes;	4011 to 4013
28.	Paper;	4801 to 4802.
29.	Textiles;	5004 to 5007; 5106 to 5113; 5205 to 5212; 5303; 5310; 5401 to 5408; 5501 to 5516
30.	Glass;	7003 to 7008; 7011; 7016
31.	Other machinery;	8403 to 8487
32.	Electricals or electronic machinery;	8501 to 8507; 8511 to 8512; 8514 to 8515; 8517; 8525 to 8536; 8538 to 8547.
33.	Production, import and supply or trading of following medical devices, namely:-	9018 to 9022

<ul style="list-style-type: none"> (i) Cardiac stents; (ii) Drug eluting stents; (iii) Catheters; (iv) Intra ocular lenses; (v) Bone cements; (vi) Heart valves; (vii) Orthopaedic implants; (viii) Internal prosthetic replacements; (ix) Scalp vein set; (x) Deep brain stimulator; (xi) Ventricular peripheral shud; (xii) Spinal implants; (xiii) Automatic impalpable cardiac deflobillator; (xiv) Pacemaker (temporary and permanent); (xv) Patent ductus arteriosus, atrial septal defect and ventricular septal defect closure device; (xvi) Cardiac re-synchronize therapy ; (xvii) Urethra spinicture devices; (xviii) Sling male or female; (xix) Prostate occlusion device; and (xx) Urethral stents: 	
---	--

Provided that nothing contained in serial number 33 shall apply to foreign companies having only liaison offices.

Provided further that nothing contained in this rule shall apply to a company which is classified as a micro enterprise or a small enterprise including as per the turnover criteria under sub-section (9) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(iii) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

“4. Applicability for cost audit.— (1) Every company specified in item (A) of rule 3 shall get its cost records audited in accordance with these rules if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees fifty crore or more and the aggregate turnover of the individual product or products or service or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees twenty five crore or more.

(2) Every company specified in item (B) of rule 3 shall get its cost records audited in accordance with these rules if the overall annual turnover of the company from all its products and services during the immediately preceding financial year is rupees one hundred crore or more and the aggregate turnover of the individual product or products or service or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is rupees thirty five crore or more.

(3) The requirement for cost audit under these rules shall not apply to a company which is covered in rule 3; and

- (i) whose revenue from exports, in foreign exchange, exceeds seventy five per cent of its total revenue; or
- (ii) which is operating from a special economic zone.”

(iv) in rule 5, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that in case of company covered in serial number 12 and serial numbers 24 to 32 of item (B) of rule 3, the requirement under this rule shall apply in respect of each of its financial year commencing on or after 1st day of April, 2015.”

(v) in rule 6, after sub-rule (3), following sub-rule shall be inserted, namely: —

“(3A) Any casual vacancy in the office of a cost auditor, whether due to resignation, death or removal, shall be filled by the Board of Directors within thirty days of occurrence of such vacancy and the company shall inform the Central Government in Form CRA-2 within thirty days of such appointment of cost auditor.”

(vi) rule 7 shall be omitted;

(vii) in Annexure, for Form CRA-1 and Form CRA-3, the following shall respectively, be substituted, namely:—

FORM CRA-1

[Pursuant to rule 5(1) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014]

Particulars relating to the Items of Costs to be included in the Books of Accounts

- 1. Material Costs.** — (a) Proper records shall be maintained showing separately all receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of raw material required for the production of goods or rendering of services under reference.
- (b) The material receipt shall be valued at purchase price including duties and taxes, freight inwards, insurance, and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited by the taxing authorities) that can be quantified with reasonable accuracy at the time of acquisition.
- (c) Finance costs incurred in connection with the acquisition of materials shall not form part of material cost.
- (d) Self-manufactured materials or captive consumption shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, share of administrative overheads relating to production but excluding share of other administrative overheads, finance cost and marketing overheads.
- (e) Spares which are specific to an item of equipment shall not be taken to inventory, but shall be capitalized with the cost of the specific equipment. Cost of capital spares or insurance spares, whether procured with the equipment or subsequently, shall be amortised over a period, not exceeding the useful life of the equipment.
- (f) Normal loss or spoilage of material prior to reaching the factory or at places where the services are provided shall be absorbed in the cost of balance materials net of amounts recoverable from suppliers, insurers, carriers or recoveries from disposal.
- (g) Losses due to shrinkage or evaporation and gain due to elongation or absorption of moisture etc., before the material is received shall be absorbed in material cost to the extent they are normal, with corresponding adjustment in the quantity.
- (h) The forex component of imported material cost shall be converted at the rate on the date of the transaction. Any subsequent change in the exchange rate till payment or otherwise shall not form part of the material cost.
- (i) Any demurrage or detention charges, or penalty levied by transport or other authorities shall not form part of the cost of materials.
- (j) Subsidy or Grant or Incentive and any such payment received or receivable with respect to any material shall be reduced from cost for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (k) Issues shall be valued using appropriate assumptions on cost flow, e.g. First-in-First-out, Last-in-First-out, Weighted Average Rate. The method of valuation shall be followed on a consistent basis.
- (l) Where materials are accounted at standard cost, the price variances related to materials shall be treated as part of material cost.
- (m) Any abnormal cost shall be excluded from the material cost.
- (n) Wherever, material costs include transportation costs, determination of costs of transportation shall be governed by Para No. 9 on Determination of Cost of Transportation.
- (o) Self-manufactured components and sub-assemblies or captive consumption shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, share of administrative overheads relating to production but excluding share of other administrative overheads, finance cost and marketing overheads.

- (p) The material cost of normal scrap or defectives which are rejects shall be included in the material cost of goods manufactured. The material cost of actual scrap or defectives, not exceeding the normal shall be adjusted in the material cost of good production. Material Cost of abnormal scrap or defectives shall not be included in material cost but treated as loss after giving credit to the realisable value of such scrap or defectives.
- (q) Material costs shall be directly traced to a Cost object to the extent it is economically feasible or shall be assigned to the cost object on the basis of material quantity consumed or similar identifiable measure and valued as per above principles.
- (r) Where the material costs are not directly traceable to the cost object, the same shall be assigned on a suitable basis like technical estimates.
- (s) Where a material is processed or part manufactured by a third party according to specifications provided by the buyer, the processing or manufacturing charges payable to the third party shall be treated as part of the material cost.
- (t) Wherever part of the manufacturing operations or activity is subcontracted, the subcontract charges related to materials shall be treated as direct expenses and assigned directly to the cost object.
- (u) The cost of indirect materials shall be assigned to the various Cost objects based on a suitable basis such as actual usage or technical norms or a similar identifiable measure.
- (v) The cost of materials like catalysts, dies, tools, moulds, patterns etc., which are relatable to production over a period of time shall be amortized over the production units benefited by such cost.
- (w) The cost of indirect material with life exceeding one year shall be included in cost over the useful life of the material.
- 2. Employee Cost.** — (a) Proper records shall be maintained in respect of employee costs in such a manner as to enable the company to book these expenses cost centre wise or department wise with reference to goods or services under reference and to furnish necessary particulars. Where the employees work in such a manner that it is not possible to identify them with any specific cost centre or service centre or department, the employees cost shall be apportioned to the cost centre or service centres or departments on equitable and reasonable basis and applied consistently.
- (b) Employee cost shall be ascertained taking into account the gross pay including all allowances payable along with the cost to the employer of all the benefits.
- (c) Bonus whether payable as a statutory minimum or on a sharing of surplus shall be treated as part of employee cost. Ex-gratia payable in lieu of or in addition to bonus shall also be treated as part of the employee cost.
- (d) Remuneration payable to Managerial Personnel including Executive Directors on the Board and other officers of a corporate body under a statute shall be considered as part of the employee cost of the year under reference whether the whole or part of the remuneration is computed as a percentage of profits. Remuneration paid to non-executive directors shall not form part of employee cost but shall form part of administrative overheads.
- (e) Separation costs related to voluntary retirement, retrenchment, termination and other related matters shall be amortised over the period benefitting from such costs.
- (f) Employee cost shall not include imputed costs.
- (g) Cost of Idle time is ascertained by the idle hours multiplied by the hourly rate applicable to the idle employee or a group of employees.
- (h) Where employee cost is accounted at standard cost, variances due to normal reasons related to employee cost shall be treated as part of employee cost. Variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (i) Any subsidy, grant, incentive or any such payment received or receivable with respect to any employee cost shall be reduced for ascertainment of cost of the cost object to which such amounts are related.
- (j) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the employee cost.
- (k) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the employee cost.
- (l) The cost of free housing, free conveyance and any other similar benefits provided to an employee shall be determined at the total cost of all resources consumed in providing such benefits.
- (m) Any recovery from the employee towards any benefit provided, namely, housing shall be reduced from the employee cost.
- (n) Any change in the cost accounting principles applied for the determination of the employee cost shall be made only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an enterprise.
- (o) Where the employee services are traceable to a cost object, such employees' cost shall be assigned to the cost object on the basis such as time consumed or number of employees engaged or other related basis or similar identifiable measure.
- (p) While determining whether a particular employee cost is chargeable to a separate cost object, the principle of materiality shall be adhered to.
- (q) Where the employee costs are not directly traceable to the cost object, the same shall be assigned on suitable basis like estimates of time based on time study.

- (r) The amortised separation costs related to voluntary retirement, retrenchment, and termination or other related matters for the period shall be treated as indirect cost and assigned to the cost objects in an appropriate manner provided that unamortised amount related to discontinued operations, shall not be treated as employee cost.
- (s) Recruitment costs, training cost and other such costs shall be treated as overheads and dealt with accordingly.
- (t) Overtime premium shall be assigned directly to the cost object or treated as overheads depending on the economic feasibility and the specific circumstance requiring such overtime.
- (u) Idle time cost shall be assigned direct to the cost object or treated as overheads depending on the economic feasibility and the specific circumstances causing such idle time.
- 3. Utilities.** — (a) Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each major utility such as power, water, steam, effluent treatment and other related utilities produced and consumed by the different cost centres in such detail as to have particulars for each utility separately.
- (b) Each type of utility shall be treated as a distinct cost object.
- (c) Cost of utilities purchased shall be measured at cost of purchase including duties and taxes, transportation cost, insurance and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited) that can be quantified with reasonable accuracy at the time of acquisition.
- (d) Cost of self-generated utilities for own consumption shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses and factory overheads.
- (e) In case of utilities generated for the purpose of inter unit transfers, the distribution cost incurred for such transfers shall be added to the cost of utilities determined as above.
- (f) Cost of utilities generated for the intercompany transfers shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, distribution cost and share of administrative overheads.
- (g) Cost of utilities generated for the sale to outside parties shall comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses, factory overheads, distribution cost, share of administrative overheads and marketing overheads. The sale value of such utilities shall also include the margin.
- (h) Finance costs incurred in connection with the utilities shall not form part of cost of utilities.
- (i) The cost of utilities shall include the cost of distribution of such utilities. The cost of distribution shall consist of the cost of delivery of utilities up to the point of consumption.
- (j) Cost of utilities shall not include imputed costs.
- (k) Where cost of utilities is accounted at standard cost, the price variances related to utilities shall be treated as part of cost of utilities and the portion of usage variances due to normal reasons shall be treated as part of cost of utilities. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (l) Any subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to any cost of utilities shall be reduced for ascertainment of the cost to which such amounts are related.
- (m) The cost of production and distribution of utilities shall be determined based on the normal capacity or actual capacity utilization whichever is higher and unabsorbed cost, if any, shall be treated as abnormal cost. Cost of a Stand-by Utility shall include the committed costs of maintaining such a utility.
- (n) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of utilities.
- (o) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the cost of utilities.
- (p) Credits or recoveries relating to the utilities including cost of utilities provided to outside parties, material and quantifiable, shall be deducted from the total cost of utility to arrive at the net cost of utility.
- (q) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the cost of utilities shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (r) While assigning cost of utilities, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
- (s) Where the cost of utilities is not directly traceable to cost object, it shall be assigned on the most appropriate basis.
- (t) The most appropriate basis of distribution of cost of a utility to the departments consuming services is to be derived from usage parameters.
- 4. Direct Expenses:** (a) Proper records shall be maintained in respect of direct expenses in such a manner as to enable the company to book these expenses cost centre wise or cost object or department wise with reference to goods or services under reference and to furnish necessary particulars.
- (b) Direct expenses incurred for the use of bought out resources shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited.

- (c) Other direct expenses shall be determined on the basis of amount incurred in connection therewith.
- (d) Direct expenses paid or incurred in lump-sum or which are in the nature of 'one-time' payment, shall be amortised on the basis of the estimated output or benefit to be derived from such direct expenses.
- (e) If an item of direct expenses does not meet the test of materiality, it can be treated as part of overheads.
- (f) Finance costs incurred in connection with the self-generated or procured resources shall not form part of direct expenses. Direct expenses shall not include imputed costs.
- (g) Where direct expenses are accounted at standard cost, variances due to normal reasons shall be treated as part of the direct expenses. Variances due to abnormal reasons shall not form part of the direct expenses.
- (h) Any subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to any direct expenses shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (i) Any abnormal portion of the direct expenses where it is material and quantifiable shall not form part of the direct expenses.
- (j) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the direct expenses.
- (k) Credits or recoveries relating to the direct expenses, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net direct expenses.
- (l) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the direct expenses shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (m) Direct expenses that are directly traceable to the cost object shall be assigned to that cost object.

5. Repairs and Maintenance.- (a) Proper records showing the expenditure incurred by the workshop, tool room and on repairs and maintenance in the various cost centres or departments shall be maintained under different heads.

- (b) Repairs and maintenance cost shall be the aggregate of direct and indirect cost relating to repairs and maintenance activity. Direct cost shall include the cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other identifiable resources consumed in such activity. Indirect cost shall include the cost of resources common to various repairs and maintenance activities such as manpower, equipment usage and other costs allocable to such activities.
- (c) Cost of in-house repairs and maintenance activity shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such activity.
- (d) Cost of repairs and maintenance activity carried out by outside contractors inside the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other costs incurred by the entity for such jobs.
- (e) Cost of repairs and maintenance jobs carried out by contractor at its premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of other resources provided to the contractors.
- (f) Cost of repairs and maintenance jobs carried out by outside contractors shall include charges made by the contractor and cost of own materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other costs used in such jobs.
- (g) Each type of repairs and maintenance shall be treated as a distinct activity, if material and identifiable.
- (h) Cost of repairs and maintenance activity shall be measured for each major asset category separately.
- (i) Cost of spares replaced which do not enhance the future economic benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance shall be included under repairs and maintenance cost.
- (j) High value spare, when replaced by a new spare and is reconditioned, which is expected to result in future economic benefits, the same shall be taken into stock. Such a spare shall be valued at an amount that measures its service potential in relation to a new spare which amount shall not exceed the cost of reconditioning the spare. The difference between the total of the cost of the new spare and the reconditioning cost and the value of the reconditioned spare shall be treated as repairs and maintenance cost.
- (k) The cost of major overhaul shall be amortised on a rational basis.
- (l) Finance costs incurred in connection with the repairs and maintenance activities shall not form part of Repairs and maintenance costs.
- (m) Repairs and maintenance costs shall not include imputed costs.
- (n) Price variances related to repairs and maintenance, where standard costs are in use, shall be treated as part of repairs and maintenance cost. The portion of usage variances attributable to normal reasons shall be treated as part of repairs and maintenance cost. Usage variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from repairs and maintenance cost.

- (o) Subsidy or Grant or Incentive or amount of similar nature received or receivable with respect to repairs and maintenance activity, if any, shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (p) Any repairs and maintenance cost resulting from some abnormal circumstances, namely, major fire, explosion, flood and similar events, if material and quantifiable, shall not form part of the repairs and maintenance cost.
- (q) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the repairs and maintenance cost.
- (r) Credits or recoveries relating to the repairs and maintenance activity, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net repairs and maintenance cost.
- (s) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the repairs and maintenance cost shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (t) Repairs and maintenance costs shall be traced to a cost object to the extent economically feasible.
- (u) Where the repairs and maintenance cost is not directly traceable to cost object, it shall be assigned based on either of the following the principles of (1) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and (2) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- (v) If the repairs and maintenance cost (including the share of the cost of reciprocal exchange of services) is shared by several cost objects, the related cost shall be measured as an aggregate and distributed among the cost objects.
- 6. Fixed Assets and depreciation.-** (a) Proper and adequate records shall be maintained for assets used for production of goods or rendering of services under reference in respect of which depreciation has to be provided for. These records shall, inter-alia, indicate grouping of assets under each good or service, the cost of acquisition of each item of asset including installation charges, date of acquisition and rate of depreciation.
- (b) Depreciation and amortisation shall be measured based on the depreciable amount and the useful life. The residual value of an intangible asset shall be assumed to be zero unless:
- (i) there is a commitment by a third party to purchase the asset at the end of its useful life; or
- (ii) there is an active market for the asset and:
- a. residual value can be determined by reference to that market; and
- b. it is probable that such a market will exist at the end of the asset's useful life.
- c. The residual value of a fixed asset shall be considered as zero if the entity is unable to estimate the same with reasonable accuracy.
- (c) The minimum amount of depreciation to be provided shall not be less than the amount calculated as per principles and methods as prescribed by any law or regulations applicable to the entity and followed by it.
- (d) In case of regulated industry the amount of depreciation shall be the same as prescribed by the concerned regulator.
- (e) While estimating the useful life of a depreciable asset, consideration shall be given to the following factors:
- (i) Expected physical wear and tear;
- (ii) Obsolescence; and
- (iii) Legal or other limits on the use of the asset.
- (f) The useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights, but may be shorter depending on the period over which the entity expects to use the asset.
- (g) If the contractual or other legal rights are conveyed for a limited term that can be renewed, the useful life of the intangible asset shall include the renewal period(s) only if there is evidence to support renewal by the entity without significant cost. The useful life of a re-acquired right recognised as an intangible asset in a business combination is the remaining contractual period of the contract in which the right was granted and shall not include renewal periods.
- (h) The useful life of an intangible asset, in any situation, shall not exceed 10 years from the date it is available for use.
- (i) Depreciation shall be considered from the time when a depreciable asset is first put into use. An asset which is used only when the need arises but is always held ready for use. Example: fire extinguisher, stand by generator, safety equipment shall be considered to be an asset in use. Depreciable assets shall be considered to be put into use when commercial production of goods and services commences.

- (j) Depreciation on an asset which is temporarily retired from production of goods and services shall be considered as abnormal cost for the period when the asset is not in use.
 - (k) Depreciation of any addition or extension to an existing depreciable asset which becomes an integral part of that asset shall be based on the remaining useful life of that asset.
 - (l) Depreciation of any addition or extension to an existing depreciable asset which retains a separate identity and is capable of being used after the expiry of the useful life of that asset shall be based on the estimated useful life of that addition or extension.
 - (m) The impact of higher depreciation due to revaluation of assets shall not be assigned to cost object.
 - (n) Impairment loss on assets shall be excluded from cost of production.
 - (o) The method of depreciation used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity.
 - (p) An entity can use any of the methods of depreciation to assign depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life, namely, Straight-line method; Diminishing balance method; and Units of production method, etc.
 - (q) The method of amortisation of intangible asset shall reflect the pattern in which the economic benefits accrue to entity.
 - (r) The methods and rates of depreciation applied shall be reviewed at least annually and, if there has been a change in the expected pattern of consumption or loss of future economic benefits, the method applied shall be changed to reflect the changed pattern.
 - (s) Spares purchased specifically for a particular asset, or class of assets, and which would become redundant if that asset or class of asset was retired or use of that asset was discontinued, shall form part of that asset. The depreciable amount of such spares shall be allocated over the useful life of the asset.
 - (t) Cost of small assets shall be written off in the period in which they were purchased as per the accounting policy of the entity.
 - (u) Depreciation of an asset shall not be considered in case cumulative depreciation exceeds the original cost of the asset, net of residual value.
 - (v) Where depreciation for an addition of an asset is measured on the basis of the number of days for which the asset was used for the preparation and presentation of financial statements, depreciation of the asset for assigning to cost of object shall be measured in relation to the period, the asset actually utilized.
 - (w) Depreciation shall be traced to the cost object to the extent economically feasible.
 - (x) Where the depreciation is not directly traceable to cost object, it shall be assigned based on either of the following two principles; namely:-
 - (i) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 - (ii) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- 7. Overheads.-** (a) Proper records shall be maintained for various items of indirect expenses comprising overheads pertaining to goods or services under reference. These expenses shall be analysed, classified and grouped according to functions.
- (b) Overheads representing procurement of resources shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discounts), taxes and duties refundable or to be credited.
 - (c) Overheads other than those referred to above shall be determined on the basis of cost incurred in connection therewith.
 - (d) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the overheads.
 - (e) Finance costs incurred in connection with procured or self-generated resources shall not form part of overheads.
 - (f) Overheads shall not include imputed cost.
 - (g) Overhead variances attributable to normal reasons shall be treated as part of overheads. Overhead variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from overheads.
 - (h) Any subsidy or grant or incentive or amount of similar nature received or receivable with respect to overheads shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
 - (i) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the overheads.

- (j) Credits or recoveries relating to the overheads, material and quantifiable, shall be deducted from the total overhead to arrive at the net overheads. Where the recovery exceeds the total overheads, the balance recovery shall be treated as other income.
- (k) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the overheads shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an entity.
- (l) While assigning overheads, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle. The cost which can be traced directly to a cost object shall be directly assigned.
- (m) Overheads shall be classified according to functions, viz., works, administration, selling and distribution, head office, corporate etc.
- (n) Assignment of overheads to the cost objects shall be based on either of the following two principles; (1) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and (2) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- (o) The variable production overheads shall be absorbed to products or services based on actual capacity utilisation.
- (p) The fixed production overheads shall be absorbed based on the normal capacity.
- (q) Assignment of Administration Overheads shall be in accordance with para No. 8.
- (r) Marketing overheads that can be identified to a product or service shall be assigned to that product or service.
- (s) Marketing overheads that cannot be identified to a product or service shall be assigned to the products or services on the most appropriate basis.
- 8. Administrative Overheads.-** (a) Administrative overheads shall be the aggregate of cost of resources consumed in activities relating to general management and administration of an organisation.
- (b) In case of leased assets, if the lease is an operating lease, the entire rentals shall be included in the administrative overheads. If the lease is a financial lease, the finance cost portion shall be segregated and treated as part of finance costs.
- (c) The cost of software (developed in house, purchased, licensed or customised), including up-gradation cost shall be amortised over its estimated useful life.
- (d) The cost of administrative services procured from outside shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited.
- (e) Any subsidy or grant or incentive or any amount of similar nature received or receivable with respect to any Administrative overheads shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (f) Administrative overheads shall not include any abnormal administrative cost.
- (g) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the administrative overheads.
- (h) Credits or recoveries relating to the administrative overheads including those rendered without any consideration, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net administrative overheads.
- (i) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the administrative overheads shall be made only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (j) While assigning administrative overheads, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
- (k) Assignment of administrative overheads to the cost objects shall be based on either of the following two principles; namely:-
- (i) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost.
- (ii) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- 9. Transportation Cost.-** (a) Proper records shall be maintained for recording the actual cost of transportation showing each element of cost such as freight, cartage, transit insurance and others after adjustment for recovery of transportation

cost. Abnormal costs relating to transportation, if any, are to be identified and recorded for exclusion of computation of average transportation cost.

- (b) In case of a manufacturer having his own transport fleet, proper records shall be maintained to determine the actual operating cost of vehicles showing details of various elements of cost, such as salaries and wages of driver, cleaners and others, cost of fuel, lubricant grease, amortized cost of tyres and battery, repairs and maintenance, depreciation of the vehicles, distance covered and trips made, goods hauled and transported to the depot.
- (c) In case of hired transport charges incurred for despatch of goods, complete details shall be recorded as to date of despatch, type of transport used, description of the goods, destination of buyer, name of consignee, challan number, quantity of goods in terms of weight or volume, distance involved, amount paid and other related details.
- (d) Records shall be maintained separately for inward and outward transportation cost specifying the details particulars of goods despatched, name of supplier or recipient, amount of freight etc.
- (e) Separate records shall be maintained for identification of transportation cost towards inward movement of material (procurement) and transportation cost of outward movement of goods removed or sold for both home consumption and export.
- (f) Records for transportation cost from factory to depot and thereafter shall be maintained separately.
- (g) Records for transportation cost for carrying any material or product to job-workers place and back shall be maintained separately so as include the same in the transaction value of the product.
- (h) Records for transportation cost for goods involved exclusively for trading activities shall be maintained separately and the same shall not be included for claiming any deduction for calculating assessable value excisable goods cleared for home consumption.
- (i) Records of transportation cost directly allocable to a particular category of products shall be maintained separately so that allocation can be made.
- (j) For common transportation cost, both for own fleet or hired ones, proper records for basis of apportionment shall be maintained.
- (k) Records for transportation cost for exempted goods, excisable goods cleared for export shall be maintained separately.
- (l) Separate records of cost for mode of transportation other than road like ship or air are to be maintained, which shall be included in total cost of transportation.
- (m) Inward transportation costs shall form the part of the cost of procurement of materials which shall be identified for proper allocation or apportionment to the materials or products.
- (n) Outward transportation cost shall form the part of the cost of sale and shall be allocated or apportioned to the materials and goods on a suitable basis.
- (o) The following basis shall be used, in order of priority, for apportionment of outward transportation cost depending upon the nature of products, unit of measurement followed and type of transport used, namely:-
 - (i) Weight;
 - (ii) Volume of goods;
 - (iii) Tonne-Km;
 - (iv) Unit or Equivalent unit;
 - (v) Value of goods;
 - (vi) Percentage of usage of space.
- (p) Once a basis of apportionment is adopted, the same shall be followed consistently.
- (q) For determining the transportation cost per unit, distance shall be factored in to arrive at weighted average cost.
- (r) Abnormal and non recurring cost shall not be a part of transportation cost.

- 10. Royalty and Technical Know-how.-** (a) Adequate records shall be maintained showing royalty or technical know-how fee including other recurring or non-recurring payments of similar nature, if any, made for the goods or services under reference to collaborators or technology suppliers in terms of agreements entered into with them.
- (b) Royalty and technical know-how Fee paid or incurred in lump-sum or which are in the nature of 'one-time' payment, shall be amortised on the basis of the estimated output or benefit to be derived from the related asset. Amortisation of the amount of royalty or technical know-how fee paid for which the benefit is ensued in the current or future periods shall be determined based on the production or service volumes estimated for the period over which the asset is expected to benefit the entity.
 - (c) Amount of the royalty and technical know-how fee shall not include finance costs and imputed costs.
 - (d) Any subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to amount of royalty and technical know-how fee shall be reduced to measure the amount of royalty and technical know-how fee.

- (e) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the amount of royalty and technical know-how fee.
- (f) Credits or recoveries relating to the amount royalty and technical know-how fee, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net amount of royalty and technical know-how fee.
- (g) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the amount of royalty and technical know-how fee shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (h) Royalty and technical know-how fee that is directly traceable to a cost object shall be assigned to that cost object. In case such fee is not directly traceable to a cost object then it shall be assigned on any of the following basis, namely:-
- (i) Units produced;
 - (ii) Units sold; or
 - (iii) Sales value.
- (i) The amount of royalty fee paid for mining rights shall form part of the cost of material.
- (j) The amount of royalty and technical know-how fee shall be assigned on the nature or purpose of such fee. The amount of royalty and technical know-how fee related to product or process know how shall be treated as cost of production; if related to trademarks or brands shall be treated as cost of sales.
- 11. Research and Development Expenses.-** (a) Research and development costs shall include all the costs that are directly traceable to research or development activities or that can be assigned to research and development activities strictly on the basis of (a) cause and effect or (b) benefits received. Such costs shall include the following elements, namely:-
- (i) the cost of materials and services consumed in research and development activities.
 - (ii) cost of bought out materials and hired services as per invoice or agreed price including duties and taxes directly attributable thereto net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited.
 - (iii) the salaries, wages and other related costs of personnel engaged in research and development activities;
 - (iv) the depreciation of equipment and facilities, and other tangible assets, and amortisation of intangible assets to the extent that they are used for research and development activities;
 - (v) overhead costs, other than general administrative costs, related to research and development activities.
 - (vi) costs incurred for carrying out research and development activities by other entities and charged to the entity; and
 - (vii) expenditure incurred in securing copyrights or licences;
 - (viii) expenditure incurred for developing computer software;
 - (ix) costs incurred for the design of tools, jigs, moulds and dies;
 - (x) other costs that can be directly attributed to research and development activities and can be identified with specific projects.
- (b) Subsidy or grant or incentive or amount of similar nature received or receivable with respect to research and development activity, if any, shall be reduced from the cost of such research, and development activity.
- (c) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the research and development cost.
- (d) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the research and development cost.
- (e) Research and development costs shall not include imputed costs.
- (f) Credits or recoveries relating to research and development cost, if material and quantifiable, including from the sale of output produced from the research and development activity shall be deducted from the research and development cost.
- (g) Research and development costs attributable to a specific cost object shall be assigned to that cost object directly. Research and development costs that are not attributable to a specific product or process shall not form part of the product cost.
- (h) Development cost which results in the creation of an intangible asset shall be amortised over its useful life. Assignment of development costs shall be based on the principle of "benefits received".
- (i) Research and development costs incurred for the development and improvement of an existing process or product shall be included in the cost of production. In case the Research and development activity related to the improvement of an

existing process or product continues for more than one accounting period, the cost of the same shall be accumulated and amortised over the estimated period of use of the improved process or estimated period over which the improved product shall be produced by the entity after the commencement of commercial production, as the case may be, if the improved process or product is distinctly different from the existing process or product and the product is marketed as a new product. The amount allocated to a particular period shall be included in the cost of production of that period. If the expenditure is only to improve the quality of the existing product or minor modifications in attributes, the principle shall not be applied.

- (j) Development costs attributable to a saleable service namely, providing technical know-how to outside parties shall be accumulated separately and treated as cost of providing the service.

12. Quality control expenses.- (a) Adequate records shall be maintained to indicate the expenses incurred in respect of quality control department or cost centre or service centre for goods or services under reference. Where these services are also utilized for other goods or services of the company, the basis of apportionment to goods or services under reference and to other goods or services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.

- (b) Quality control cost incurred in-house shall be the aggregate of the cost of resources consumed in the quality control activities of the entity. The cost of resources procured from outside shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discounts), taxes and duties refundable or to be credited by the Tax Authorities. Such cost shall include cost of conformance to quality, namely, (a) prevention cost; and (b) appraisal cost.
- (c) Identification of quality control costs shall be based on traceability in an economically feasible manner.
- (d) Quality control costs other than those referred to above shall be determined on the basis of amount incurred in connection therewith.
- (e) Finance costs incurred in connection with the self-generated or procured resources shall not form part of quality control cost.
- (f) Quality control costs shall not include imputed costs.
- (g) Any Subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to any quality control cost shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (h) Any abnormal portion of the quality control cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of quality control.
- (i) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the quality control cost.
- (j) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the quality control cost shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (k) Quality control cost that is directly traceable to the cost object shall be assigned to that cost object. Assignment of quality control cost to the cost objects shall be based on benefits received by them on the principles, namely:-
- (i) Cause and effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
- (ii) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

13. Pollution control expenses.- (a) Adequate records shall be maintained to indicate the expenses incurred in respect of pollution control. The basis of apportionment to goods or services under reference and to other goods or services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.

- (b) Pollution control costs shall be the aggregate of direct and indirect cost relating to pollution control activity. Direct cost shall include the cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, resources for testing and certification and other identifiable resources consumed in activities such as waste processing, disposal, remediation and others. Indirect cost shall include the cost of resources common to various pollution control activities such as pollution control registration and such like expenses.
- (c) Costs of pollution control which are internal to the entity shall be accounted for when incurred. They shall be measured at the historical cost of resources consumed.
- (d) Future remediation or disposal costs which are expected to be incurred with reasonable certainty as part of onerous contract or constructive obligation, legally enforceable shall be estimated and accounted based on the quantum of pollution generated in each period and the associated cost of remediation or disposal in future.
- (e) Contingent future remediation or disposal costs e.g. those likely to arise on account of future legislative changes on pollution control shall not be treated as cost until the incidence of such costs become reasonably certain and can be measured.

- (f) External costs of pollution which are generally the costs imposed on external parties including social costs are difficult to estimate with reasonable accuracy and are excluded from general purpose cost statements.
- (g) Social costs of pollution are measured by economic models of cost measurement. The cost by way of compensation by the polluting entity either under future legislation or under social pressure cannot be quantified by traditional models of cost measurement. They are best kept out of general purpose cost statements.
- (h) Cost of in-house pollution control activity shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such activity.
- (i) Cost of pollution control activity carried out by outside contractors inside the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other costs incurred by the entity for such jobs.
- (j) Cost of pollution control jobs carried out by contractor at its premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of other resources provided to the contractors.
- (k) Cost of pollution control jobs carried out by outside contractors shall include charges made by the contractor and cost of own materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities and other costs used in such jobs.
- (l) Each type of pollution control namely, water, air, soil pollution shall be treated as a distinct activity, if material and identifiable.
- (m) Finance costs incurred in connection with the pollution control activities shall not form part of pollution control costs.
- (n) Pollution control costs shall not include imputed costs.
- (o) Price variances related to pollution control, where standard costs are in use, shall be treated as part of pollution control cost. The portion of usage variances attributable to normal reasons shall be treated as part of pollution control cost. Usage variances attributable to abnormal reasons shall be excluded from pollution control cost.
- (p) Subsidy or grant or incentive or amount of similar nature received or receivable with respect to Pollution control activity, if any, shall be reduced for ascertainment of the cost of the cost object to which such amounts are related.
- (q) Any Pollution control cost resulting from abnormal circumstances, if material and quantifiable, shall not form part of the pollution control cost.
- (r) Fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the pollution control cost.
- (s) Credits or recoveries relating to the pollution control activity, material and quantifiable, shall be deducted to arrive at the net pollution control cost.
- (t) Research and development cost to develop new process, new products or use of new materials to avoid or mitigate pollution shall be treated as research and development costs and not included under pollution control costs. Development costs incurred for commercial development of such product, process or material shall be included in pollution control costs.
- (u) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the pollution control cost shall be made only if, it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an organisation.
- (v) Pollution Control costs shall be traced to a cost object to the extent economically feasible.
- (w) Direct costs of pollution control such as treatment and disposal of waste shall be assigned directly to the product, where traceable economically.
- (x) Where these costs are not directly traceable to the product but are traceable to a process which causes pollution, the costs shall be assigned to the products passing through the process based on the quantity of the pollutant generated by the product.
- (y) Where the pollution control cost is not directly traceable to cost object, it shall be treated as overhead and assigned based on either of the following two principles; namely:-

(1) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and

(2) Benefits received – overheads are to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.

14. Service department expenses.- (a) Proper records shall be maintained in respect of service departments, that is, cost centres which primarily provides auxiliary services across the enterprise, to indicate expenses incurred in respect of each such service cost centre like engineering, work shop, designing, laboratory, safety, transport, computer cell, welfare and other related centres.

- (b) Each identifiable service cost centre shall be treated as a distinct cost object for measurement of the cost of services subject to the principle of materiality.
 - (c) Cost of service cost centre shall be the aggregate of direct and indirect cost attributable to services being rendered by such cost centre.
 - (d) Cost of in-house services shall include cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources used in such service.
 - (e) Cost of other resources shall include related overheads.
 - (f) Cost of services rendered by contractors within the facilities of the entity shall include charges payable to the contractor and cost of materials, consumable stores, spares, manpower, equipment usage, utilities, and other resources provided to the contractors for such services.
 - (g) Cost of services rendered by contractors at their premises shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes, and other expenditure directly attributable thereto net of discounts (other than cash discount), taxes and duties refundable or to be credited. This cost shall also include the cost of resources provided to the contractors.
 - (h) Cost of services for the purpose of inter unit transfers shall also include distribution costs incurred for such transfers.
 - (i) Cost of services for the purpose of inter-company transfers shall also include distribution cost incurred for such transfers and administrative overheads.
 - (j) Cost of services rendered to outside parties shall also include distribution cost incurred for such transfers, administrative overheads and marketing overheads.
 - (k) Finance costs incurred in connection with the service cost Centre shall not form part of the cost of Service Cost Centre.
 - (l) The cost of service cost centre shall not include imputed costs.
 - (m) Where the cost of service cost centre is accounted at standard cost, the price and usage variances related to the services cost Centre shall be treated as part of cost of services. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
 - (n) Any Subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to any service cost centre shall be reduced for ascertainment of the cost to which such amounts are related.
 - (o) The cost of production and distribution of the service shall be determined based on the normal capacity or actual capacity utilization whichever is higher and unabsorbed cost, if any, shall be treated as abnormal cost. Cost of a stand-by service shall include the committed costs of maintaining such a facility for the service.
 - (p) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall not form part of the cost of the service cost centre.
 - (q) Penalties, damages paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the cost of the service cost centre.
 - (r) Credits or recoveries relating to the service cost centre including charges for services rendered to outside parties, material and quantifiable, shall be reduced from the total cost of that service cost centre.
 - (s) Any change in the cost accounting principles applied for the measurement of the cost of Service cost centre shall be made, only if it is required by law or a change would result in a more appropriate preparation or presentation of cost statements of an enterprise.
 - (t) While assigning cost of services, traceability to a cost object in an economically feasible manner shall be the guiding principle.
 - (u) Where the cost of services rendered by a service cost centre is not directly traceable to a cost object, it shall be assigned on the most appropriate basis.
 - (v) The most appropriate basis of distribution of cost of a service cost centre to the cost centres consuming services is to be derived from logical parameters related to the usage of the service rendered. The parameter shall be equitable, reasonable and consistent.
- 15. Packing expenses.-** (a) Proper records shall be maintained separately for domestic and export packing showing the quantity and cost of various packing materials and other expenses incurred on primary or secondary packing indicating the basis of valuation.
- (b) The packing material receipts shall be valued at purchase price including duties and taxes, freight inwards, insurance, and other expenditure directly attributable to procurement (net of trade discounts, rebates, taxes and duties refundable or to be credited) that can be quantified at the time of acquisition.
 - (c) Finance costs directly incurred in connection with the acquisition of packing material shall not form part of packing material cost.
 - (d) Self-manufactured packing materials shall be valued including direct material cost, direct employee cost, direct expenses, job charges, factory overheads including share of administrative overheads comprising factory management and administration and share of research and development cost incurred for development and improvement of existing process or product.

- (e) Normal loss or spoilage of packing material prior to receipt in the factory shall be absorbed in the cost of balance materials net of amounts recoverable from suppliers, insurers, carriers or recoveries from disposal.
- (f) The forex component of imported packing material cost shall be converted at the rate on the date of the transaction. Any subsequent change in the exchange rate till payment or otherwise shall not form part of the packing material cost.
- (g) Any demurrage, detention charges or penalty levied by the transport agency or any authority shall not form part of the cost of packing materials.
- (h) Any subsidy or grant or incentive or any such payment received or receivable with respect to packing material shall be reduced for ascertainment of the cost to which such amounts are related.
- (i) Issue of packing materials shall be valued using appropriate assumptions on cost flow, namely, First In First Out, Last In First Out, weighted average rate. The method of valuation shall be followed on a consistent basis.
- (j) Wherever, packing material costs include transportation costs, the determination of costs of transportation shall be in accordance with para No. 9 on determination of cost of transportation.
- (k) Packing material costs shall not include imputed costs.
- (l) Where packing materials are accounted at standard cost, the price variances related to such materials shall be treated as part of packing material cost and the portion of usage variances due to normal reasons shall be treated as part of packing material cost. Usage variances due to abnormal reasons shall be treated as part of abnormal cost.
- (m) The normal loss arising from the issue or consumption of packing materials shall be included in the packing materials cost.
- (n) Any abnormal cost where it is material and quantifiable shall be excluded from the packing material cost.
- (o) The credits or recoveries in the nature of normal scrap arising from packing materials if any, shall be deducted from the total cost of packing materials to arrive at the net cost of packing materials.
- (p) Packing material costs shall be directly traced to a cost object to the extent it is economically feasible.
- (q) Where the packing material costs are not directly traceable to the cost object, these may be assigned on the basis of quantity consumed or similar measures like technical estimates.
- (r) The packing material cost of reusable packing shall be assigned to the cost object taking into account the number of times or the period over which it is expected to be reused.
- (s) Cost of primary packing materials shall form part of the cost of production.
- (t) Cost of secondary packing materials shall form part of distribution overheads.
- 16. Interest and financing charges.-** (a) Interest and financing charges are costs incurred by an enterprise in connection with the borrowing of fund or other costs which in effect represent payment for the use of non- equity fund.
- (b) Interest and financing charges incurred shall be identified for-
- (i) acquisition or construction or production of qualifying assets including fixed assets; and
 - (ii) other finance costs for production of goods or operations or services rendered which cannot be classified as qualifying assets.
- (c) Interest and financing charges directly attributable to the acquisition or construction or production of a qualifying asset shall be included in the cost of the asset.
- (d) Interest and financing charges shall not include imputed costs.
- (e) Subsidy or grant or incentive or amount of similar nature received or receivable with respect to Interest and Financing Charges if any, shall be reduced to ascertain the net interest and financing charges.
- (f) Penal Interest for delayed payment, fines, penalties, damages and similar levies paid to statutory authorities or other third parties shall not form part of the interest and financing charges. In case the company delays the payment of statutory dues beyond the stipulated date, interest paid for delayed payment shall not be treated as penal interest.
- (g) Interest paid for or received on investment shall not form part of the other financing charges for production of goods or operations or services rendered;
- (h) Assignment of interest and financing charges to the cost objects shall be based on either of the following two principles; namely:-
- (1) Cause and Effect - Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost and
 - (2) Benefits received – to be apportioned to the various cost objects in proportion to the benefits received by them.
- 17. Any other item of cost.-** Proper records shall be maintained for any other item of cost being indispensable and considered necessary for inclusion in cost records for calculating cost of production of goods or rendering of services, cost of sales, margin in total and per unit of the goods or services under reference.
- 18. Capacity determination.-** (a) Capacity shall be determined in terms of units of production or equivalent machine or man hours.
- (b) Installed capacity is determined based on-

- (i) manufacturers' Technical specifications;
 - (ii) capacities of individual or interrelated production centres;
 - (iii) operational constraints or capacity of critical machines; or
 - (iv) number of shifts
- (c) In case manufacturers' technical specifications are not available, the estimates by technical experts on capacity under ideal conditions shall be considered for determination of installed capacity. In case any production facility is added or discarded the installed capacity shall be reassessed from the date of such addition or discard. In case the same is reassessed as per direction of the Government, it shall be in accordance with the principles laid down in the said directives. In case of improvement in the production process, the installed capacity shall be reassessed from the date of such improvement.
- (d) Normal capacity shall be determined vis-a-vis installed capacity after carrying out adjustments for
- (i) holidays, normal shut down days and normal idle time;
 - (ii) normal time lost in batch change over;
 - (iii) time lost due to preventive maintenance and normal break downs of equipments;
 - (iv) loss in efficiency due to ageing of the equipment; or
 - (v) number of shifts;
- (e) Capacity utilization is actual production measured as a percentage of installed capacity.
- 19. Work-in-progress and finished stock.-** The method followed for determining the cost of work-in-progress and finished stock of the goods and for services under delivery or in-process shall be appropriate and shall be indicated in the cost records so as to reveal the cost element that have been taken into account in such computation. All conversion costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition shall be taken into account while computing the cost of work-in-progress and finished stock. The method adopted for determining the cost of work-in progress and finished goods shall be followed consistently.
- 20. Captive consumption.-** If the goods or services under reference are used for captive consumption, proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each such goods or services transferred to other departments or cost centres or units of the company for self-consumption and sold to outside parties separately.
- 21. By-Products and Joint Products.-** (a) Proper records shall be maintained for each item of by-product, if any, produced showing the receipt, issues and balances, both in quantity and value. The basis adopted for valuation of by-product for giving credit to the respective process shall be equitable and consistent and shall be indicated in cost records. Records showing the expenses incurred on further processing, if any, and actual sales realisation of by-product shall be maintained. The proper records shall be maintained in respect of credits or recoveries from the disposal of by-products.
- (b) Proper records shall be maintained the cost up to the point of separation of products or services shall be apportioned to joint products or services on reasonable and equitable basis and shall be applied consistently. The basis on which such joint costs are apportioned to different products or services arising from the process shall be indicated in the cost records. Proper records shall be maintained in respect credits or recoveries from the disposal of joint products or services.
- 22. Adjustment of cost variances.-** Where the company maintains cost records on any basis other than actual such as standard costing, the records shall indicate the procedure followed by the company in working out the cost of the goods or services under such system. The cost variances shall be shown against separate heads and analyzed into material, labour, overheads and further segregated into quantity, price and efficiency variances. The method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the goods or services shall be indicated clearly in the cost records. The reasons for the variances shall be duly explained in the cost records and statements.
- 23. Reconciliation of cost and financial accounts.-** The cost statements shall be reconciled with the financial statements for the financial year specifically indicating the expenses or incomes not considered in the cost records or statements so as to ensure accuracy and to adjust the profit of the goods or services under reference with the overall profit of the company. The variations, if any, shall be clearly indicated and explained.
- 24. Related party transactions.-** (a) Related Party means related party as defined under clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (b) "Normal" price means price charged for comparable and similar products in the ordinary course of trade and commerce where the price charged in the sole consideration of sale and such sale is not made to a related party. Normal price can be construed to be a price at which two unrelated and non-desperate parties would agree to a transaction and where such transaction is not clouded due to the proximity of the parties to the transaction and free from influence though the parties may have shared interest.
- (c) The basis adopted to determine Normal price shall be classified as under:
- (i) Comparable uncontrolled price method;

- (ii) Resale price method;
 - (iii) Cost plus method;
 - (iv) Profit split method;
 - (v) Transactional net margin method; or
 - (vi) Any other method, to be specified.
- (d) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to a company termed “related party relationship” and vice-a-versa, records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understanding reached in respect of -
- (i) purchase and sale of raw materials, finished goods, rendering of services, process materials and rejected goods including scraps and other related materials;
 - (ii) utilisation of plant facilities and technical know-how;
 - (iii) supply of utilities and any other services;
 - (iv) administrative, technical, managerial or any other consultancy services;
 - (v) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; and
 - (vi) any other payment related to the production of goods or rendering of services under reference.
- (e) These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such goods or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to goods or services under reference.
- 25. Expenses or incentives on exports.-** (a) Proper records showing the expenses incurred on the export sales, if any, of the goods or services under reference shall be separately maintained so that the cost of export sales can be determined correctly. Separate cost statements shall be prepared for goods or services exported giving details of export expenses incurred or incentive earned.
- (b) Proper records shall be maintained giving the details of export commitments license-wise and the fulfillment of these commitments giving the reasons for non-compliance, if any. In case, duty free imports are made, the cost statements shall reflect this fact. If the duty free imports have been made after actual production, the statement shall reflect this fact also.
- 26. Production Records.-** Quantitative records of all finished goods (packed or unpacked) or services rendered showing production, issues for sales and balances of different type of the goods or services under reference, shall be maintained. The quantitative details of production of goods or services rendered shall be maintained separately for self-produced, third party on job work, loan license basis etc.
- 27. Sales records.-** Separate details of sales shall be maintained for domestic sales at control price, domestic sales at market price, export sales under advance license, export sales under other obligations, export sales at market price, and sales to related party or inter unit transfer. In case of services details of domestic delivery or sales at control price, domestic delivery or sales at market price, export delivery or sales under advance license, export delivery or sales under other obligations, export delivery or sales at market price, and delivery or sales to related party or inter unit transfer. Such details shall be maintained separately for each plant or unit wise or service center wise for total as well as per unit sales realization.
- 28. Cost statements.-** (a) Cost statements (monthly, quarterly and annually) showing quantitative information in respect of each good or service under reference shall be prepared showing details of available capacity, actual production, production as per excise records, capacity utilization (in-house), stock purchased for trading, stock and other adjustments, quantity available for sale, wastage and actual sale during current financial year and previous year.
- (b) Such statements shall also include details in respect of all major items of costs constituting cost of production of goods or services, cost of sales of goods or services and margin in total as well as per unit of the goods or services. The goods or services emerging from a process, which forms raw material or an input material or service for a subsequent process, shall be valued at the cost of production or cost of service up to the previous stage.
- (c) Cost Statements (monthly, quarterly and annually) in respect of reconciliation of indirect taxes showing details of total clearances of goods or services, assessable value, duties or taxes paid, CENVAT or VAT or Service Tax credit utilized, duties or taxes recovered and interest or penalty paid.
- (d) If the company is operating more than one plant, factory or service centre, separate cost statements as specified above shall be prepared in respect of each plant, factory or service centre.
- (e) Any other statement or information considered necessary for suitable presentation of costs and profitability of goods or services produced by the company shall also be prepared.

- 29. Statistical Records.-** (a) The records regarding available machine hours or direct labour hours in different production departments and actually utilized shall be maintained for production of goods or rendering of services under reference and shortfall suitably analyzed. Suitable records for computation of idle time of machines or labour shall also be maintained and analyzed.
- (b) Proper records shall be maintained to enable the company to identify the capital employed, net fixed assets and working capital separately for the production of goods or rendering of services under reference and other goods or services to the extent such elements are separately identifiable. Non-identifiable items shall be allocated on a suitable and reasonable basis to different goods or services. Fresh investments on fixed assets for production of goods or rendering of services under reference that have not contributed to the production of goods or rendering of services during the relevant period or year shall be indicated in the cost records. The records shall, in addition, show assets added as replacement and those added for increasing existing capacity.
- 30. Records of Physical Verification.-** Records of physical verification may be maintained in respect of all items held in the stock such as raw materials, process materials, packing materials, consumables stores, machinery spares, chemicals, fuels, finished goods and fixed assets etc. Reasons for shortages or surplus arising out of such verifications and the method followed for adjusting the same in the cost of the goods or services shall be indicated in the records.

Form CRA-3

[Pursuant to rule 6(4) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014]

FORM OF THE COST AUDIT REPORT

I/We,..... having been appointed as Cost Auditor(s) under section 148(3) of the Companies Act, 2013(18 of 2013) of(*mention name of the company*) having its registered office at (*mention registered office address of the company*) (hereinafter referred to as the company), have audited the Cost Records maintained under section 148 of the said Act, in compliance with the cost auditing standards, in respect of the.....[*mention name (s) of Product(s)/service(s)*] for the period/year..... (*mention the financial year*) maintained by the company and report, in addition to my/our observations and suggestions in para 2.

- (i) I/We have/have not obtained all the information and explanations, which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purpose of this audit.
 - (ii) In my/our opinion, proper cost records, as per rule 5 of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 have/have not been maintained by the company in respect of product(s)/service(s) under reference.
 - (iii) In my/our opinion, proper returns adequate for the purpose of the cost audit have/have not been received from the branches not visited by me/us.
 - (iv) In my/our opinion and to the best of my/our information, the said books and records give/do not give the information required by the Companies Act, 2013, in the manner so required.
 - (v) In my/our opinion, the company has/does not have adequate system of internal audit of cost records which to my/our opinion is commensurate to its nature and size of its business.
 - (vi) In my/our opinion, information, statements in the annexure to this cost audit report gives/does not give a true and fair view of the cost of production of product(s)/rendering of service(s), cost of sales, margin and other information relating to product(s)/service(s) under reference.
 - (vii) Detailed unit-wise and product/service-wise cost statements and schedules thereto in respect of the product /service under reference of the company duly audited and certified by me/us are/are not kept in the company.
2. Observations and suggestions, if any, of the Cost Auditor, relevant to the cost audit.

Dated: this ____ day of _____ 20__
at _____ (mention name of place of signing this report)

SIGNATURE AND SEAL OF THE COST AUDITOR (S)
MEMBERSHIP NUMBER (S)

Notes.- (1) Delete words not applicable.

(2) If as a result of the examination of the books of account, the cost auditor desires to point out any material deficiency or give a qualified report, he/she shall indicate the same against the relevant para (i) to (vii) in the prescribed form of the Cost Audit Report giving details of discrepancies he/she has come across.

(3) The report, suggestions, observations and conclusions given by the cost auditor under this paragraph shall be based on verified data, reference to which shall be made here and shall, wherever practicable, be included after the company has been afforded an opportunity to comment on them.

Annexure to the Cost Audit Report

PART - A

1. General Information

1	Corporate identity number or foreign company registration number	
2	Name of company	
3	Address of registered office or of principal place of business in India of company	
4	Address of corporate office of company	
5	Email address of company	
6	Date of beginning of reporting Financial Year	dd/mm/yyyy
7	Date of end of reporting Financial Year	dd/mm/yyyy
8	Date of beginning of previous financial year	dd/mm/yyyy
9	Date of end of previous financial year	dd/mm/yyyy
10	Level of rounding used in cost statements	Absolute/thousands/ lacs/crores
11	Reporting currency of entity	INR
12	Number of cost auditors for reporting period	
13	Date of board of directors meeting in which annexure to cost audit report was approved	
14	Whether cost auditors report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks	
15	Consolidated qualifications, reservations or adverse remarks of all cost auditors	
16	Consolidated observations or suggestions of all cost auditors	
17	Whether company has related party transactions for sale or purchase of goods or services	

2. General Details of Cost Auditor

1	Whether cost auditor is lead auditor	
2	Category of cost auditor	
3	Firm's registration number	
4	Name of cost auditor/cost auditor's firm	
5	PAN of cost auditor/cost auditor's firm	
6	Address of cost auditor or cost auditor's firm	
7	Email id of cost auditor or cost auditor's firm	
8	Membership number of member signing report	
9	Name of member signing report	
10	Name(s) of product(s) or service(s) with CETA heading	
11	SRN number of Form 23C / CRA-2	
12	Number of audit committee meeting attended by cost auditor during year	
13	Date of signing cost audit report and annexure by cost auditor	
14	Place of signing cost audit report and annexure by cost auditor	

3. Cost Accounting Policy.-

(1) Briefly describe the cost accounting policy adopted by the Company and its adequacy or otherwise to determine correctly the cost of production/operation, cost of sales, sales realization and margin of the product(s)/service(s) under reference separately for each product(s)/service(s). The policy shall cover, inter alia, the following areas:

- (a) Identification of cost centres/cost objects and cost drivers.
- (b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares, employee cost, utilities and other relevant cost components.
- (c) Accounting, allocation and absorption of overheads.
- (d) Accounting for depreciation/amortization.
- (e) Accounting for by-products/joint-products or services, scraps, wastage etc.
- (f) Basis for Inventory Valuation.
- (g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party transactions.
- (h) Treatment of abnormal and non-recurring costs including classification of other non-cost items.
- (i) Other relevant cost accounting policy adopted by the Company.

(2) Briefly specify the changes, if any, made in the cost accounting policy for the product(s)/service(s) under audit during the current financial year as compared to the previous financial year.

(3) Observations of the Cost Auditor regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, followed by the company.

4. PRODUCT/SERVICE DETAILS (for the company as a whole)

Name of Product(s) /Service(s)	UOM	CETA heading (wherever applicable)	Whether Covered under Cost Audit Yes / No	Net Operational Revenue (net of taxes, duties etc.)	
				Current Year Rs.	Previous Year Rs.
1.					
2.					
3.					
4.					
.....					
Total net revenue from operations					
Other Incomes of company					
Total revenue as per financial accounts					
Extra ordinary income, if any					
Total revenue including extra ordinary income, if any					
Turnover as per Excise/Service Tax Records					
Note: Explain the difference, if any, between Turnover as per Annual Accounts and Turnover as per Excise/Service Tax Records.					

PART-B**For Manufacturing Sector**

1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each product with CETA heading separately)				
Name of Product				
CETA heading				
Particulars		Unit	Current Year	Previous Year
1. Available Capacity				
(a) Installed Capacity				
(b) Capacity enhanced during the year, if any				
(c) Capacity available through leasing arrangements, if any				
(d) Capacity available through loan license / third parties				
(e) Total available Capacity				
2. Actual Production				
(a) Self manufactured				
(b) Produced under leasing arrangements				
(c) Produced on loan license / by third parties on job work				
(d) Total Production				
3. Production as per Excise Records				
4. Capacity Utilization (in-house)				

5. Finished Goods Purchased			
(a) Domestic Purchase of Finished Goods			
(b) Imports of Finished Goods			
(c) Total Finished Goods Purchased			
6. Stock and Other Adjustments			
(a) Change in Stock of Finished Goods			
(b) Self / Captive Consumption (incl. samples etc.)			
(c) Other Quantitative Adjustments, if any (wastage etc.)			
(d) Total Adjustments			
7. Total Available Quantity for Sale [2(d) + 5(c) + 6(d)]			
8. Actual Sales			
(a) Domestic Sales of Product			
(b) Domestic Sales of Traded Product			
(c) Export Sale of Product			
(d) Export Sale of Traded Product			
(e) Total Quantity Sold			

2. ABRIDGED COST STATEMENT (for each product with CETA heading separately)							
	Name of Product						
	CETA heading						
	Unit of Measure						
		Production	Finished Goods Purchased	Finished Stock Adjustment	Captive Consumption	Other Adjustments	Quantity Sold
	Current Year						
	Previous Year						
S no.	Particulars	Current Year		Previous Year			
		Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)		
1	Materials Consumed (specify details as per Para 2A)						
2	Process Materials/Chemicals						
3	Utilities (specify details as per 2B)						
4	Direct Employees Cost						
5	Direct Expenses						
6	Consumable Stores and Spares						
7	Repairs and Maintenance						
8	Quality Control Expenses						
9	Research and Development Expenses						
10	Technical know-how Fee / Royalty						
11	Depreciation/Amortization						
12	Other Production Overheads						
13	Industry Specific Operating Expenses (specify details as per Para 2C)						

14	Total (1 to 13)				
15	Increase/Decrease in Work-in-Progress				
16	Less: Credits for Recoveries, if any				
17	Primary Packing Cost				
18	Cost of Production/Operations (14 + 15 to 17)				
19	Cost of Finished Goods Purchased				
20	Total Cost of Production and Purchases (18 + 19)				
21	Increase/Decrease in Stock of Finished Goods				
22	Less: Self/Captive Consumption (incl. Samples, etc.)				
23	Other Adjustments (if any)				
24	Cost of Production/Operation of Product Sold (20 + 21 to 23)				
25	Administrative Overheads				
26	Secondary Packing Cost				
27	Selling and Distribution Overheads				
28	Cost of Sales before Interest (24 to 27)				
29	Interest and Financing Charges				
30	Cost of Sales (28 + 29)				
31	Net Sales Realization (Net of Taxes and Duties)				
32	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (31 - 30)				
Notes:					
1.	Separate cost statement shall be prepared for each CETA heading representing the product.				
2.	In case the same product has different unit of measure, separate cost statement shall be provided for different unit of measures.				
3.	The items of cost shown in the Proforma are indicative and the same shall be reflected keeping in mind the materiality of the item of cost in the product. The Proforma may be suitably modified to meet the requirement of the industry/product.				
4.	In case the company follows a pre-determined or standard costing system, the above cost statement shall reflect figures at actuals after adjustment of variances, if any.				

2A. Details of Materials Consumed								
Name of Product								
CETA heading								
Description of Material	Category	UOM	Current Year			Previous Year		
			Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Category: Indigenous/ Imported/ Self Manufactured								

2B. Details of Utilities Consumed							
Name of Product							
CETA heading							
Description of Material	UOM	Current Year			Previous Year		
		Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

2C. Details of Industry Specific Operating Expenses			
Name of Product			
CETA heading			
Description of Industry Specific Operating Expenses		Current Year	Previous Year
		Amount	Amount
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PART-C
For Service Sector

1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each service separately)			
Name of Service			
Service Code (if applicable)			
Particulars	Unit of Measurement	Current Year	Previous Year
1. Available Capacity			
(a) Installed Capacity			
(b) Capacity enhanced during the year, if any			
(c) Total available Capacity			
2. Actual Services Provided			
(a) Own Services			
(b) Services under contractual arrangements			
(c) Outsourced Services			
(d) Total Services			
3. Total Services provided as per Service Tax Records			
4. Capacity Utilization (in-house)			
5. Actual Sales			
(a) Services rendered – Domestic			
(b) Services rendered – Export			
(c) Total Services Rendered			

2. ABRIDGED COST STATEMENT (for each service separately)					
Name of Service					
Service Code (if applicable)					
Unit of Measure					
		Services Provided	Captive Consumption	Other Adjustments	Services rendered
	Current Year				
	Previous Year				
Sno.	Particulars	Current Year		Previous Year	
		Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs.)	Rate per Unit (Rs.)

1	Materials Consumed (specify details as per Para 2A)				
2	Utilities (specify details as per Para 2B)				
3	Direct Employees Cost				
4	Direct Expenses				
5	Consumable Stores and Spares				
6	Repairs and Maintenance				
7	Quality Control Expenses				
8	Research and Development Expenses				
9	Technical know-how Fee / Royalty				
10	Depreciation/Amortization				
11	Other Overheads				
12	Industry Specific Operating Expenses (specify details as per Para 2C)				
13	Total (1 to 12)				
14	Less: Credits for Recoveries, if any				
15	Cost of Services provided (13 - 14)				
16	Cost of Outsourced/Contractual Services				
17	Total Services available				
18	Less: Self/Captive Consumption				
19	Other Adjustments (if any)				
20	Cost of Services Sold (17 – 18 + 19)				
21	Administrative Overheads				
22	Selling and Distribution Overheads				
23	Cost of Sales before Interest (20+21+22)				
24	Interest and Financing Charges				
25	Cost of Sales (23 + 24)				
26	Net Sales Realization (Net of Taxes and Duties)				
27	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (26 - 25)				
	NOTES:				
1.	Separate cost statement shall be prepared for each service				
2.	The items of cost shown in the Proforma are indicative and the same shall be reflected keeping in mind the materiality of the item of cost in the service.				
3.	The Proforma may be suitably modified to meet the requirement of the industry/service.				
4.	In case the company follows a pre-determined or standard costing system, the above cost statement shall reflect figures at actuals after adjustment of variances, if any.				

2A. Details of Materials Consumed								
Name of Service								
Service Code (if applicable)								
Description of Material	Category	UOM	Current Year			Previous Year		
			Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Category: Indigenous/ Imported/ Self Manufactured								

2B. Details of Utilities Consumed							
Name of Service							
Service Code (if applicable)							
Description of Material	UOM	Current Year			Previous Year		
		Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

2C. Details of Industry Specific Operating Expenses			
Name of Service			
Service Code (if applicable)			
Description of Industry Specific Operating Expenses	Current Year	Previous Year	
	Amount	Amount	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

PART-D**1. PRODUCT AND SERVICE PROFITABILITY STATEMENT (for audited products/services)**

Sno	Particulars	Current Year			Previous Year		
		Sales	Cost of Sales	Margin	Sales	Cost of Sales	Margin
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	Product 1						
	Product 2						
	Product 3						
 etc.						
	Service 1						
	Service 2						
	Service 3						
 etc.						
	Total						

2. PROFIT RECONCILIATION (for the company as a whole)			
S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
		Rs.	Rs.
1	Profit or Loss as per Cost Accounting Records		
	(a) For the audited product(s)/service(s)		
	(b) For the un-audited product(s)/service(s)		
2	Add: Incomes not considered in cost accounts (specify details)		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	(e)		
	(f)		
	(g)		
	(h)		
	(i)		
	(j)		
3	Less: Expenses not considered in cost accounts (specify details)		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	(e)		
	(f)		
	(g)		
	(h)		
	(i)		
	(j)		
4	Difference in Valuation of stock between financial accounts and cost accounts		
5.	Other adjustments, if any		
6	Profit or Loss as per Financial Accounts		
Note: Show abnormal wastages, expenses on strikes/lock-outs and any other items of expenses or incomes of abnormal nature etc. not considered in cost separately			

3. VALUE ADDITION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS (for the company as a whole)

S. No.	Particulars	Current Year Rs.	Previous Year Rs.
	Value Addition:		
1	Gross Sales (excluding sales returns)		
2	Less: Excise duty, etc.		
3	Net Sales		
4	Add: Export Incentives		
5	Add/Less: Adjustment in Finished Stocks		
6	Less: Cost of bought out inputs		
	(a) Cost of Materials Consumed		
	(b) Process Materials / Chemicals		
	(c) Consumption of Stores and Spares		
	(d) Utilities (e.g. power and fuel)		
	(e) Others, if any		
	Total Cost of bought out inputs		
7	Value Added		
8	Add: Income from any other sources		
9	Add: Extra Ordinary Income		
10	Earnings available for distribution		
	Distribution of Earnings to:		
1	Employees as salaries and wages, retirement benefits, etc.		
2	Shareholders as dividend		
3	Company as retained funds		
4	Government as taxes (specify)		
5	Extra Ordinary Expenses		
6	Others, if any (specify)		
7	Total distribution of earnings		

4. FINANCIAL POSITION AND RATIO ANALYSIS (for the company as a whole)

S. No.	Particulars	Units	Current Year	Previous Year
A.	Financial Position			
1	Share Capital			
2	Reserves and Surplus			
3	Long Term Borrowings			
4	(a) Gross Assets			
	(b) Net Assets			
5	(a) Current Assets			
	(b) Less: Current Liabilities			
	(c) Net Current Assets			
6	Capital Employed			
7	Net Worth			
B.	Financial Performance			
1	Value Added			
2	Net Revenue from Operations of Company			
3	Profit before Tax (PBT)			
C.	Profitability Ratios			
1	PBT to Capital Employed (B3/A6)	%		
2	PBT to Net Worth (B3/A7)	%		
3	PBT to Value Added (B3/B4)	%		
4	PBT to Net revenue from Operations (B3/B2)	%		
D.	Other Financial Ratios			
1	Debt-Equity Ratio			
2	Current Assets to Current Liabilities			
3	Valued Added to Net Revenue from Operations	%		
E.	Working Capital Ratios			
1	Raw Materials Stock to Consumption	Months		
2	Stores and Spares to Consumption	Months		
3	Finished Goods Stock to Cost of Sales	Months		
Note.- 1 Capital Employed means average of net fixed assets (excluding effect of revaluation of fixed assets) plus Non-current investments and net current assets existing at the beginning and close of the financial year.				
Note.-2 Net Worth is as defined under clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013.				

5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (for the company as a whole)

S. No.	Name and Address of the Related Party	Name of the Product / Service	Nature of Transaction (Sale, Purchase etc.)	Quantity	Transfer Price	Amount	Normal Price	Basis adopted to determine the Normal Price
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

NOTE.1 Details shall be furnished for each Related Party and Product /Service separately.

NOTE.2 Details of Related Party transactions without indicating the Normal Price and the basis thereof shall be considered as incomplete information.

6. Reconciliation of Indirect Taxes (for the Company as a whole)

	Particulars	Assessable Value Rs.	Excise Duty Rs.	Service Tax Rs.	Cess and Others Rs.	VAT Rs.
	Duties/Taxes Payable					
	Excise Duty					
1	Domestic					
2	Export					
3	Stock Transfers (Net)					
4	Duty Free Clearance, Others etc.					
5	Total Excise Duty (1 to 4)					

6	Service Tax					
7	VAT, CST etc.					
8	Other State Taxes, if any					
9	Total Duties / Taxes Payable (5 to 8)					
	Duties/Taxes Paid					
10	Cenvat/VAT Credit Utilised - Inputs					
11	Cenvat/VAT Credit Utilised - Capital Goods					
12	Cenvat/VAT Credit Utilised - Input Services					
13	Cenvat/VAT Credit Utilised - Others					
14	Total (10 to 13)					
15	Paid through PLA/Cash					
16	Total Duties/Taxes Paid (14 + 15)					
17	Duties/Taxes Recovered					
18	Difference between Duties/Taxes Paid and Recovered					
19	Interest/Penalty/Fines Paid					
Note: Provide separate amounts in notes in respect of Item 4 above.						

SIGNATURE
NAME
COST AUDITOR

MEMBERSHIP NUMBER
SEAL
DATE

SIGNATURE
NAME
COMPANY
SECRETARY/DIRECTOR
MEMBERSHIP/DIN NUMBER
STAMP
DATE

SIGNATURE
NAME
DIRECTOR

DIN NUMBER
STAMP
DATE

Note.

Note (1) Wherever, there is any significant variation in the current year's figure over the previous year's figure for any item shown under each para of the Annexure to the Cost Audit Report, reasons thereof shall be given by the Cost Auditor.

Note (2) Wherever, duration of the current year or the previous year is not 12 (twelve) months, same shall be clearly indicated in the Report.

[F. No. 1/40/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 425(E), dated the 30th June, 2014.